लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 31.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 45, मंगलवार, 22 अप्रैल, 1969/2 वैशाख, 1891 (शक)
No. 45, Tuesday, April 22, 1969/Vaisakha 2, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1231. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन	Conference of Representatives of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	1—4
1232. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में आवास योजनाएं	Housing Schemes for Scheduled castes and scheduled tribes during Fourth Plan ..	4
1233. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकानों के निर्माण के लिए केन्द्रीय योजना	Central Scheme for the construction of Houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	4—9
1234. व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का दुरुपयोग	Infringement of Trade Marks ..	9—11
1236. बम्बई उपनगरीय यात्री सम्मेलन	Bombay suburban travellers conference ..	12—14
1238. उड़ीसा सरकार द्वारा लघु उद्योगों पर व्यय	Expenditure on small scale industries by Orissa Government ..	14—15
1239. सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गये करार	Agreements concluded by public undertakings ..	15—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1235. दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विभिन्न कच्चे माल के खपत के मानक निर्धारण करने की समिति का प्रतिवेदन	Report of committee on fixation of consumption norms for various raw materials in Durgapur Steel Plant ..	16—17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
1237. दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant ..	17
1240. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का सेंट्रल इंजीनियरिंग और डिजाइन ब्यूरो	Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd. ..	17—18
1241. राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाना	Introduction of Rajdhani Express ..	18
1242. कम्पनियों द्वारा ऋण और पूंजी विनियोजन	Loans and investments by campanies ..	18
1243. सिनेमा के माध्यम से चुनाव अभियान	Elections campaign through cinemas ..	19
1244. पश्चिम बंगाल बिहार क्षेत्र में कोयले की खानों को माल डिब्बे देना	Supply of Wagons to Coal Fields in West Bengal Bihar Area ..	19
1245. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में भ्रष्टाचार	Corruption in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ..	20
1246. मैसूर में नये उद्योगों की स्थापना	Setting up of new industries in Mysore ..	20—21
1247. मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा कांग्रेस पार्टी को दान	Donations by M/s Dodsal (P) Ltd. to Congress Party ..	22
1248. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को हानि	Loss to Hindustan Machine Tools ..	22—23
1249. पूर्वी रेलवे पर माल डिब्बों के टूटने के कारण हानि	Loss as a result of wagon breaking on Eastern Railway ..	23—24
1250. डीजल इंजन के बारे में ब्रिटिश रेलवे के एक निरीक्षण अधिकारी के विचार	Observations of an Inspecting officer of British Railway on Diesel locomotive ..	24
1251. रेलवे कालोनी, चितरंजन का सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना	Railway colony, Chittaranjan Declared as a protected area	24—25
1252. अखबारी कागज का निर्यात	Export of Newsprint ..	25—26
1253. विधि संबंधी रिपोर्ट लिखने में एकरूपता	Uniformity in Law Reporting ..	26

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1254. नेपा मिल्स, मध्य प्रदेश, का विस्तार	Expansion of Nepa Mills, Madhya Pradesh	..	26
1255. रेलवे विद्युतीकरण विभाग में कर्मचारी	Workers in Railway Electrifications	..	26—27
1256. रेलवे के मुफ्त पास तथा सुविधा टिकट आदेश (पी. टी. ओ.) की रियायतें बन्द करना	Discontinuance of Railway Free Passes and PTO Concession	..	27
1257. रेलवे पर विभागीय तथा गैर-सरकारी कैंटीन	Departmental and Private Canteens on Railways	..	27—28
1258. कुलियों के अप्रयुक्त नम्बरों का पुनः अन्य व्यक्तियों को अलाट किया जाना	Re-allotment of vacant Coolie Numbers	..	28
1259. विचाराधीन आयकर अपीलें	Pending Income Tax Appeals	..	28—29
1260. कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा दिया जाना	Donations by companies to Political parties	..	29—30
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
7127. आयोगों आदि के प्रतिवेदन	Reports of commission etc.	..	30
7128. प्रतिवेदन तथा प्रकाशन	Reports and Publications	..	30—31
7129. गुजरात राज्य में विकलांगों की शिक्षा के लिए अनुदान	Grants for the Education of Handicapped in Gujarat State	..	31
7130. त्रिपुरा में आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण	Socio-Economic Survey of Tribals in Tripura	..	31—32
7131. स्टेनलैस इस्पात बनाने के लिए लाइसेंस देना	Grant of Licences for the Manufacture of Stainless Steel	..	32—33
7132. त्रिपुरा के मनीपुरी लोगों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करना	Inclusion of Manipuris of Tripura in Scheduled Tribes List	..	33
7133. महाराष्ट्र राज्य में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Maharashtra	..	33—34
7134. तीसरी श्रेणी के डिब्बों में स्थान रोक लिये जाना	Occupation of seats in third class compartments	..	34

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7135. तीसरी श्रेणी के डिब्बों में ऊपर के स्थान (बर्थ) का प्रयोग	Use of Upper Berth in Third Class Compartments	..	35
7136. इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये परीक्षा	Engineering Services Examination	..	35—36
7137. गाजनेर (जिला बीकानेर) के निकट रेलगाड़ी के इंजन और ट्रक की टक्कर	Railway Engine truck collision near Gajner (Bikaner Distt.)	..	36—37
7138. कुछ रेल लाइनों का बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of certain routes into Broad Gauge	..	37
7139. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने में विलम्ब	Delayed Payment of Scholarships to Scheduled castes/scheduled tribes and other backward classes students	..	37—38
7140. फैजाबाद डिवीजन में कृषि औद्योगिक केन्द्र	Agro-industrial centres in Faizabad Division	..	38—39
7141. बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना	Late running of trains between Baroda and Ahmedabad	..	39
7143. अखबारी कागज का उत्पादन	Production of Newsprint	..	39—40
7144. बागरोद तथा भिलाई स्टेशनों के बीच रेल लाइन	Railway line between Wagrod and Bhilai Stations	..	40
7145. सवारी गाड़ियों का डीजलीकरण	Dieselisation of Passenger trains	..	40—41
7146. इस्पात और इस्पात के सामान का निर्यात	Export of steel and steel products	..	41
7147. रद्दी इस्पात की उपलब्धता	Availability of steel scraps	..	41—42
7148. सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता	Seniority of Assistant Station Masters	..	42
7149. देवास, माकसी और शाजापुर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) का विकास	Development of Devas, Maksi and Shajapur stations (Western Railway)	..	43

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7150.	सियागंज, इंदौर स्थित रेल फाटक पर ऊपरी पुल	Over bridge on level crossing at Siaganj, Indore ..	43
7151.	उज्जैन और मकरावां स्टेशनों के बीच रेल फाटक	Level crossing between Ujjain and Makrawan Stations ..	43—44
7152.	उज्जैन जिला जंक्शन	Ujjain District Junction ..	44
7153.	बंगलौर सलेम मार्ग पर रेल लाइन	Railway line on Bangalore Salem Route ..	44
7154.	लाइसेंस प्राप्त माल डिब्बा निर्माता	Licenced Wagon builders ..	44—45
7155.	भारत और थाइलैंड के बीच पुनः बेलन मिल के बारे में समझौता	Agreement between India and Thailand regarding Steel Re-rolling Mill ..	45
7156.	पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन	Railway line from Pathankot to Jammu ..	46
7157.	खानालामपुर रेलवे यार्ड में पेट्रोल वैगनों का जलाया जाना	Burning of petro wagons in Khanalampura Railway Yard ..	46
7158.	पश्चिम बंगाल में मत पेटियों को जलाने की घटनायें	Burning of Ballot Boxes in West Bengal ..	47
7159.	राज्यों में जनजातियों का शोषण	Exploitation of Tribal Classes in States ..	47—48
7160.	लोहे तथा इस्पात के मूल्य निर्धारित करना	Fixation of rates of Iron and Steel ..	48
7161.	दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलों में रेल दुर्घटनायें	Railway accidents on Southern and South Central Railways ..	48—49
7162.	कुछ उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता	Idle capacity in certain Industries ..	49—50
7163.	रेलगाड़ियों में अपराध	Crimes in Trains ..	50
7164.	पलवल दिल्ली रेलगाड़ियां	Palwal-Delhi Trains ..	51
7165.	रेलवे बोर्ड में सहकारी आवास समिति	Co-operative Housing society in Railway Board	51—52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7166.	चौथी योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये धन का नियतन	Allocation for welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes during Fourth Plan	52
7167.	कूच बिहार स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)	Cooch Behar Station (North-East Frontier Rly.)	52—53
7168.	बंगलौर सलेम मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Bangalore Salem Metreguage line into Broad Gauge ..	53
7169.	मध्य प्रदेश में औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects in M.P. ..	53
7170.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय औद्योगिक परियोनायें	Central Industrial Projects in Madhya Pradesh ..	53—54
7171.	चौथी योजना में लुगदी का कारखाना	Setting up of Pulp Factory in Fourth Plan ..	54
7172.	मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों में मन्दी	Slump in small scale industries in Madhya Pradesh ..	54—55
7173.	रेलों के विद्युतीकरण की बृहत योजना	Master Plan for Electrification of Railways..	55
7174.	स्थायी पदों के ऊपर नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति	Appointment of casual labourers against permanent posts ..	55
7175.	दानापुर रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर विश्राम गृह की व्यवस्था करना	Provision of a retiring room at Danapur Railway Station (Eastern Rly.) ..	55—56
7176.	स्टेशन मास्टरों द्वारा रजिस्टरों का रखा जाना	Maintenance of Registers by Station Master	56—57
7177.	रेलवे की मार्ग परिपथ (ट्रैक सर्किट)	Track circuited lines ..	57
7178.	सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति	Promotion of Assistant Station Masters ..	57—58
7179.	फीरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सीमा क्षेत्रों में नियुक्त रेल कर्मचारियों को असैनिक सुरक्षा का प्रशिक्षण	Civil Defence Training to Railway Staff in Border Areas of Ferozepur Division (Northern Rly.) ..	58

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7180.	जापान से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation from Japan ..	59
7181.	नई दिल्ली स्टेशन पर गाड़ियों की देख-रेख	Attending to Trains at New Delhi Station ..	59—60
7182.	सामान में ठेले (ट्रालियां)	Luggage Trolleys at Delhi Station ..	60
7184.	मनीपुर की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा कम आय वाले वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Manipur Scheduled Castes and Scheduled Tribes and low income group students ..	60—61
7185.	बिजली के सामान का बनाया जाना	Manufacture of Electric goods ..	61
7186.	बिड़ला ग्रुप के उद्योगों द्वारा समवाय अधिनियम का उल्लंघन	Violation of companies Act by Birla Group of Industries ..	61—62
7187.	मूक और बधिरों के लिये गवर्नमेंट लेडी नायस स्कूल की बसों की अनियमित सेवा	Irregular service of Buses of Government Lady Noyee School for Deaf and Dumb ..	62
7188.	शहाद स्टेशन (मध्य रेलवे) पर प्लेटफार्म	Platform at Shahed Station (Central Railway) ..	62
7190.	त्रिपुरा से अगरतला तक रेलवे लाइन का विस्तार	Extension of Railway line in Tripura upto Agartala ..	63
7191.	त्रिपुरा में रेलवे लाइनों का विस्तार	Extension of Railway lines in Tripura ..	63—64
7192.	जेल कैदियों और जेल प्रशासन सम्बन्धी कानून में संशोधन	Revision of law Relating to prisons, prisoners and prison Administration ..	64
7193.	उद्योगों की स्थापना पर नियंत्रण हटाया जाना	Removal of controls on the setting up of industries ..	64
7194.	उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में पर्याप्त लेखन सामग्री का न दिया जाना	Inadequate supply of stationery on Northern Railway, Bikaner Division ..	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7195.	अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क संस्था से अभ्यावेदन	Representation from All India Railway Commercial clerks Association ..	65—66
7196.	अनुसूचित जातियों की शिक्षा तथा आर्थिक उत्थान	Education and Economic uplift of Scheduled Castes ..	66
7197.	विदेशी सहयोग वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के समवायों द्वारा उत्पादन	Production of companies in Private sector with foreign collaboration ..	66—67
7198.	सिक्योरिटी प्रिंटर्स आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर	Security printers of India Ltd., Kanpur ..	67
7199.	औद्योगिक नीति संकल्प को उदार बनाना	Liberalisation of Industrial Policy Resolution ..	67—68
7200.	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में यात्री पथप्रदर्शक	Passenger guides in Delhi Division of Northern Railway	68
7201.	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में यात्री पथप्रदर्शक	Passenger guides in Delhi Division of Northern Railway ..	68—69
7202.	अनुसूचित जातियों सम्बन्धी यारदी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Yardi Working Group Report on Scheduled Castes ..	69
7203.	इस्पात कारखानों में लागत नियंत्रण कार्यक्रम	Programme of cost control in steel plants ..	70
7204.	उत्तर रेलवे यातायात लेखा वरिष्ठता एकक में प्रथम श्रेणी के क्लर्क तथा सबहैड	Clerks grade I and Sub-heads in Northern Railway Traffic Accounts Seniority Unit..	70
7205.	रेलवे मंत्रालय के यातायात प्रशिक्षणार्थियों को परेशान किये जाने के बारे में जांच	Enquiry regarding harrassment of traffic trainees of the Ministry of Railways ..	71
7206.	इलाहाबाद डिवीजन उत्तर रेलवे में नियुक्त यातायात प्रशिक्षु	Traffic apprentices posted in Allahabad Division (Northern Railway) ..	71
7207.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी	Aboriginals in Andaman and Nicobar Islands	71—72

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7208.	छोटे पैमाने के उद्योग के लिये अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन	Afro-Asian Meeting for small scale industries ..	72—73
7209.	दिल्ली में अस्पृश्यता	Untouchability in Delhi ..	73
7210.	विश्वविकलांग व्यक्ति दिवस	World day for disabled persons ..	73—74
7211.	तेलगांना (आन्ध्र प्रदेश) में आन्दोलन के कारण रेलवे को हुई हानि	Railway losses due to agitation in Telangana (Andhra Pradesh) ..	74
7212.	क्षेत्रीय संतुलन सम्बन्धी समस्या	Identification of Backward Areas ..	74—75
7213.	वस्तुओं के अग्रिम सौदों के बारे में दान्तवाला समिति की सिफारिशें	Dantwala Committee's recommendation on forward trading in commodities ..	75
7214.	पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग में प्लेटों और चादरों की कमी	Shortage of plates and sheets to engineering industry in West Bengal ..	75
7215.	अस्पृश्यता विषयक समिति के अध्यक्ष को मानदेय आदि का भुगतान	Payment of honorarium etc. to Chairman committee on untouchability ..	76
7216.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर के कार्यकरण की जांच	Enquiry into the working of British India Corporation, Kanpur ..	76
7217.	विदेशी तकनीकी जानकारी की खरीद	Purchase of foreign know-how ..	77
7218.	लघु उद्योगों पर मालवीय समिति का प्रतिवेदन	Report of Malaviya Committee on Small Scale Sector ..	77—79
7219.	कमानी ट्यूब्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	Kamani Tubes (P) Ltd. Bombay ..	79
7220.	अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कुछ कम्पनियों को दिये गए ऋण	Loans granted to certain companies by International Agencies ..	79—80
7221.	पूर्वोत्तर रेलवे में कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmation of Railway Employees on N. E. Railway ..	80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7222. रेलवे के खोमचे वालों को कमीशन	Commission to Railway Vendors ..	81
7223. रेलवे प्रवर्तन विभाग में नैमित्तिक श्रमिकों का चयन	Selection of casual labourers in Railway operating Department ..	81
7225. दिल्ली शाहदरा में अवैध शराब की बिक्री	Sale of illicit Liquor in Delhi Shahdara ..	81
7226. तीसरी योजना की अवधि में राजस्थान के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial licences for Rajasthan during Third Plan ..	82
7227. पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माताओं द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Wagon Builders in West Bengal ..	83
7228. कमानी ट्यूब्स, कमानी इंजीनियरिंग कम्पनी तथा मोदी इंडस्ट्रीज	Kamani Tubes, Kamani Engineering Company and Modi Industries	83
7229. कमानी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड तथा इंडियन रबर एण्ड रीजेनरेटिंग कम्पनी तथा बिड़ला ग्वालियर (प्राइवेट) लिमिटेड	Kamani Engineering Corporation Ltd., Indian Rubber and Regenerating Co. and Birla Gwalior (P) Ltd. ..	84
7230. दिल्ली में शराब लाइसेंस	Liquor licences in Delhi ..	84
7231. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के मतदाताओं को मतदान न करने देना	Scheduled Caste and Scheduled Tribe voters not allowed to cast their votes ..	84—85
7232. मेसर्स मोरारजी वोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड बम्बई	M/s Morarji Borax Private Limited Bombay ..	85—86
7234. अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा	Organisation set up of office of Commissioner for SC/ST ..	86
7235. राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of state Ministers for Social Welfare ..	86—87

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7238. देवरिया सदर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर ऊपर का पुल	Overbridge at Deoria sadar Railway Station (N. E. Rly.) ..	87
7239. पूर्वोत्तर रेलवे स्कूलों के अध्यापकों को वेतनमान न दिया जाना	Non-implementation of pay scales of teachers in North Eastern Railway Schools ..	87—88
7240. पूर्व रेलवे पर चलने वाली रेलगाड़ियां	Trains running on Eastern Railway ..	88
7241. उत्तर प्रदेश में ऊपर/नीचे के पुलों का निर्माण	Construction of over/under bridges in U.P...	88—89
7242. दक्षिण रेलवे में न्यूक्लियस साइफर आपरेटर	Nucleus cipher operators on Southern Railway ..	89
7243. दक्षिण तथा दक्षिण मध्य रेलवे में रेलवे वायरलेस	Railway Wireless operators on Southern and South Central Railways ..	89—90
7244. उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षुओं का अभ्यावेदन	Representation by traffic apprentices Northern Railway ..	90
7245. त्रिपुरा में कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिये ऋण	Loans for cottage and small industries in Tripura ..	90—91
7246. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को अन्तर्राज्यीय छात्रवृत्तियों का भुगतान	Reimbursement of inter state scholarships to scheduled caste and scheduled tribe students ..	91
7247. उड़ीसा में विमलगढ़ तालचेर रेल लाइन	Bimalgarh Talcher Rail Link in Orissa ..	92
7249. मनीपुर में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Manipur ..	92—93
7250. मनीपुर में सीमेंट कारखाना	Cement plant in Manipur ..	93
7251. आसनसोल में रेलवे कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना	Suspension of Railway employees in Asansol ..	93—94
7252. हथकरघा कपड़े की बिना बुक की गई गांठ का पांडू भेजा जाना	Despatch of unbooked Bale of Handloom cloth to Pandu ..	94—95

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7253. स्टेनलेस स्टील फास्टनर्स की सप्लाई के लिये टेंडर	Tenders for supply of Stainless Steel Fasteners ..	95—96
7254. समवाय विधि बोर्ड के स्थान पर अन्य बोर्ड की स्थापना	Replacement of company law Board ..	96
7255. झरिया रेलवे स्टेशन पर हमला	Attack on Jharia Railway Station ..	97
7257. दिल्ली के होटलों में अनैतिक कृत्य	Immoral Activities in Hotels of Delhi ..	97
7259. औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प, 1956	Industrial policy Resolution, 1956 ..	98
7260. केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन केन्द्र	Central small industries organisation Centres ..	98
7261. केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन लिमिटेड	Central small industries organisation Ltd. ..	99
7262. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशनों पर जलपान एकक, भोजन की दुकानें तथा विक्रेता	Catering units food stalls and vendors on stations on North East Frontier Railway ..	99—100
7263. शेयरों का आवंटन	Allotment of shares ..	100
7264. कुटीर तथा यन्त्रीकृत दियासलाई उद्योग	Cottage and Mechanised match Industries ..	100—101
7265. खण्डवा और खारगोन और खारगोन तथा दोहद के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Khandwa and Khargaon and Khargaon and Dohad ..	101—102
7266. आम चुनावों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार	Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in General Elections ..	102
7267. रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्दियों की व्यवस्था	Provision of uniforms to Railway Employees ..	102—103
7268. उत्तर रेलवे में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of class III and IV posts in Northern Railway ..	103

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7269. संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से समाज कल्याण विभाग में पदों का भरा जाना	Filling of posts through UPSC in Social Welfare Department ..	103—104
7270. छोटी कार की किस्म में गिरावट	Deterioration in quality of small cars ..	104—105
7271. भारतीय रेलों पर क्रय संगठन के लिये राजपत्रित पदालि	Gazetted cadre for purchase organisation on Indian Railways ..	105
7272. पटना से ट्रैक्टर के पुर्जों के एक पार्सल का भेजा जाना	Despatch of parcel containing Tractor parts from Patna ..	105—106
7273. बघाई और मनमाड के बीच रेलवे लाइन	Rail link between Waghai and Manmad	106
7274. बोकारो इस्पात कारखाने की सप्लाई किये जाने वाले माल के मूल्यों के बारे में समझौता	Agreement about the prices of goods to be supplied to Bokaro Steel Plant ..	106
7276. कृषि प्रक्षेत्र औजारों के लिये लघु उद्योग निगम की स्थापना	Setting up of small Industrial corporation for Agricultural Farm Implements ..	107
7277. रेल फाटकों का निर्माण	Construction of level crossings ..	107
7278. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के गोदाम का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना	Shifting of Godowns of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ..	107—108
7279. खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को त्योहार पेशगी	Festival advance to Employees of Khadi and Village Industries Commission ..	108
7280. मध्य रेलवे पर रेल पटरी के दोषों का पता लगाने वाली कार	Track Recording car on Central Railway ..	108—109
7281. तीसरी श्रेणी के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of class III Posts ..	109

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7282.	कोटा पत्थरों को पैक करने के सम्बन्ध में शर्तें	Packing conditions for Kota Stones ..	109—110
7283.	भारतीय रेलवे में पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of posts in Indian Railways ..	110
7284.	उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के चल टिकट परीक्षकों को कमरे की सुविधा	Running Room Facilities in TTEs of Moradabad Division on N. Rly. ..	111
7285.	उत्तर बंगाल को माल डिब्बों की सप्लाई	Wagon supply for North Bengal ..	111—112
7286.	मोटर साइकिलों के निर्माण में अवमानक पुर्जे	Sub-standard parts in Manufacture of Motor Cycles ..	112—113
7287.	बांदा जंकशन के सामने गंदा नाला	Ganda Nullah in Front of Banda Junction ..	113—114
7288.	बांदा जंकशन (मध्य रेलवे) पर रेत भरने के लिये प्लाट	Plots for loading sand at Banda Junction (Central Rly.) ..	114
7289.	बांदा जंकशन क्षेत्र में दुर्घटनाएं	Accidents in Banda Junction Area ..	114—115
7290.	आरक्षण तथा पूछताछ क्लर्कों के रिक्त स्थान	Vacant posts of Reservation and Enquiry Clerks ..	115
7291.	वैस्टिंग हाउस सैक्सबी फारमर (प्राइवेट) लिमिटेड को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of Westing house Saxby Farmer (P) Ltd. ..	116
7292.	इज्जतनगर में फर्नेस आपरेटर की मृत्यु	Death of Furnace Operator of Izatnagar ..	116—117
7293.	19 सितम्बर, 1968 को रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway Employees of on 19-9-68 ..	117
7294.	माल डिब्बों में सीमेंट का पारेषण	Despatch of Cement Consignment in Wagons ..	117—118
7295.	अविकारी (स्टेनलैस) इस्पात की चादरें	Stainless Steel Sheets ..	118

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling attention to matter of urgent public Importance—	
बन्दूक तथा गोला कारखाना, कोसीपुर, कलकत्ता में गोली चलाने के लिये उत्तरदायी सैन्य सुरक्षा कोर के सिपाहियों की गिरफ्तारी के बारे में न्यायालय के कथित आदेश	Reported Court Orders re. arrest of Defence Security corps sepoys of Cossipore factory	.. 119—123
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 119—120
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh	.. 119—123
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 124
खुलना (पूर्व पाकिस्तान) के निकट इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के फोकर फ्रैंडशिप विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement re: accident to IAC Fokker Friendship near Khulna (East Pakistan)	.. 124—125
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	.. 124—125
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	..
प्रतिरक्षा मंत्रालय—जारी	Ministry of Defence—Contd.	.. 125—173
श्री दत्तात्रय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	.. 126—127
श्री गु० सिं० ढिल्लो	Shri G. S. Dhillon	.. 127—129
श्री गिरिराज शरण सिंह	Shri Girraj Saran Singh	.. 129—130
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	.. 130—132
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	.. 132—134
श्री सीताराम केसरी	Shri Sitaram Kesri	.. 134
श्री नाथपाई	Shri Nath Pai	.. 134—139
श्री मानवेन्द्र शाह	Shri Manabendra Shah	.. 139—141
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammed Ismail	.. 141—142
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 142—143
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	.. 143—144
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh	.. 144—145
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh	.. 145—152
श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation	.. 152—173
श्री एस० जेवियर	Shri S. Xavier	.. 153—155
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	.. 172—173

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 22 अप्रैल, 1969/2 वैशाख, 1891 (शक)
Tuesday, April 22, 1969/Vaisakha 2, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Conference of Representatives of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

+

*1231. **Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some time back a conference of the representatives of Scheduled Castes and Scheduled Tribes was held in Delhi wherein they had expressed dissatisfaction over the amount of assistance being given by the Central Government to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and had made certain suggestions to Government in regard thereto ;

(b) if so, the nature of the suggestions made ; and

(c) the extent to which these suggestions have since been accepted by Government ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) से (ग). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्यों के दिमाग में कौन सा विशिष्ट सम्मेलन है।

Shri Bharat Singh Chauhan : This is very clear that this Conference was held in Delhi and at that Conference certain resolutions had been adopted expressing their resentment to the Quantum of Central assistance and copies of those resolutions were sent to the Central Government.

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : भारत में अनेकों सम्मेलन होते हैं। हम नहीं जानते किस विशिष्ट सम्मेलन से उनका मतलब है। अगस्त-सितम्बर, 1968 में एक अखिल भारतीय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। क्या उनका तात्पर्य उस सम्मेलन से है ?

Shri Bharat Singh Chauhan : Yes.

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : उन्होंने 11 प्रस्ताव भेजे हैं। प्रस्ताव (1) विधि तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में है। प्रस्ताव (2) बाढ़ तथा सूखे से सम्बन्धित है। तीसरा प्रस्ताव सुरक्षा उपायों और आरक्षण सम्बन्धी है। चौथा प्रस्ताव आर्थिक समस्याओं के बारे में है। मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समान कुछ दिन हुए हमने उनकी आर्थिक समस्याओं पर बहस की थी। कृषि के बारे में दो बातें हैं एक भूमि के बारे में और दूसरी वास्तविक रूप से दल चलाने के बारे में। भूमि के बारे में हमने मांगों पर चर्चा करते समय बहस की थी। छात्रवृत्तियों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। चतुर्थ योजना में हमारे कुछ विचार हैं जिनका उल्लेख हमने एक प्रश्न के उत्तर में किया था। सेवाओं के बारे में यह बताया गया था कि हमारी एक समिति है जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री हैं और वह समिति सेवाओं के प्रश्न की जांच कर रही है। जहां तक असपृश्यता की समस्या का सम्बन्ध है, मैं समझती हूं पिछले सप्ताह इस मामले पर काफी चर्चा हो चुकी है। विविध प्रकार के दो अन्य प्रस्ताव भी हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : बिहार में क्या हो रहा है ?

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : वे कहते हैं कि सम्मेलन यह मांग करता है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को तुरन्त बसाया जाये।

Shri Bharat Singh Chauhan : This problem is crying for a solution for the last 20 years. Under the Constitution the Government is committed to lift these people and bring them to the level of other people. I had drawn the attention of the Government to this aspect in the advisory Committees appointed from time to time. Under the Constitution the centre is as much responsible for their uplift as the State. Now in view of the fact that the centre has failed even in implementing the Commissioner's report, have the Government chalked out a plan to speed up their uplift ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में, जब समाज कल्याण विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही थी, तो गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने, आरक्षण के लिये उठाये गये पत्रों का विस्तृत ब्योरा दिया था। मैंने सभा में कहा था आरक्षण अवधि को 1970 से बढ़ा कर 1980 तक करने के लिये संविधान में संशोधन करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। हमने यह भी कहा था कि पिछले 20 वर्षों में हम अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को अन्य जातियों के स्तर तक नहीं ला सके हैं। किन्तु इस खाई को पाटने के लिये प्रयत्न जारी रहेंगे।

Shri Bharat Singh Chauhan : Reservation is not the only way of improving their lot. Government's approach to this problem over the years has betayed many flaws which have been alluded to by the Commissioner in his report. Then a suggestion was mooted that the Central Advisory Committee was not working effectively and as such it should be converted into a National Council and be given some powers. But due to some Constitutional difficulties that suggestion was dropped and then a watch dog Committee was appointed to ensure that the Central Funds are properly utilised by the States. May I know the work so far accomplished by the Watch-Dog Committee ?

श्री गोविन्द मेनन : उस समिति का प्रतिवेदन अभी नहीं आया है ।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether, in view of the fact that the problem of untouchability has so far eluded solution, whether Government propose to take help of the voluntary organisations like Arya Samaj in this task and if so, in what form ?

श्री गोविन्द मेनन : सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो भी स्वयंसेवी विकास कार्य करते हैं, सरकार निश्चय ही उनका सहयोग स्वीकार करेंगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री मेनन और श्रीमती फूलरेणु गुह ने अस्पृष्यता को हटाने के बारे में कई बार इस सभा में आश्वासन दिये हैं । क्या उन्हें पता है कि हाल ही में हरिजनों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया है । परसों वे कानपुर में स्वर्गीय डा० अम्बेदकर का चित्र ले जा रहे थे । तब उन्हें निर्दयता से पीटा गया और 30 व्यक्ति घायल हुए । एक को गिरफ्तार किया गया है । दूसरे लोग यह कहते हैं कि यदि उस चित्र को बाग में लगा दिया जाता तो वह बाग दूषित हो जाता । यह चित्र हरिजन नेता डा० अम्बेदकर का था जो इस देश में संसदीय लोकतन्त्र के संस्थापक थे ।

आज की खबर है कि बिहार में एक हरिजन को मार दिया गया क्योंकि वह एक कुएं से पानी निकाल रहा था ।

Shri Madhu Limaye : Firing also took place.

श्री स० मो० बनर्जी : हां गोली भी चली है । एक व्यक्ति मारा गया है । इन आश्वासनों के बावजूद भी स्वर्ण हिन्दुओं तथा कुछ गैर-हरिजन अधिकारियों द्वारा हरिजनों के विरुद्ध अभियान जारी है । चाहे उसका रूप कानपुर में लाठी चार्ज हो या बिहार में गोली से मारना हो । क्या इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किये जायेंगे और क्या इन घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये कोई आयोग नियुक्त किया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : इन घटनाओं के सम्बन्ध में मैं निश्चय ही सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखूंगा ।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि जब कोई अनुसूचित जाति या आदिम जाति का उम्मीदवार अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है अपनी योग्यता के आधार पर, तो उसका स्थान रक्षित स्थानों में गिन लिया जाता है ? क्या नीति उचित है ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि सेवा सम्बन्धी मामलों पर गृह-कार्य मंत्रालय में कार्यवाही की जाती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह उस मंत्रालय को सम्बोधित करें। मैं अलबत्ता इसकी जानकारी गृह-कार्य मंत्रालय को भेज दूंगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में आवास योजनाएं

*1232. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास सम्बन्धी विस्तृत योजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और उत्तर प्रदेश द्वारा भेजी गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन राज्यों को केन्द्र की ओर से कितनी सहायता दी जा रही है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह :
(क) जी हां।

(ख) और (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास तथा आवास स्थान की योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये चतुर्थ योजना के लिये आवंटन इस प्रकार है :

राज्य	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	(रु० लाखों में) कुल
(एक) आंध्र प्रदेश	51.00	15.00	66.00
(दो) तमिलनाडु	211.00	165.00	376.00
(तीन) मैसूर	36.50	5.00	41.50
(चार) उत्तर प्रदेश	55.00	25.00	80.00

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकानों के निर्माण के लिये केन्द्रीय योजना

*1233. **श्री रा० को० अमीन** :
श्री द० रा० परमार :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की गृह निर्माण की अनेक योजनाएं हैं जिनके

अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को अपने लिये मकान बनाने के लिये सहायता दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में चालू रहेंगी ; और

(ग) इन योजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) हां, श्रीमान ।

(ग) वर्ष 1966-67 के अन्त तक पिछड़े वर्ग कल्याण क्षेत्र में से "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार" की योजना पर 716.42 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया था । "भंगियों, मेहतरों, इत्यादि की कार्य और रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार" की मिली जुली योजना के लिए चतुर्थ आयोजना में 3.00 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है । स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सामान्य आवास योजनाओं के अधीन भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को लाभ मिलता है ।

श्री गाडिलिंगन गौड : राज्य सरकारें इन योजनाओं को उचित रूप से क्रियान्वित कर रही हैं या नहीं इसकी पड़ताल करने के लिये सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है । मैं जिला परिषद की हरिजन कल्याण सम्बन्धी समिति का सदस्य हूं । मुझे ऐसे अनेकों मामलों का पता है जिनमें मकानों के स्थानों की अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही में पांच से सात वर्ष तक से देर की जा रही है । इसका परिणाम यह है कि इनके लिये उपबन्धित राशियां प्रति वर्ष व्ययगत होती जा रही है । प्रत्येक बार जब भी अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ की जाती है, कोई न कोई प्रभावशाली व्यक्ति जा कर उन्हें स्थान परिवर्तन के लिए कहना है और वे राजी हो जाते हैं। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेगें और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन हरिजनों के साथ न्याय किया जाता है ।

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : निश्चय ही हम यह चाहते हैं कि केन्द्र राज्यों को जो भी दे राज्य सरकारें उसे उचित रूप से व्यय करें । यही कारण है कि सामाजिक कल्याण विभाग की मांगों पर चर्चा के समय मैंने सुझाव दिया था कि यदि संसद की तरह राज्य भी समितियां स्थापित करें तो अच्छा होगा । इस मामले में मैंने मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि वे ऐसा करें ताकि राज्य विधान मण्डलों की समितियां इस प्रश्न की जांच कर सकें कि क्या उस राज्य में अनुसूचित जातियों को दिये गये अनुदानों का उचित उपयोग हो रहा है ।

श्री गाडिलिंगन गौड : इनको ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अतः मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस मामले की जांच करने के लिये कोई व्यवस्था की जाये। स्थानों का अर्जन करके उन्हें लोगों को दिया जा रहा है। इन स्थानों पर झोपड़ियां तक भी बनाने का उनके पास प्रबन्ध नहीं है। जिसका यह परिणाम होता है कि आय धन भूमि के खरीदने में बराबर हो जाता है। अपने लोगों की सहायता के लिये जिन जमीनों को 500 रु० से 1000 रु० तक अर्जित किया जा सकता है। उन्हें 3,000 रु० से 4,000 रुपये तक खरीदा जाता है।

श्री गोविन्द मेनन: यदि इस प्रकार की बातें होती हैं तो वह गलत है। इन मामलों में राज्य सरकारों को सतर्क होने की आवश्यकता है। इन मामलों में केन्द्र संविधान के अन्तर्गत कुछ नहीं कर सकता हम राज्यों को केवल लिख सकते हैं।

श्री द० रा० परमार : माननीय मंत्री जी ने चालू योजनाओं का ब्योरा नहीं दिया। क्या पी० डब्लू० आर० 219 योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है। यदि शामिल की गई है, तो इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी।

श्री गोविन्द मेनन : चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जब तक अन्तिम योजना सभा में प्रस्तुत न की जाय। तब तक मैं ब्योरा नहीं दे सकता। अभी तक केवल योजना का प्रारूप ही प्रस्तुत किया गया है।

श्री बसुमतारी : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सम्बन्धी समिति के निर्देश पदों के अनुसार समिति को राज्यों में जाकर जांच करने का अधिकार नहीं हैं क्या इस समिति को राज्यों में जाकर यह जानने का अधिकार होगा कि कितने धन का उपयोग किया गया है, इसका ठीक प्रकार से उपयोग किया गया है अथवा नहीं और इन जातियों के लिये सामाजिक सेवाओं ने प्रगति की है अथवा नहीं, क्या मंत्री जी सभा की अनुमति से समिति को ये अधिकार देने की सिफारिश करेंगे ?

श्री गोविन्द मेनन : इस बात का निर्णय करने का अधिकार आपको है कि क्या इस सभा द्वारा नियुक्त समिति को राज्यों को सौंपे गये मामलों के कार्य करण की जांच करने का अधिकार दिया जाय या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं अनुमति भी दे दूं, तो क्या राज्य इससे सहमत हो जायेंगे।

श्री बसुमतारी : राज्य तो इसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : समिति राज्यों में जाकर इन चीजों की जांच कर सकती है अथवा नहीं, यह एक संवैधानिक मामला है।

Shri Hukam Chand Kachwai : In some States, some colonies for Harijans have been constructed. While constructing these colonies the Harijans were given an assurance that after 15-20 years when the cost of the house has been realised in the form of rent, the ownership of the houses would be transferred to them. Such colonies have been constructed in Bhopal, Gwalior, Indore, Ujjain, Ratlam and other places. Now Government refuses to give owner-

ship of these houses to these Harijans. The Central Government have invested money in it. May I know why the ownership of these houses has not been transferred to them so far and how long will it take to do so ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं सम्बन्धित सरकारों को लिखूंगा कि यह कब किया जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, are you satisfied with this answer ? The hon. Minister should give an assurance as to when he would write ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री स्वयं यहां के आदेश जारी नहीं कर सकते । अब आपने उनको बता दिया है, तो वह इस बारे में राज्य सरकारों को लिखेंगे ।

श्री जयपाल सिंह : मेरी दो बातें हैं । पहली बात तो यह है कि न तो मंत्री जी और न राज्य मंत्री, जो इस विषय के प्रचारी है आदिवासियों की भाषा जानते हैं ।

दूसरे मैं नहीं जानता कि क्या किसी मंत्री ने झारखंड क्षेत्र में आदिवासियों के विस्थापन के बारे में ढेबर समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा है । आंकड़े दिये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है और क्या प्रधान मंत्री द्वारा इस सभा को दिये गये इस आश्वासन को पूरा किया जायेगा कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जायेगी, तब तक किसी भी व्यक्ति को विस्थापित नहीं किया जायेगा ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं और मेरे सहयोगी आदिवासी भाषा नहीं जानते । प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन एक सामान्य आश्वासन है कि जब भी परियोजनाओं के लिये भूमि का अर्जन किया जायेगा, और लोगों को उससे हटाया जायेगा, तो उनको बसाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी । इस आश्वासन का पालन किया जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye : In reply to every question the hon. Minister has said that the matter is under the jurisdiction of the State. Regarding reservation of vacancies for scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Home Minister had issued a circular that 17 percent vacancies should be reserved for them according to the ratio of population. But even after 13 years I am talking of the centre—there is reservation of 1 1/2 pereent in Class I, 3 per cent in Class II, 7 per cent in class III and 16-17 per cent in class IV. The same condition prevails there in the States also. Secondly, the houses of Harijans in the villlages are located at the most dirty place, where rainy water accumulates during rainy season. Another question is that of Untouchability. In view of the importance of this problem, will he advise the Prime Minister to convene a special meeting of the National Development Council and that of Chief Ministers only to discuss this issue and consider all the aspects of this question so that concrete decisions may be arrived at about this matter and the House may also be apprised of these decisions ? These decisions should also be sent to every State Legislative Assembly and after every six months a report should be submitted about the implementation of the decisions ? Is the hon. Minister prepared to consider this suggestion ?

श्री गोविन्द मेनन : मैंने यह नहीं कहा है कि प्रत्येक भाषण में, जो केन्द्र का काम है, राज्य को कार्यवाही करनी है। माननीय सदस्य के सुझाव पर गौर किया जायेगा।

श्री रा० ढो० भण्डारे : क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा सहायता प्राप्त कोई आवास योजना ऐसी थी जिससे यह व्यवस्था थी कि उसको क्रियान्वित करते समय और मकानों का निर्माण करते समय इसके अधीन संयुक्त जनसंख्या-अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और आम समुदाय—के लिये लागू होनी चाहिये और यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस योजना को क्रियान्वित किया है ? यदि कुछ राज्यों ने इसको क्रियान्वित किया है। तो प्रत्येक राज्य में इस समय इस प्रकार की कितनी बस्तियां हैं।

श्री गोविन्द मेनन : मेरे विचार से प्रश्न यह है कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रस्तावित बस्तियां बिल्कुल पृथक बस्तियां तो नहीं होंगी। मैं एक दम यह नहीं बता सकता कि इस प्रकार की बस्तियां इस समय कितनी है। यदि आवश्यक हो, तो मैं जानकारी एकत्र करके माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूं अथवा यदि एक पृथक प्रश्न पूछा जाय तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री समर गुह : यह गांधी शताब्दी वर्ष है और यह सुविदित है कि गांधी हमेशा भंगी कालोनी में ठहरा करते थे क्योंकि वे पददलित लोगों की दयनीय हालत की ओर जनता को आकर्षित करना चाहते थे। क्या इस बात को देखते हुए भंगी जो हमें बतायेंगे कि क्या इस गांधी शताब्दी वर्ष में सरकार नगरपालिकाओं और पंचायतों के अधीन विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों में काम करने वाले भंगियों के लिये एक निश्चित आश्वासन देगी कि उनके लिये एक उचित आवास योजना तैयार की जायेगी जिसको एक वर्ष में पूरा किया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : नगरपालिकाओं में मेहतरों के रूप में काम करने वाले भंगियों और उन जैसे अन्य व्यक्तियों को मकान देने की एक योजना इस समय है। बनाये गये कार्यक्रमों के अनुसार, इन बातों को पूरा किया जा रहा है। जो कार्यक्रम मंजूर हो गये हैं, उनको पूरा किया जायेगा और इसके लिये समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनको इस वर्ष पूरा किया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री गोविन्द मेनन : निस्संदेह, जो कार्यक्रम मंजूर हो चुके हैं, उनको अवश्य पूरा किया जायेगा ?

श्री बूटा सिंह : उन राज्यों के नाम क्या है जहां इन योजनाओं के लिये नियत की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका और वह व्ययगत हो गई। 1947 में देश के विभाजन के परिणामस्वरूप भारी संख्या में हरिजन इस देश में आये हैं और उन्हें अभी तक मकान अलाट नहीं किये गये है। ये अभी तक निष्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक के अधीन मकानों में रह रहे

हैं। इन मकानों में रहने वाले हरिजनों को ये मकान स्थायी तौर पर देने के लिये सरकार की क्या योजनायें हैं।

श्री गोविन्द मेनन : निष्क्रान्त सम्पत्ति के अलाटमेंट का मामला अन्य मंत्रालय के अधीन है। अब माननीय सदस्य ने वह प्रश्न रखा है। मैं जानकारी एकत्र करके दे दूंगा।

श्री बूटा सिंह : मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। कितने राज्यों ने उस धन का उपयोग नहीं किया ?

Shri Ramavatar Shastri : It has been stated that in Darbhanga district of Bihar and in Bihar sharif of Patna disrrict harijans find it difficult to take water from wells. Have Bihar Government sent any Housing scheme for Harijans and Adivasis for inclusion in Fourth Five Year Plan ? Is the Central Government prepared to give some money to that State Government for this purpose. May I know the names of the States which have not utilised the money allocated to them by the Centre for the purpose in the Third Five Year Plan as also the names of those States which have fully utilised the amount ? What were the difficulties before the States due to which they could not utilise the amount ?

श्री गोविन्द मेनन : प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में स्थिति यह है कि योजना के प्रारूप को सभा के समक्ष रख दिया गया है। दूसरे भाग के बारे में मेरा निवेदन है कि यह वही प्रश्न है जो श्री बूटा सिंह ने पूछा था और मेरा वही उत्तर है।

व्यापार चिह्न (ट्रेड मार्क) का दुरुपयोग

\+

*1234. **श्री श्री चन्द गोयल :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री मोहम्मद इस्माइल : **श्री उमानाथ :**
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें व्यापार चिह्नों के दुरुपयोग को रोकने के लिये सभी राज्यों में "व्यापार चिह्न नियन्त्रक" नियुक्त करने की मांग की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे देश में 'व्यापार चिह्नों' के दुरुपयोग की वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्य सरकारों को हानि होती है तथा उपभोक्ताओं के हितों पर कुप्रभाव पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या व्यापार चिह्नों के दुरुपयोग को रोकने के लिये सभी राज्यों में नियन्त्रक नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में व्यापार चिह्न नियंत्रकों की नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया है।

(ख) व्यापार चिह्न से सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत सम्बन्धित पार्टियां दीवानी/फौजदारी अदालतों में, जैसे वे आवश्यक समझे मुकदमें चला सकती हैं। चूंकि इन मामलों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते, अतः यह बता सकना सम्भव नहीं है कि उल्लंघनों के मामलों में वृद्धि हुई है या नहीं।

(ग) और (घ). जी, नहीं। नियन्त्रकों की नियुक्ति करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि व्यापार तथा पम्प चिह्नांकन अधिनियम, 1958 में व्यापार चिह्नों के धारकों को पर्याप्त संरक्षण देने की व्यवस्था है जो उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मुकदमें चला सकती हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल : व्यापार चिन्हों के दुरुपयोग से दो बड़ी समस्यायें उत्पन्न होती हैं, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को राजस्व की हानि होती है तथा उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं नहीं मिलती। मैं जानना चाहता हूं कि इन दो समस्याओं को हल करने के लिये व्यापार चिह्नों के उल्लंघन को प्रभावी रूप से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : राज्य को राजस्व की कोई हानि नहीं होती क्योंकि वस्तु असली हो अथवा नकली, विक्रय कर तथा अन्य कर वसूल किये जाते हैं। जहां तक उपभोक्ता का सम्बन्ध हो, वह अच्छी तथा घटिया वस्तु में अन्तर समझ सकता है।

श्री श्रीचन्द गोयल : माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी होगी कि कुछ चालाक लोगों ने अपने छोटे ग्रामों के नाम अमरीका, इंगलैण्ड तथा जर्मनी के बड़े नगरों के नामों पर रखे हुए हैं और वे अपनी वस्तुओं को उन नगरों में बना हुआ दिखाते हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि लोगों को न्यायालयों में न्याय मिल सकता है परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह प्रभावी नहीं है और उस पर बहुत समय लगता है। क्या सरकार का विचार संक्षेप कार्यवाही करके इन मामलों को थोड़े समय में निपटाने का है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार के समक्ष अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध मामलों को सरकार अपने हाथ में लेती है। परन्तु अन्य बातों के लिये व्यापार चिह्न अभिकरता उन लोगों पर मुकदमा चला सकता है।

श्री धीरेश्वर कलिता : ऐसा मालूम होता है कि सरकार की इस बारे में कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समूचे देश में इस व्यापार चिह्न प्रश्न की प्रभावी जांच करने के लिये कोई व्यवस्था स्थापित करेगी।

श्री भानु प्रकाश सिंह : व्यापार तथा वाणिज्यिक चिह्न अधिनियम, 1958 एक सक्षम-कारी अधिनियम है और उसके अन्तर्गत लोग व्यापार चिह्न का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चला सकते हैं।

श्री धीरेश्वर कलिता : सरकार क्यों नहीं ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह चोरी तथा डाके के समान है। जब तक लोग शिकायत न करें, कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कोई दुरुपयोग होने पर प्रकाशक न्यायालय में जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई उत्पादक ऐसा अनुभव करता हैं तो उसे न्यायालय में जाने का अधिकार है, सरकार का इस मामले में आने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री धीरेश्वर कलिता : इस सम्बन्ध में सरकार की क्या जिम्मेदारी है।

श्री जी० भा० कृपालानी : सरकार भारत में उद्योग अथवा वाणिज्य को अधिनियमित करती है अथवा नहीं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न का मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है। शायद माननीय सदस्य ने वाणिज्यिक चिह्न अधिनियम के उपबन्ध नहीं पढ़े। यदि कोई व्यक्ति व्यापार चिह्न का उल्लंघन करता है तो व्यापार चिन्ह प्राप्त करने वाला व्यक्ति दीवानी अथवा फौजदारी मुकदमा चला सकता है, इसमें उपभोक्ता अथवा सरकार का क्या सम्बन्ध है।

श्री जी० भा० कृपालानी : मेरा प्रश्न तो यह था कि वाणिज्य तथा उद्योग को विनियमित करने का सरकार को अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हाल ही में मैंने टूथ ब्रश तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर 'मेड इन यू० एस० ए०' लिखा देखा है। बाद में मुझे बम्बई के जाने पर पता लगा कि यू० एस० ए० उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन के लिये प्रयोग किया जाता है। क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है परन्तु यह बहुत चालाकी की बात है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : यह बड़े खेद की बात है कि हमें सरकार से यह सुनना पड़ता है कि कोई विशेष व्यापार चिह्न प्राप्त करने वाले निर्माता अथवा उपभोक्ता को ही कार्यवाही करनी होती है। क्या सरकार इस सक्षमकारी अधिनियम में संशोधन करेगी और इसे हस्तत्रेपीय अपराध बनायेगी तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में ऐसे कुप्रथाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक अपमिश्रण का सम्बन्ध है, उस पर एक अन्य उपबन्ध लागू होता है। इसका व्यापार चिह्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को किसी वस्तु के व्यापार से रोकने के लिये व्यापार चिह्न लेता है। और यदि उस व्यापार चिह्न का दुरुपयोग होता है, तो उसे न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार है। अतः कोई खराब वस्तु बेची जा रही है अथवा नहीं, इस बारे में एक अन्य अधिनियम है।

बम्बई उपनगरीय यात्री सम्मेलन

*1236. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जनवरी, 1969 के प्रथम सप्ताह में बम्बई में हुए बम्बई उपनगरीय यात्री सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे अथवा उसमें क्या मांग की गई थी ;

(ग) क्या बम्बई में उपनगरीय गाड़ियों में यात्रा की स्थिति में सुधार करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) बम्बई उपनगरीय यात्रियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए 4-1-69 को बम्बई यात्री एवं यातायात सहायता संघ की जो बैठक हुई थी, उसमें रेलवे राज्य मंत्री मुख्य अतिथि थे ।

(ख) इस बैठक में उपनगरीय खण्ड पर भीड़-भाड़, बिना टिकट यात्रा और रेल परिसर में कानून और व्यवस्था की स्थिति से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं किया गया ।

(ग) और (घ). इसका दीर्घकालीन समाधान है—शीघ्रगामी परिवहन प्रणाली की व्यवस्था, जिसके लिये योजना आयोग द्वारा नियुक्त महानगर परिवहन दल अध्ययन कर रहा है । लेकिन इस बीच, पुराने 8 डिब्बों वाले रैक की बजाय 9 डिब्बों वाले रैक लगाने और अतिरिक्त गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की जा रही है । इसके अलावा मध्य रेलवे पर 12 डिब्बों के रैक वाली उपनगरीय गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है ।

Shri George Fernandez : 9 coach rakes and 12 coach rakes were also mentioned when Railway Budget was presented here. But on the very next day the Railway officer said that it was impossible. They gave Press statements to the effect that it was impossible to do it for Bombay City. I do not know what is going on in his mind. Months have passed after the budget was presented but no decision has been taken regarding the trains. I would like to know when the decision will be taken on the studies regarding rapid transit system for a long term solution since you have to plan in advance. The residents of Bombay have to face the difficulties both in the matter of buses and trains. I would like to know the steps taken to implement the immediate plans ?

श्री परिमल घोष : मुझे किसी रेलवे अधिकारी द्वारा दिये गये इस वक्तव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि 12 कोच रेक्स चलाना असम्भव है। मध्य रेलवे के 12 कोच रेक्स चलाने की एक योजना प्रस्तुत की है । उन्होंने यह भी बताया है कि उस पर 40 करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी । वित्त के बारे में अभी तक कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किये गये हैं । हमने निर्णय किया

है कि इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए। इंजन, डिब्बे तथा अन्य सामान प्राप्त करने के लिये धन के आवंटन के प्रश्न को ध्यान में न रखते हुए हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri George Fernandes : By when ?

श्री परिमल घोष : यह शायद चतुर्थ योजना काल में हो जायेगा। इसे क्रमबद्ध कार्यक्रम के आधार पर शुरू किया जायेगा।

लम्बी अवधि की परियोजनाओं के बारे में हमने योजना आयोग से विचार विमर्श किया है तथा उपनगरीय लाइनों के कार्य के ब्योरे की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है और हमें कुछ ही दिनों में उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने की आशा है। प्रतिवेदन के प्राप्त होते ही तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने का हमने निर्णय किया है उसके लिये योजना आयोग ने पहले ही विशिष्ट राशि आवंटित कर दी है।

Shri George Fernandes : Whenever there is any disturbance in Bombay, trains are attacked and in case somewhere anyone burns a coach.

An hon. Member : Who burns the coaches ?

Shri George Fernandes : That is a different question.

Whenever any coach is set on fire during such incidents, the replacement of coaches is not undertaken again on that line. It is advertised in the papers that new coaches cannot be provided since a coach has been set on fire there. But now the Minister says that he wants to introduce 12 'coach rakes'. I am unable to follow such contradictory statements. Just now he said that the people of Bombay should not cherish any hope for the next five years. This can lead to further burning of trains, since such a burning results from over crowding. I would like to know whether the Minister will take any immediate steps in pursuance to discussion of Bombay suburban travellers problem by Bombay passenger and Traffic Relief Association and whether the State Government, Municipal Corporation and Central Government will arrive at any decision regarding underground railways in the city of Bombay.

श्री परिमल घोष : मैं बम्बई के उपनगरीय यात्रियों की कठिनाइयों को समझता हूं हमारे पास डिब्बों की संख्या सीमित है। कुछ डिब्बे बहुत पुराने हैं और 1928 के बने हुये हैं। उनसे भी कुछ कठिनाई हो रही है, 1969-70 तथा 1970-71 तक इन 1928 वाले डिब्बे के स्थान पर नये डिब्बे लगा दिये जायेंगे। अगले पांच वर्षों में हमें लगभग 650 नये डिब्बे मिलेंगे और वे बम्बई में लगाये जायेंगे। इससे बम्बई को चौथी पंचवर्षीय योजना में काफी रियायत मिलेगी।

जहां तक डिब्बे जलाने का सम्बन्ध है यदि एक डिब्बा जलाया जायेगा तो हमारे पास एक डिब्बा कम हो जायेगा। यह सीधा हिसाब है।

माननीय सदस्य ने भूमिगत रेलवे के बारे में जो कहा है उसका तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर रेलवे के भूमि के नीचे अथवा ऊपर होने के बारे में निर्णय किया जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta: The population of metropolitan towns like Bombay, Delhi, Madras and Calcutta is fast increasing. I would, therefore, like to know the plans for suburban trains in these cities and particularly for Delhi.....(**Interruptions**).

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बम्बई के बारे में है। दिल्ली के सम्बन्ध में पृथक प्रश्न की सूचना दीजिये।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : अब जबकि गाड़ियों के जलाने का काम एक-स्थायी सी बात हो गई है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इन डिब्बों के स्थान पर आग न लगने वाले सामान से बने हुए डिब्बे लगाये जायेंगे अर्थात् क्या डिब्बे पूर्णतया लोहे की चादरों के बनाये जायेंगे और स्लीपर भी लोहे के लगाये जायेंगे ?

श्री परिमल घोष : जबकि माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है, हमें इस पहलू पर भी विचार करना होगा। अभी तक हम ऐसा नहीं कर रहे थे।

Shri Maharaj Singh Bharati: The Minister just now said that we have coaches built in 1928. Such old coaches are not available anywhere. U. S. A. has recently purchased old aircrafts from our Defence Department. I would like to know whether Government will make any efforts to send these coaches to other countries as pieces of antique value and replace them with new ones.

श्री परिमल घोष : एक ऐसी योजना है। जिसके सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं।

उड़ीसा सरकार द्वारा लघु उद्योगों पर व्यय

*1238. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि उड़ीसा सरकार द्वारा वर्ष 1966-67 और 1967-68 में लघु उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों के क्षेत्र में किया गया व्यय कम है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि राज्य सरकार को राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिये यथोचित कार्यक्रम तैयार करना चाहिये ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस बीच कोई ठोस कार्यक्रम तैयार कर लिया है ; और

(घ) 1968-69 में उड़ीसा को इस प्रयोजन के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) लघु उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों को मिलाकर वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में क्रमश: 42.77 लाख रु०-34.96 लाख रु० तथा 45.40 लाख रु० खर्च किया गया था।

(ख) और (ग). जी हां।

(घ) वर्ष 1968-69 के दौरान औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिये 4.17 लाख रु० का ऋण स्वीकृत किया गया था और लघु उद्योगों के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को 9.03 लाख रुपये का ऋण तथा 3.64 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : भाग (ग) के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम क्या हैं और आपने किसकी स्वीकृति दी है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैंने अभी कोई कार्यक्रम नहीं देखा है परन्तु यदि कोई कार्यक्रम हुआ तो मैं जांच करूंगा और सभा को सूचना दूंगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : भाग (ग) के उत्तर में आपने 'हां' कहा है। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या राज्य सरकार ने अब तक कोई पर्याप्त योजना बनाई है, आपने 'हां' कहा है।

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह बात मेरे ध्यान में नहीं लाई गई है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यदि राज्य सरकार से सुझाव आना है, प्राक्कलन प्रस्तुत किये गये तथा स्वीकार किये गये होंगे। अतः मैं जानना चाहता हूं कि कितनी औद्योगिक बस्तियों की स्वीकृति दी गई है तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या......

श्री भानु प्रकाश सिंह : यदि माननीय सदस्य यह ब्योरा चाहते हैं तो मैं उसे अवश्य सभा-पटल पर रखूंगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मंत्री के वक्तव्य के अनुसार 1968-69 के लिये निर्धारित राशि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम है, मैं जानना चाहता हूं कि गत वर्ष के लिये आवंटित राशि कम होने के क्या कारण हैं तथा अन्य राज्यों की तुलना में यह राशि कैसी है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : राशि राज्य सरकारों द्वारा आवंटित की जाती है। मैंने विभिन्न राज्यों के उद्योग मंत्रियों को पत्र लिखे हैं कि विकास सम्बन्धी योजना की तीन प्रतिशत राशि लघु पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र के लिये आवंटित की जानी चाहिये।

Agreements Concluded by Public Undertakings

*1239. **Shri Suraj Bhan** +: **Shri Ram Gopal Shalwale**:
Shri Ranjit Singh: **Shri Jagannath Rao Joshi**:
Shri Atal Bihari Vajpayee: **Shri Brij Bhushan Lal**:

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether prior approval of the Department of Law is necessary in the cases of agreements concluded by Public Undertakings, where the amount exceeds one crore of rupees ;

(b) if so, the details of the provisions made in this connection ; and

(c) if not the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Department of Law does not give advice to the autonomous bodies even though wholly owned and cantrolled by Government. Government Companies are expected to make their own arrangements for legal advice.

Shri Suraj Bhan: I would like to know the amount of loss suffered due to defective agreement and the names of concerns which suffered such losses.

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): It is not relevant.

अध्यक्ष महोदय : श्री सूरज भान पुनः प्रश्न करें ?

Shri Suraj Bhan: The Minister had stated previously that Oil and Natural Gas Commission suffered loss due to defective agreement last year and there are certain other similar concerns. I would like to know whether you will obtain the opinion of Law Ministry before entering into agreements.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : प्रश्न यह है कि क्या कोई दोषपूर्ण समझौते हुये हैं और क्या उनके कारण कोई हानि हुई है। हमारे ध्यान में कोई ऐसी बात नहीं लाई गई है कि कोई त्रुटि-पूर्ण समझौता हुआ है जिसके आधार पर कोई हानि हुई है।

Shri Suraj Bhan: The Administrative Reforms Commission had suggested last year for setting up a single integrated corporation for industries like steel and coal which have a wide field.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक सिफारिश की थी कि भारी व्यय वाले समझौतों की सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिए। जहां तक विदेशी सहयोग वाले समझौतों का सम्बन्ध है, उन्हें सदा सरकार के पास भेजा जाता है और सरकार द्वारा स्वीकृति देने से पहले उनकी जांच की जाती है तथा विधि मंत्रालय का मत प्राप्त किया जाता है। परन्तु किसी सरकारी उपक्रम के सामान्य प्रशासन में हस्तक्षेप करना किसी मंत्रालय अथवा विभाग के लिए सम्भव नहीं है।उसे वाणिज्यिक आधार पर चलाना होता है। यदि कोई दुरुपयोग हो तो उसकी जांच करना लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रम समिति का काम हैं। जब यह बात हमारे ध्यान में लाई जाती है, तो हम अवश्य कार्यवाही करते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में विभिन्न कच्चे माल के खपत के मानक निर्धारण करने की समिति का प्रतिवेदन

*1235. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री दुर्गापुर इस्पात कारखाना सम्बन्धी पाण्डे समिति के बारे में 19 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने, जो विभिन्न कच्चे माल की खपत के मानकों के निर्धारण का

कार्य कर रही थी, इस बीच अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) समिति ने कार्य का पहला भाग पूरा कर लिया है और अब यह दूसरा भाग पूरा कर रही है।

(ख) कम्पनी ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में सिफारिशें की हैं कि :—

(i) समाचार देने के लिये शब्दों का मानकीकरण किया जाय जिससे समाचारों में शब्दों में एकरूपता और संगति आए।

(ii) वर्तमान परिस्थितियों में प्रमुख कच्चे माल के प्रयोग तथा प्राप्य उत्पादन के लिए मापदण्ड निश्चित किये जायें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Durgapur Steel Plant

*1237. **Kumari Kamala Kumari** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to refer to the reply given in Unstarred Question No. 248 on the 12th November, 1968 and state :

(a) the number of persons against whom action is being taken in connections with the destruction of property in Durgapur Steel Plant and the nature of action being taken in each case ;

(b) whether the 3626 workers who were affected by closing down of the plant were paid for the period during which the plant remained closed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha) : (a) Disciplinary action is being taken against 65 persons.

(b) No payment was made to the affected persons for the period during which the Plant remained closed.

(c) Lay-off compensation is not admissible under the Industrial disputes Act 1947.

Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Limited

*1240. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state the details of the final decision, if taken, in regard to the proposal for making the Central Engineering and Design Burcau of the Hindustan Steel Limited a full fledged Institution, with Russian assistance ?

The Minister of Steel and Heavy Engineering (Shri C. M. Poonacha) : The Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Limited is at present not in a

position to undertake certain special types of designing and other work. In order to make good this deficiency, negotiations are at present in progress with GIPROMEZ of USSR, who have all the necessary know-how in this regard. No final decisions have yet been taken.

राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाना

*1241. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को अन्य महानगरों के साथ मिलाने वाली तथा 120 किलोमीटर प्रति घण्टा की गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 मार्च, 1969 से चलाई गई थी ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा मुख्य आयुक्त के विचारों पर भी विचार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया था ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 1-3-1969 से केवल नयी दिल्ली और हाबड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई है । यह गाड़ी हफ्ते में दो बार चलती है ।

(ख) जी हां । इस गाड़ी को चलाने के लिए लखनऊ और कलकत्ता के रेल संरक्षा के अपर आयुक्तों की मंजूरी ले ली गई है ।

(ग) राजधानी एक्सप्रेस चलाने से पहले उनके सुझावों पर अमल कर लिया गया था ।

कम्पनियों द्वारा ऋण और पूंजी विनियोजन

*1242. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संगठनों से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 370 और 372 के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा ऋणों और विनियोजनों की समूची अधिकतम सीमाओं को मिलाकर ऋणों और विनियोजनों के बारे में एक सीमा निर्धारित की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् । भारतीय वाणिज्य मण्डल, कलकत्ता से, यह सुझाव देते हुए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 तथा 372 में दी गई 30 प्रतिशत की सीमा, संयोजित कर दी जाय तथा कम्पनियों को अपनी अभिदत्त पूंजी के 60 प्रतिशत तक को अपने विवेक से या तो विनियोजन करने अथवा ऋण देने की अनुमति दी जाय ।

(ख) यह सुझाव सरकार को मान्य-योग्य नहीं है ।

सिनेमा के माध्यम से निर्वाचन अभियान

*1243. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मध्यावधि निर्वाचनों के दौरान सिनेमाघरों का प्रयोग प्रचार माध्यम के रूप में करने की अनुमति दी गई थी ; और

(ख) क्या 1967 के साधारण निर्वाचन के समय भी ऐसी ही अनुमति दी गई थी ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

पश्चिम बंगाल-बिहार क्षेत्र में कोयले की खानों को माल-डिब्बे देना

*1244. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1968 से पश्चिम बंगाल-बिहार की कोयला-खानों को कोक के लिए तथा कोयला लादने के लिए माल डिब्बों के निश्चित स्वीकृत दैनिक कोटे की सप्लाई में बहुत कमी कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप कोयला खनन उद्योग की बहुत हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कमी करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । पश्चिम बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों के लिए माल डिब्बों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है । लेकिन रेलों के मार्ग दर्शन के लिये बंगाल बिहार क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के लिये कोयला और कोक के दैनिक औसत लदान के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं । बंगाल-बिहार क्षेत्रों से दैनिक औसत लदान का लक्ष्य 6,600 माल डिब्बे हैं । इसमें से 2,500 माल डिब्बे इस्पात कारखानों और धुलाई कारखानों के लिये और 4,100 अन्य उपभोक्ताओं के लिये हैं। अन्य उपभोक्ताओं के लिये नवम्बर, 68 से मार्च, 69 तक दैनिक औसत लदान 4,114 माल डिब्बे रहा और इस प्रकार इसमें कोई कमी नहीं आयी । इस्पात कारखानों और धुलाई कारखानों के हिसाब में जो कमी आई है, वह अपर्याप्त मांगों, माल डिब्बों के रुके रहने आदि के कारण है जिस पर रेलवे का कोई नियंत्रण नहीं था ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Corruption in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

*1245. **Shri J. Sunder Lal:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints of corruption prevalent in the Khadi and Gramodyog Bhawan, New Delhi ;

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government thereon ; and

(c) whether Government propose to appoint an Enquiry Committee to look into the affairs of this institution ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) The Khadi and Village Industries Commission has received some complaints.

(b) Some of these complaints have been investigated by a senior officer of the Commission recently and his report is awaited. The other complaints are being examined by the Commission.

(c) Government have no such proposal under consideration.

मैसूर में नये उद्योगों की स्थापना

*1246. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने प्रधान मंत्री से इस बात की शिकायत की है कि लाइसेंस देने वाले केन्द्रीय अधिकारी मैसूर में नये उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों अथवा अन्य राज्यों से अपने उद्योगों को मैसूर राज्य में ले जाने के लिए उद्योगपतियों के आवेदनपत्रों के बारे में निर्णय करने में बहुत अधिक समय लेते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). मैसूर के मुख्य मंत्री ने हाल ही में प्रधान मंत्री को सम्बोधित पत्र में यह अनुरोध किया है कि औद्योगिक लाइसेंस के सभी आवेदन पत्रों, चाहे वे नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने के सम्बन्ध में हों अथवा विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के स्थान बदलने से सम्बन्धित हों, का तत्काल निबटारा किया जाना चाहिए और यह भी सुझाव दिया है कि इस प्रकार के आवेदनों की जांच पड़ताल करने में लगने वाले सभी प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि ऐसे आवेदनों को उनके प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निबटाया जाना चाहिए।

यद्यपि भारत सरकार इस बात की इच्छुक है कि औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों के निबटाने में कम से कम समय लगे। फिर भी, कभी-कभी इस प्रकार के आवेदनों पर विचार करने के कारण कुछ समय लगना अनिवार्य हो जाता है और यह सुझाव कि सभी आवेदनों का निबटारा उनके प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर हो जाना चाहिए, व्यावहारिक नहीं है। औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीतियों पर निरंतर पुनः विचार किया जाता है और इनके लिए निश्चित कार्यविधियां अपनाई जा रही हैं। औद्योगिक लाइसेंस नीति में 25 लाख रुपये से अधिक की अथवा आस्तियों के आधार पर औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए छूट की सीमा बढ़ाने तथा कुछ उद्योगों से नियंत्रण हटाने तथा बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किये एक निश्चित सीमा तक उत्पादन में विविधता लाने के लिए कुछ छूटें सरकार द्वारा पहले ही दी जा चुकी हैं। इसी प्रकार लाइसेंस कार्यविधि को निश्चित रूप से चलाने के लिए कुछ कदम पहले ही उठाये जा चुके हैं। जिससे आवेदनों के निबटारे में होने वाले विलम्ब में कमी की जा सके। आवेदक यथाशीघ्र यह जान सकें कि सरकार उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अथवा नहीं कुछ समय से 'आशय पत्र' जारी करने की प्रणाली अपनाई गई है जिससे उसमें दी गई कुछ शर्तों को पूरा करने पर सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने की बाध्यता का पता लगता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक मंत्रालयों को कुछ किस्म के मामलों का लाइसेंस समिति को निर्देश किए बिना निबटाने का अधिकार भी दे दिया गया है। इन उपायों के फलस्वरूप कुछ मामलों का अध्ययन करने के पश्चात् यह पता चला है कि औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों का निपटारा करने में लगने वाला समय औसतन काफी कम हो गया है। यहां इस बात को समझ लिया जाना चाहिए कि लाइसेंस प्रणाली में कुछ विलम्ब होना अवश्यम्भावी है क्योंकि प्रत्येक योजना पर विचार करने के लिये उन पर अंतिम निर्णय करने से पूर्व विभिन्न मंत्रालयों, तकनीकी प्राधिकारों तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करना पड़ता है। अनेक मामलों में यह स्थिति और भी नाजुक हो जाती है क्योंकि आवेदक अपनी योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे अवस्थावद्ध निर्माण कार्यक्रम, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए किए गये प्रबन्ध तथा विदेशी सहयोग एवं इस प्रकार की शर्तों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं देते और बहुधा स्पष्टीकरण के लिए पुनः पूरी जानकारी मांगी जाती है। कुछ मामलों में उद्योग विशेष की समीक्षा की जाती है और ऐसे मामलों में सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाता है जिससे वास्तविक गुणावगुणों और प्रतिद्वन्द्विता को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम योजना को ही लाइसेंस दिया जा सके। फिर भी सरकार निश्चित रूप से किसी भी ऐसे सुझाव पर विचार करेगी, जो वर्तमान प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के बारे में प्राप्त होंगे। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली के संचालन की इस समय औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है। अतः विद्यमान लाइसेंस नीति में कोई भी परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही किया जायेगा जिसके शीघ्र ही मिल जाने की आशा है।

मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा कांग्रेस पार्टी को दान

*1247. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड कम्पनी द्वारा चुनाव के लिए कांग्रेस दल को दिये गये दान के बारे में 20 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 570 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). कम्पनी रजिस्ट्रार, बम्बई, ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 629-क के साथ पठित धारा 293-क (1) के अन्तर्गत, अतिरिक्त मुख्य महाप्रान्तीय दंडाधिकारी, बम्बई, के न्यायालय में कम्पनी तथा इसके निदेशकों के विरुद्ध एक परिवार मिसिल कर दिया है ।

Loss to Hindustan Machine Tools

*1248. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Machine Tools Factory in the public sector suffered a loss of Rs. 66 lakhs during 1967-68 ;

(b) whether it is also a fact that more than half of the total capacity of the said factory remained unutilised during the year 1968 ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to streamline the working of the said factory ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) Only about 40-50% of the installed capacity of the machine tool units of Hindustan Machine Tools Ltd. was utilised during 1968. However, the Company's Watch unit worked to full capacity.

(c) Due to a steep fall in demand for machine tools arising out of the recessionary trends in the Engineering industry for the last two to three years, the off-take of the products of Hindustan Machine Tools Limited has not been satisfactory from the year 1967-68 onwards. Consequently, the Company have been carrying a large stock of machine tools and incurred a net loss of Rs. 65.96 lakhs during 1967-68.

(d) Although there has been some improvement in the inflow of orders during 1968-69, the recessionary trend in the machine tool industry still continues and its effect on the working of Hindustan Machine Tools Ltd. still persists to an appreciable extent and the capacity of

their machine tool units is being utilised only to an extent of about 50%. The economy of the working of the Company is prima rily dependent on the full utilisation of its productive capacity. Concerted efforts are being made by the Company to utilise the available manufacturing capacity more fully by diversifying their product range, so that the types of sophisticated machine tools which are hitherto being imported could be manufactured by them. The Company have also been concentrating on an export drive. They have opened Sales-cum-Service Centres at Frankfurt, New York, Los Angeles, and Melbourne and also entered into agency agreements with firms in U. S. A., Sweden, West Germany, Denmark, East European countries, Benelux countries, U. K. Canada and Ceylon. The Company are also taking steps to take up production of Heavy Duty Presses, Printing Machinery and L. P. Gas Cylinders. The National Industrial Development Corporation is also preparing a report about the feasibility and economics of manufacturing agricultural tractors in the Pinjore Unit. The Company have also under consideration a proposal to set up a Central Industrial Engineering Department to carry out Company-wide micro-economic studies, costing and pricing investigations, profitability analysis, inter-factory performance evaluation, etc., with a view to effecting economics and ensuring better efficiency in the working of the various units of the Company.

पूर्वी रेलवे पर माल डिब्बों के टूटने के कारण हानि

*1249. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, पूर्वी रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में माल डिब्बों के टूटने के परिणामस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) इस समस्या को हल करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तथा की जा रही है, तो क्या ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है ।

(ख) इस समस्या को सुलझाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निवारक उपाय बरते गये हैं :

(i) प्रभावित खण्डों पर रेल सुरक्षा दल द्वारा गश्त लगाया जाना ।

(ii) भेद्य खण्डों पर माल गाड़ियों में पहरा लगाना ।

(iii) बदनाम स्थलों पर रात-दिन पहरा लगाना ।

(iv) राज्य पुलिस के सहयोय से रेल सुरक्षा दल द्वारा संयुक्त छापा मारा जाना।

(v) रेल सुरक्षा दल के कुत्ता दस्तों द्वारा यार्ड में गश्त लगाया जाना ।

विवरण

पूर्व रेलवे के प्रत्येक मण्डल में माल डिब्बे तोड़कर माल निकालने के कारण कुल हानि

मण्डल का नाम	हानि (रुपयों में)		
	1966	1967	1968
1. हबड़ा I मण्डल	7,869	9,497	17,1500
2. हबड़ा II मण्डल	22,791	47,851	31,024
3. सियालदह मण्डल	41,257	67,315	71,938
4. कंचरापाड़ा मण्डल	13,500	17,172	21,591
5. आसनसोल मण्डल	24,836	67,590	1,62,087
6. धनबाद मण्डल	17,815	19,580	34,369
7. जमालपुर मण्डल	38,047	63,771	79,124
8. दानापुर मण्डल	1,42,777	96,046	82,007
वर्षवार कुल हानि	3,08,892	3,88,822	4,99,290

डीजल इंजन के बारे में ब्रिटिश रेलवे के एक निरीक्षण अधिकारी के विचार

*1250. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश रेलवे के एक सेवानिवृत्त निरीक्षण अधिकारी, श्री डी० मैकमुलेन द्वारा रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के समक्ष दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाप के इंजन की तुलना में डीजल इंजनों के पटरी से उतर जाने की अधिक आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) श्री मैक्मुलेन ने यह नहीं कहा कि भाप रेल इंजन की तुलना में डीजल रेल इंजन के पटरी से उतर जाने की अधिक आशंका है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रेलवे कालोनी, चितरंजन का सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना

*1251 **श्री भगवान दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे कालोनी, चितरंजन को सुरक्षित क्षेत्र घोषित

कर रखा है अथवा चिरकाल से उसे सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या किसी अन्य रेलवे कालोनी/बस्ती को इसी प्रकार सुरक्षित घोषित किया गया है अथवा सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो लगाई गई रोक को कब तक हटाने का सरकार का विचार है, जिससे कि वहां के निवासी सदा निर्बाध रूप से आ-जा सकें और रह सकें ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). जी नहीं। चित्तरंजन स्थित रेलवे कालोनी को संरक्षित क्षेत्र नहीं माना जा रहा है, लेकिन चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अधीन प्रतिबन्धित स्थान घोषित किया गया है।

अखबारी कागज का निर्यात

*1252. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय- कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में छोटे समाचारपत्रों की संख्या में वृद्धि होने के कारण देश में अखबारी कागज के निर्यात में रुकावट पैदा हुई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अखबारी कागज उद्योग तथा प्रमुख समाचारपत्र प्रबन्धकों के साथ हाल ही में कोई बातचीत हुई है ; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अखबारी कागज का उत्पादन दुगना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) देश में इस समय अखबारी कागज की जितनी आवश्यकता है, उसका लगभग 20 प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है, अतः अखबारी कागज के निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय देश की आवश्यकता का लगभग 80 प्रतिशत अखबारी कागज आयात किया जाता है। देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :

(1) देश के वर्तमान अखबारी कागज के कारखाने (नेपा मिल्स) की क्षमता 30,000 मी० टन से बढ़ाकर 75,000 मी० टन प्रति वर्ष कर दी गई है।

(2) अखबारी कागज की नई क्षमता स्थापित करने के प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा रहा है।

विधि सम्बन्धी रिपोर्ट लिखने में एकरूपता

*1253. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य न्यायाधिपति ने यह सुझाव दिया है कि भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा घोषित की गई विधि में एकरूपता लाने के लिये विधि सम्बन्धी रिपोर्ट लिखने का कार्य केन्द्र द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) उच्च न्यायालयों की सभी रिपोर्टों का समन्वित प्रकाशन निकालने तथा उपरोक्त सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Expansion of Nepa Mills, Madhya Pradesh

*1254. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any new scheme has been formulated for the expansion of Nepa Mills, Madhya Pradesh under the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the percentage of the total requirements of newsprint in the country which would be met by the Nepa Mills after full implementation of the said scheme ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The implementation of the scheme for the expansion of Nepa Mills was started during the 3rd Five Year Plan and is expected to be fully implemented by the year 1971-72.

(b) The capacity of the Mills is being arised from 30,000 tonnes to 75,000 tonnes per annum and the entire expansion programme is likely to cost about Rs. 12 crores.

(c) About 40%.

रेलवे विद्युतीकरण विभाग में कर्मचारी

*1255. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विद्युतीकरण विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों को वैकल्पिक

नौकरियां देने के लिये बनाई गई कर्णधार समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसने क्या सिफारिशें की हैं और इस प्रतिवेदन के पश्चात् कितने नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया गया है ; और

(ग) नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). रेलवे विद्युतीकरण विभाग के बेशी कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरियां देने के लिए कोई कर्णधार समिति (स्टीयरिंग कमेटी); नहीं बनायी गयी है। फिर भी, रेलवे के विद्युतीकरण विभाग में नियमित वेतनमानों में काम करने वाले तीसरे दर्जे के बेशी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक जांच समिति बनायी गयी है ताकि उन्हें वैकल्पिक पदों पर लगाया जा सके। अन्य परियोजनाओं की तरह रेलवे विद्युतीकरण परियोजना में काम करने वाले नैमित्तिक मजदूर भी दैनिक मजदूरी के आधार पर रखे जाते हैं और जिस काम में उन्हें लगाया गया है, उसके पूरा होने पर उनकी छंटनी की जा सकती है। लेकिन, चौथे दर्जे के नियमित पदों में प्रवरण के लिए उन्हें बाहरी लोगों की अपेक्षा तरजीह दी जाती है।

Discontinuance of Railway Free Passes and P. T. O. Concessions

*1256. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry propose to discontinue the issue of free passes and P. T. Os. in pursuance of recommendations made by the Estimates Committee of the Parliament and the Second Pay Commission ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Certain recommendations have been made by the Estimates Committee in their 29th and 67th Reports regarding the desirability of unifying the scales of Passes and P.T.Os among the different classes of Railway servants. These recommendations are under consideration.

Departmental and Private Canteens on Railways

*1257. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of canteens under Indian Railways ;

(b) the number of departmental and private canteens among them, separately ;

(c) whether it is a fact that the Railway Administration earn a profit every year from the departmental canteens ;

(d) if so, the amount of profit earned by the Administration from the departmental canteens during the last three years, year-wise ;

(e) the reasons for allowing private canteens to continue when there is a profit from the departmental canteens ;

(f) whether Government propose to convert all private canteens into departmental ones ; and

(g) if so, from which date and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a). 280 as on 31-3-1968.

(b) (i) Number of canteens run departmentally .. 2

(ii) Number of canteens run by Staff Committees .. 211

(iii) Number of canteens run by Consumer Co-operative Societies. .. 63

(iv) Number of canteens run by Private Contractors. .. 4

(c) No.

(d) and (e). Do not arise.

(f) and (g). The extant orders lay down that canteens should be run by the staff themselves on a co-operative basis either through Staff Committees or Consumer Co-operative Societies. In terms of these orders departmental canteens, as also canteens run by the Contractors, will be handed over to the staff for management.

Re-allotment of Vacant Coolie Numbers

*1258. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he has received any letters from the Members of Parliament regarding re-allotment of vacant coolie numbers on the New Delhi Railway Station ;

(b) if so, the number thereof and the action taken thereon ;

(c) whether there are any such cases where the number of a coolie was allotted to some other coolie when the former proceeded on leave ; and

(d) if so, the reasons therefor and whether there is justification for not re-allotting a number to a coolie when he returns from leave ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a). Letters were addressed by some Members of Parliament to the Deputy Minister for Railways.

(b) Seven. Reports were called thereon and orders are being issued for the allotment of licences to the two individuals referred to in these letters.

(c) No, Sir.

(d) Regarding reasons, the question does not arise in view of reply to part (c). The numbers are given back to licensed porters when they return from authorised leave.

लम्बित आयकर-अपीलें

*1259. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री लम्बित आयकर अपीलों के सम्बन्ध में 12 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4268 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और एरणाकुलम् में कितनी ऐसी अपीलें लंबित हैं, जिन पर विचार करने

की आशा आयकर अपील अधिकरण की इन नई न्यायपीठों से की जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त दो न्यायपीठों की अधिकारिता के अधीन अपीलों की संख्या इतनी अधिक नहीं है, जो उन्हें तीन-चार महीने भी व्यस्त रख सके ; और

(ग) यदि हां, तो नई न्यायपीठें उक्त स्थानों पर स्थापित करने के क्या विशेष कारण हैं, जबकि बम्बई तथा कलकत्ता में लम्बित अपीलों की संख्या क्रमशः 17673 और 15726 थी ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1 मार्च, 1969 को आयकर अपील अधिकरण की बंगलौर तथा एरणाकुलम् (कोचीन) न्यायपीठों के सामने लम्बित अपीलों की संख्या क्रमशः 594 और 1247 थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मैसूर तथा केरल में निर्धारितियों की सुविधा के लिए ।

कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा दिया जाना

*1260. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित 75 फर्मों तथा कम्पनियों से तीसरे आम चुनावों के दौरान तथा उनके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों को कुल कितनी धन राशि प्राप्त हुई ; और

(ख) उसी अवधि में औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि सरकारी संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त फर्मों के समूह को ऋण के रूप में कुल कितनी धन राशि दी गई ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) एकाधिकार जांच आयोग द्वारा उल्लिखित पचहत्तर व्यापारिक गृहों से सम्बन्धित कम्पनियों से, विभिन्न राजनैतिक दलों को 1966-67 से 1968-69 के मध्य प्राप्त किये गये अंशदानों की बाबत, उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

राजनैतिक दल का नाम	अंशदान की राशि		
	1966-67	1967-68	1968-69
	रु०	रु०	रु०
कांग्रेस	65,76,317	74,94,779	3,34,851
स्वतंत्र	21,72,322	19,15,286	18,000
जनसंघ	26,001	1,40,802	—
संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी	71	1,700	—
प्रजा समाजवादी पार्टी	12,771	10,000	—
कम्युनिस्ट	—	160	—
संयुक्त विधायक दल	—	500	—
भारतीय क्रान्ति दल	—	1,001	—
हिन्दू महासभा	501	651	—
जनता पार्टी	—	151	—
जन कांग्रेस	—	5,000	—
महा गुजरात प्रान्तीय हिन्दू सभा	—	10,000	—
योग	87,87,983	95,80,030	3,52,851

नोट :—1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के वर्षों की अवधि से तात्पर्य 1 अप्रैल से 31 मार्च तक से है।

Reports of Commissions etc.

7127. **Shri Bharat Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the names, date of publication, language, price and the position regarding the availability of the reports (recommendations etc) submitted and published by all types of Commissions, Study Teams, Study Groups and Committees relating to his Ministry and Subordinate institutions and organisations during the last three years ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-842/69.]**

प्रतिवेदन तथा प्रकाशन

7128. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री गत तीन वर्षों में उनके मंत्रालय और अधीनस्थ संस्थाओं तथा संगठनों से सम्बन्धित सभी प्रकार के आयोगों, अध्ययनदलों, अध्ययन ग्रुपों और समितियों द्वारा प्रस्तुत और प्रकाशित किये गये प्रतिवेदनों के

नाम, उनके प्रकाशित होने की तिथियां, भाषा, मूल्य और उनकी उपलब्धता की स्थिति बताने की कृपा करेंगे ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 843/69]

गुजरात राज्य में विकलांगों की शिक्षा के लिये अनुदान

7129. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में वर्ष 1967 और 1968 में शिक्षा क्षेत्र में विकलांगों के लिये काम कर रहे संगठनों को कितना अनुदान दिया गया ; और

(ख) उन संगठनों के नाम क्या हैं और उनकी स्थापना किस प्रयोजन के लिये की गई थी ;

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). 1967-68 में गुजरात राज्य में तीन संगठनों को इस प्रकार अनुदान दिये गये थे :

संगठन का नाम	दिया गया अनुदान		जिस प्रयोजन के लिये स्थापित किया गया था
	1967 रुपये	1968 रुपये	
1. ब्लाइंड मेंस एसोसिएशन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद	13,437	11,075	इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य नेत्र हीन व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास को बढ़ावा देना है।
2. डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, डाकखाना कछोली, जिला सूरत।	5,000	—	बहरे बच्चों को शिक्षा देना।
3. शारदा स्कूल फार मेनटली रिटारडिड चिल्डरन, अहमदाबाद	5,000	15,000	मंद-बुद्धि बच्चों को शिक्षा देना।

त्रिपुरा में आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण

7130. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में आदिवासियों में बढ़ रहे असंतोष की समस्या का स्थायी हल ढूंढ़ने

के लिए वहां आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसा कब किये जाने का प्रस्ताव था;

(ख) उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा के बारे में नवीनतम अनुमान क्या है;

(ग) क्या ऐसे अनुमान के परिणाम स्वरूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आदिवासियों के उत्थान तथा विकास के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा ?

विधि-मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) से (घ). ऐसा कोई सर्वेक्षण अब तक नहीं किया गया है। अलबत्ता, इस बारे में पूर्व अध्ययनों के आधार पर चतुर्थ आयोजना के लिए निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है :

केन्द्रीय क्षेत्र	**प्रस्तावित राशि** (रुपए लाखों में)
1. लड़कियों के होस्टल	4.00
2. आदिम जातीय विकास खण्ड	34.00
3. सहकारिता	3.50

इसके अतिरिक्त मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पर वास्तविक कुल आयोजना खर्च भी भारत सरकार उठाएगी।

राज्य क्षेत्र	
1. शिक्षा	7.80
2. आर्थिक विकास	117.00
3. स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य योजनाएं	10.50
जोड़	135.30

स्टैनलैस इस्पात बनाने के लिये लाइसेंस देना

7131. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में अविकारी (स्टैनलैस) इस्पात बनाने के लिए लाइसेंस लेने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की कितनी फर्मों ने आवेदन किया :

(ख) 1968 तक उत्तर प्रदेश में कितनी फर्मों के पास लाइसेंस थे; और

(ग) ये लाइसेंस कितनी-कितनी मात्रा के लिए और किन-किन कामों के लिए दिए गये ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग) . ग्वालियर की एक कम्पनी ने 1200 टन बे-दाग इस्पात और 4800 टन ठण्ढा बेलित हाई कार्बन और मिश्र-इस्पात के उत्पादन के लिए गाजियाबाद (उ० प्र०) में एक कारखाना स्थापित करने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है । आवेदन पर अभी विचार किया जा रहा है ।

(ख) कोई नहीं ।

त्रिपुरा के मनीपुरी लोगों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करना

7132. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आल त्रिपुरा मनीपुरी यूथ एसोशियेशन तथा उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा पारित किए गए उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि त्रिपुरा के मनीपुरी लोगों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जनता के किसी वर्ग को अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल करने की क्या शर्तें हैं तथा त्रिपुरा के मनीपुरी लोग इन शर्तों को कहां तक पूरा करते हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) . संसद के सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

New Railway Lines in Maharashtra

7133. **Shri Deo Rao Patil** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new railway lines constructed in Maharashtra during 1968-69 ; and

(b) the new railway lines whose construction during 1969-70 has been recommended by the Maharashtra Government ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Railway development is not envisaged on any State-wise or region-wise concepts but on overall development considerations in the national interest. No new lines have been constructed in Maharashtra in 1968-69.

(b) No such specific recommendation for new lines during 1969-70 have been made by the Government of Maharashtra. However, as requested by the State Government, surveys for Vangaon-Diva and Chanakha-Wani proposed rail links have been undertaken and these are in progress.

तीसरी श्रेणी के डिब्बों में स्थान रोक लिये जाना

7134. **श्री क० लकप्पा :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यद्यपि तीसरी श्रेणी के रेलवे डिब्बों में बैठने के स्थानों पर अंक लिखे होते हैं किन्तु फिर भी बहुत से लोग एक से अधिक स्थान रोक लेते हैं और अन्य खड़े हुए यात्रियों द्वारा इसका विरोध किये जाने पर भी वे उस स्थान को नहीं छोड़ते;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जब रेलवे कर्मचारियों को इसकी शिकायत की जाती है तो वे उदासीन रवैया अपनाते हैं और वे यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने की परवाह नहीं करते;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए, कि कोई भी यात्री अपने स्थान से अधिक स्थान न घेरे और अन्य यात्रियों को परेशानी न होने पाये, रेलवे के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों, अर्थात् टिकट परीक्षक, गार्ड , स्टेशन मास्टर आदि के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार रेलवे कर्मचारियों को ऐसे निर्देश जारी करेगी कि ऐसे मामलों में वे तत्काल यात्रियों की कठिना इयों की ओर ध्यान दें और संगचल टिकट परीक्षकों को भी वे निर्देश देगी कि वे टिकट जांचते समय इस बात की ओर भी ध्यान दें कि कोई भी यात्री अपने-अपने स्थान से अधिक स्थान न रोके ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है ।

(ख) यह सही नहीं है कि कर्मचारी आम तौर पर यात्रियों की शिकायतों के प्रति उदासीन रहते हैं । कर्मचारियों को हिदायत है कि वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें और यदि कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने का कोई मामला नोटिस में लाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है ।

(ग) जिन कोटियों के कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है, यह देखना उनका काम है कि कोई यात्री दूसरे यात्री को स्थान न देकर स्वयं अधिक स्थान न घेर लें ।

(घ) इस आशय की हिदायत जारी कर दी जायेगी ।

तीसरी श्रेणी के डिब्बों में ऊपर के स्थान (बर्थ) का प्रयोग

7135. **श्री क० लकप्पा :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी श्रेणी के डिब्बों में ऊपर का स्थान (बर्थ) केवल माल रखने के लिए है लेकिन सामान्यतया एक यात्री उस पर लेट जाता है और पूरे स्थान को रोक लेता है और अन्य यात्रियों को वहां अपना सामान नहीं रखने देता जिसके परिणामस्वरूप अन्य यात्रियों का सामान रास्ते में पड़ा रहता है जिससे यात्रा करने वाले यात्रियों को बहुत असुविधा और परेशानी होती है;

(ख) क्या सरकार टिकट जांच कर्मचारियों को ये निर्देश देगी कि वे टिकटों की जांच करते समय इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कोई भी यात्री ऊपर वाले स्थान को न रोके और सामान रास्ते में न पड़ा रहे; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तीसरे दर्जे के डिब्बों (तीसरे दर्जे के शयन यानों को छोड़कर) की ऊपर शायिकाएं केवल सामान रखने के लिए हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि यात्री उन पर कब्जा कर लेते हैं जिससे उन पर सामान रखने में रुकावट आती है और असुविधा होती है।

(ख) और (ग) . पहले से यह हिदायत है कि यात्री, डिब्बे में अपने साथ भारी सामान लेकर न चलें जिससे यात्रियों को असुविधा हो और डिब्बे में उपलब्ध जगह घट जाये। यह हिदायत फिर दुहरायी जा रही है। टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को भी हिदायत दी जायेगी कि वे यात्रियों को ऊपरी शायिकाओं का उपयोग न करने दें, फिर भी यह मानना होगा कि यात्रियों के सहयोग के बिना, विशेषरूप से ऐसी हालत में जब डिब्बों में बहुत भीड़ हो, प्रभावी परिणाम प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा।

इंजीनियरिंग सेवाओं के लिये परीक्षा

7136. **श्री जागेश्वर यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग सेवाओं की परीक्षा, 1969 में बैठने के लिये विभागीय उम्मीदवारों की आयु में 5 वर्ष अर्थात् 30 वर्ष तक की आयु वालों को बैठने की रियायत दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय रेलवे लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग और सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय के अस्थायी कर्मचारियों को, जिनकी नौकरी

तीन वर्ष की है, उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है, जबकि आयुध कारखानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है, आयुध कारखाने में काम करने वाले स्थायी पदों पर स्थायी हुए कर्मचारियों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों में कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है, जिसे 25 वर्ष की आयु का हो जाने से पूर्व स्थायी किया गया हो ;

(घ) यदि हां, तो आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार आयुध कारखानों में काम करने वाले ऐसे अस्थायी कर्मचारियों को उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति देगी जिनकी आयुध कारखानों में तीन वर्ष की नौकरी पूरी होगी ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) विभागीय उम्मीदवारों की कुछ निर्दिष्ट कोटियों के लिए 25 वर्ष की ऊपरी वय:सीमा 30 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1-8-69 को 25 वर्ष तक की आयु वाले विभागीय उम्मीदवारों के लिए, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा,1969 में बैठने की अनुमति है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

(ङ) और (च). भारतीय आयुध कारखाना सेवा, श्रेणी I के भर्ती नियमों के अन्तर्गत केवल ऐसे कर्मचारियों को ऊपरी वय:सीमा में छूट दी जाती है जो आयुध कारखानों में मूल स्थायी पद पर नियुक्त हों । विभिन्न सेवाओं के बारे में नियम, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, बनाये जाते हैं ।

गाजनेर (जिला बीकानेर) के निकट रेलगाड़ी के इन्जन और ट्रक की टक्कर

7137. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजनेर (जिला बीकानेर) के रेल फाटक पर हाल ही में एक रेल इंजन, जो दुर्भिक्ष ग्रस्त क्षेत्रों के मजदूरों के लिये बीकानेर से बालासर और लखासर गांवों को पानी के टैंक ले जा रहा था, एक ट्रक नम्बर 1075 से टकरा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस टक्कर के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उस दुर्घटना से है, जिसमें बीकानेर से लालगढ़ जाता हुआ एक खाली इंजन 19-3-69 को किलोमीटर 321/11-12 पर स्थित समपार पर एक मोटर-ट्रक से टकरा गया था ।

(ख) और (ग). रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा दुर्घटना की जांच की गयी है । इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

कुछ रेल लाइनों का बड़ी लाइनों में बदलना

7138. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सड़क परिवहन द्वारा दूरस्थ स्थानों को माल भेजने में प्रतियोगिता का मुकाबला करने के उद्देश्य से कुछ रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की एक योजना को अन्तिम रूप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 3000 किलोमीटर लम्बी मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 10 से 15 वर्षों की एक संदर्शी योजना बनायी गयी है । ब्योरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि जिन लाइनों का वस्तुतः बदलाव किया जाना है उनके बारे में तभी फैसला किया जा सकता है जब सभी सर्वेक्षण पूरे हो जायें और यातायात सम्बन्धी औचित्य और अर्थ-क्षमता के आधार पर प्रत्येक लाइन बदलाव के लिए उपयुक्त पायी जाये । यह काम धन-राशि की उपलब्धता पर भी निर्भर है ।

Delayed Payment of Scholarships to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes Students

7139. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that scholarships given to the students of Scheduled Castes/Scheduled Tribes by the Central Government are not paid to them in time and rather they are paid very late by the offices of the State Governments as a result of which the students have to face a lot of difficulties ;

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to remedy the situation ;

(c) whether Government propose to set up some permanent machinery to examine whether the financial assistance provided to the State Governments by the Central Government for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is properly used ; and

(d) if not, the reasons therefor and if so, the outline thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao): (a) Complaints have been received about delays in the payment of post-matric scholarships.

(b) The application forms have been simplified and the Regulations have been revised to eliminate procedural bottlenecks. Direct disbursement by a Central Government agency of inter-state scholarships will also be tried out in the Union Territory of Chandigarh during 1969-70.

In addition, the State Governments have been advised to introduce maximum decentralisation in the matter of disbursement of scholarships and adopt the following measures for eliminating delays :—

(i) Decentralisation of Powers (in the matter of disbursement) to the District level.

(ii) More publicity so that the students get to know of the facilities as also the procedural formalities.

(iii) Supply of application forms etc. to the students before they leave the Institutions for summer holidays.

(iv) Adoption of measures like ad-hoc payments, introduction of entitlement/identity card system in the Scheduled Castes and Scheduled Tribes boys so that they are not required to pay at the time of admission.

(v) Attention on priority to inter-State cases.

(c) and (d). No separate machinery appears to be necessary. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Standing Committee of Parliament and the Zonal Directorates of this Department are already engaged in the supervision review and evaluation of the programmes. Also, this Department itself scrutinises the progress from the reports periodically received from the States/Union Territories.

फैजाबाद डिवीजन में कृषि-औद्योगिक केन्द्र

7140. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फैजाबाद डिवीजन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप में कृषि प्रधान है और वहां जन-शक्ति पर्याप्त उपलब्ध है, क्या केन्द्रीय सरकार वहां पर कुछ कृषि-औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने की सम्भावना पर विचार करेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार उस डिवीजन में कृषि-औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करने के लिए वहां कम से कम एक अथवा दो अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ करेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इस मंत्रालय का किसी भी राज्य में, कृषि-औद्योगिक केन्द्रों की

प्रत्यक्ष स्थापना करने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। लघु उद्योग कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस विषय में मुख्यतः राज्य सरकारों को ही पहल करनी होती है।

बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

7141. **श्री रा० की० अमीन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1968 में बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच अधिकतर रेलगाड़ियां विलम्ब से पहुंची थी, जिसके कारण बड़ौदा या अहमदाबाद में कार्य करने वाले लोगों को बड़ी कठिनाई हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ियों को समय पर चलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Production of Newsprint

7143. **Kumari Kamla Kumari :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri S. K. Tapuriah :
Shri Himatsingka :
Shri Mangalathumadam :
Shri Ramavtar Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4772 on the 17th December, 1968 and state :

(a) whether Government have received any proposal for the setting up a factory for the production of newsprint in the private sector in the country ;

(b) If not, whether Government would give necessary incentive to industrialists for the setting up as many factories as possible in the country in view of the demand for newsprint ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the total demand for newsprint in the country at present ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmad) : (a) Yes, Sir. A request for approval of the broad outlines of a proposal for foreign collaboration by a private party for manufacture of newsprint has been received.

(b) Government have already given the following incentives for the development of indigenous newsprint industry in the country ;

(i) The newsprint industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

(ii) Newsprint Industry has been included in the list of 'Key' industries, making it eligible for more liberal treatment in respect of import of capital equipment and raw materials.

(iii) Indigenous newsprint has been totally exempted from excise duty.

(c) Does not arise.

(d) The total present demand for newsprint in the country on a restricted basis has been estimated at 1.7 lakhs tonnes per annum.

बागरोद तथा भिलाई स्टेशनों के बीच रेल लाइन

7144. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री द० रा० परमार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पश्चिम रेलवे में बागरोद और भिलाई स्टेशनों के बीच रेल लाइन बनाने के लिये जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को गुजरात राज्य सरकार ने क्या सिफारिश की है तथा क्या विचार व्यक्त किये हैं ;

(ग) क्या प्रस्तावित रेल लाइन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच पड़ताल पूरी हो गई है और विस्तृत सर्वेक्षण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस काम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भिल्डी और कोसारोड (वागरोड के पास) एक नई रेलवे लाइन बनाने के संबंध में अभी हाल में गुजरात सरकार का एक प्रस्ताव मिला है ।

(ग) से (ङ). जांच से पता चला है कि इस समय इस लाइन पर जितना यातायात होने की प्रत्याशा है, उसे ध्यान में रखते हुए नयी लाइन के निर्माण और उसके अनुरक्षण पर जो भारी पूंजी लगानी पड़ेगी, उसका औचित्य नहीं है ।

सवारी गाड़ियों का डीजलीकरण

7145. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ मीटर गेज रेल लाइनों पर सवारी गाड़ियों का डीजलीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अहमदाबाद और दिल्ली के बीच डीजल रेलगाड़ी चलाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते ।

इस्पात और इस्पात के सामान का निर्यात

7146. **श्री रा० की० अमीन** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को विदेशों से इस्पात तथा इस्पात से बने सामान के लिये क्रयादेश मिलने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस्पात के सामान का निर्यात करके विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने की कितनी गुंजाइश है ;

(ग) क्या इस व्यापार से लौह-अयस्क का निर्यात बन्द हो जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में लोहे और इस्पात के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है । और अधिक वृद्धि की गुंजाइश है बशर्ते माल उपलब्ध हो ।

(ग) और (घ). जी, नहीं । भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त भण्डार हैं जिनसे विस्तारशील इस्पात उद्योग तथा बढ़ते हुए निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है ।

Availability of Steel Scraps

7147. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the estimated quantity of steel scraps that will be available in the country by the end of the Fourth Five Year Plan ;

(b) the number and site of Steel Plants along with their proposed capacity to be established on the basis of the available steel scraps ; and

(c) whether it is a fact that steel scraps will be surplus in large quantity even at the end of the Fourth Five Year Plan and that it will have to be exported ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The total availability of iron and steel scrap, according to the information supplied by Metal Scrap Trade Corporation, is estimated to be around 2.4 million tonnes in 1973-74 i.e. the last year of the Fourth Five-Year Plan.

(b) The Steel Furnace Industry, which will produce steel based on scrap, has been delicensed. Specific proposals have not been therefore received by us. It is however understood that a plant is proposed to be set up in Kerala for a capacity of 50,000 tonnes and that Mukand Iron and Steel also propose to add to their capacity—by what quantity, it is not known. The setting up of further capacity based on scrap has been recommended by the Steering Group on Iron and Steel and is under Government's consideration.

(c) The exportable surpluses at the end of the Fourth Plan will depend on the scrap based capacity which may come into existence by that time.

Seniority of Assistant Station Master

7148. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there were some Assistant Station Masters whose seniority, as given in the Seniority List No. 2, maintained by the D. S. office of Allahabad Division, had been lowered to the Seniority List No. 3 than it was before ;

(b) if so, the names of those persons and the reasons thereof and the action taken in this regard ;

(c) whether it is also a fact that as per the orders issued by the Office of the Divisional Personnel Officer, Allahabad on the 12th December, 1968 many junior Lever-men have been promoted superseding their senior colleagues ; and

(d) if so, the names of such persons and the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). No seniority List No. 2 or No. 3 was issued by the Divisional Superintendent, Northern Railway, Allahabad but a **provisional** seniority list of A.S.Ms. was issued by him on 31-5-57. Eleven S.M. group students recruited and absorbed as Signallers on ex-N.W. Railway were absorbed as such on Allahabad Division in 1948 and promoted as A.S.Ms. on 23-5-49. They were assigned seniority in the said provisional list on the basis of their dates of promotion as A.S.Ms. On a representation from them and according to their terms and conditions of their service, their seniorty was subsequently revised. As a result, 37 persons became junior to these 11 ex-N.W. Railway employees. Names of these 37 persons are given in the attached statement 'A'. [**Placed in the Library. See No. LT-844/69**] In the circumstances the question of taking any action does not arise.

(c) As per the order dated 12-12-67 (not 12-12-68) issued by Divisional Superintendent Allahabad 6 senior persons could not be promoted as they were undergoing punishments and as such were ineligible for promotion on that date.

(d) The names are given in the attached statement 'B'. [**Placed in Library. See No. LT-844/69.**] In view of the position explained in (c) above, the question of taking any action in the matter does not arise.

Development of Dewas, Maksi and Shajapur Stations (Western Railway)

7149. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a Proposal for the Development of Dewas, Makshi and Shajapur railway stations on Western Railway ;

(b) whether Government have received any complaint that proper facilities of water and light are not available on these stations ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to provide these facilities there ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) There is no proposal for development of Dewas or Maksi Stations.

Shajapur, a station on Guna-Maksi B. G. new line, is yet to be constructed. The question of development of this station, therefore, does not arise at this stage.

(b) No.

(c) Does not arise.

Over Bridge on Level Crossing at Siaganj, Indore

7150. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have considered a scheme to build an over-bridge on the level crossing at Siaganj in Indore ;

(b) if so, when this work would be started and the time by which this would be completed ; and

(c) if not, whether Government would consider this scheme of building an over-bridge in order to avoid any difficulty in traffic and other mishaps, owing to the thick population in that city ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)) : (a) Yes.

(b) The work on bridge structure proper would be taken up by the Railway as soon as the Chief Engineer, Public Works Department, State Government conveys his acceptance to the terms and conditions and estimate already sent to him by the railway and takes up the work on approaches. It is too early to indicate at this stage when the work will be completed.

(c) Does not arise.

Level Crossing between Ujjain and Makrawan Stations

7151. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ujjain-Agra metre-gauge railway line passes through the Ujjain Mill area ;

(b) whether it is a fact that there is no railway level-crossing between Ujjain and Makrawan railway stations ;

(c) whether Government propose to construct a level crossing in front of Vinod Mill Co. and Hira Mill Co. ; and

(d) if so, the time by which this work would be completed ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Presumably the question refers to Ujjain-Agar narrow gauge section which passes through Ujjain City.

(b) No. There are already twenty two level crossing at present of this section.

(c) There already exist an unmanned level crossing in front of Vinod Mills Co. at km 0/5-6 and a manned level crossing in front of Hira Mills Co. at Km. 1/2-3.

(d) Does not arise.

Ujjain District Junction

7152. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to State :

(a) whether Government are considering any plan to develop the Ujjain District Junction by constructing platforms and expanding the waiting rooms ;

(b) if not, whether Government propose to consider this in view of the grievances of the passengers and the difficulty in the railway traffic ; and

(c) if so, whether work in this behalf will be started during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) The existing waiting room and platform facilities are considered adequate.

(c) Does not arise.

Railway Line on Bangalore-Salem Route

7153. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the work of laying railway line on the Bangalore-Salem route has been completed ;

(b) if so, when the work on this route was started and the time taken to complete it ; and

(c) the total amount of money spent thereon ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) The construction of the Salem-Bangalore line was commenced in March, 1962 and the line was opened to passenger traffic in January, 1969.

(c) The estimated cost of the line is Rs. 1017 crores.

लाइसेंस-प्राप्त माल डिब्बा निर्माता

7154. **श्री बे०कु० दासचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितने लाइसेंस प्राप्त माल डिब्बा निर्माता हैं;

(ख) उनका माल डिब्बों का वार्षिक निर्माण कितना है ;

(ग) रेलवे को अपने क्रयादेशों पर जनवरी, 1969 तक कुल कितने माल डिब्बे प्राप्त हुए ; और

(घ) गैर-सरकारी माल डिब्बा निर्माताओं की निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त माल डिब्बा निर्माताओं की कुल संख्या 16 है।

(ख) और (ग). हाल के कुछ वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र के माल डिब्बा निर्माताओं द्वारा माल डिब्बों का उत्पादन इस प्रकार है :

		चौपहियों के हिसाब से उत्पादन
1966—67	..	16,501
1967—68	..	13,956
1968—69	..	11,053

(31-1-1969 तक के पहले 10 महीनों की अवधि में उत्पादन)

(घ) फिलहाल गैर-सरकारी माल डिब्बा निर्माताओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई उपाय करने का विचार नहीं है।

भारत और थाइलैंड के बीच पुनर्बेलन मिल के बारे में समझौता

7155. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाइलैंड के बीच इस्पात पुनर्बेलन मिल के बारे में बैंकाक में एक करार पर हस्ताक्षर हुए ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दोनों देशों के बीच कोई ऐसा करार नहीं हुआ है परन्तु कुछ भारतीय फर्मों और बैंकाक की एक औद्योगिक संस्था के बीच बैंकाक में एक इस्पात पुनर्बेलन मिल स्थापित करने के लिए सहयोग देने के बारे में एक करार हुआ है।

पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन

7156. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री नि० रं० लास्कर :

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट से जम्मू तक रेलवे लाइन पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसे यातायात के लिए कब खोल दिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार जम्मू से कठुआ तक इस रेलवे लाइन को बढ़ाने का भी विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). पठानकोट से माधोपुर और उसके आगे कठुआ तक रेलवे लाइन यातायात के लिए खोली जा चुकी है और कठुआ से जम्मू तक लाइन का निर्माण-कार्य चल रहा है। इस लाइन के निर्माण में कोई परिहार्य विलम्ब नहीं हुआ है। निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है और आशा है कि 1972 के अन्त तक यह लाइन जम्मू तक बन कर तैयार हो जाएगी।

खानालामपुर रेलवे यार्ड में पेट्रोल वैगनों का जलाया जाना

7157. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री यशपाल सिंह :**

श्री हुकमचन्द कछवाय : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 फरवरी, 1969 को सहारनपुर के निकट खानालामपुर रेलवे यार्ड में खड़ी एक माल गाड़ी के कुछ पेट्रोल वैगनों में आग लग गई थी ;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) आग लगने के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। खान आलमपुरा यार्ड में खड़े पेट्रोल के 10 टंकी माल डिब्बे और 17 अन्य माल डिब्बे 4-2-69 को, (15-2-69 को नहीं) आग से प्रभावित हो गये थे।

(ख) वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों की एक समिति द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है और उनके निष्कर्षों की प्रतीक्षा है।

(ग) लगभग 6,34,250 रुपये।

Burning of Ballot Boxes in West Bengal

7158. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Naxalites had launced a drive to burn ballot boxes in West Bengal during the recent mid-term elections there ; and

(b) the steps taken to ensure elections free from such fear and threat ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) It is a fact that information was received to the effect that some Naxalites in West Bengal had, in some secret meetings at some places, expressed their contemplation of destroying ballot papers by putting combustible chemicals inside the ballot boxes. However, they could not make any effective preparation towards the implementation of their plan.

(b) All preventive steps to ensure free and fair elections were taken. There was practically no trouble and no ballot boxes were burnt.

राज्यों में जनजातियों का शोषण

7159. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मध्य प्रदेश, बिहार और कुछ अन्य राज्यों में कुछ बेईमान व्यापारी तथा अन्य लोग जनजातियों के लोगों को उनके वन तथा कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं देते हैं और उनका अन्य तरीकों से भी शोषण कर रहे हैं ।

(ख) क्या इस मामले में सम्बद्ध राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट मांगी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उन रिपोर्टों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) से (घ) . आदिम जातियों के लोगों के शोषण की समस्या का सरकार को पहले से पता है और इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने भी अपनी रिपोर्टों में इस बुराई का विश्लेषण किया है और समय-समय पर विभिन्न उपचारी उपायों का सुझाव दिया है। इसलिए राज्य सरकारों से विशेष रिपोर्टें नहीं मांगी गई हैं ।

रुपया उधार देने पर कानून द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। कर्ज समझौता तथा प्रतिदान के लिए उपाय किए गए हैं। इसके साथ साथ सहकारिताओं द्वारा कर्ज दिए जाने के अन्य साधनों का भी प्रबन्ध किया जा रहा है ।

आदिम जातियों के लोगों की जमीनों का अन्य संक्रामण रोकने के लिए कानूनी उपाय शुरू किये जा रहे हैं।

आवश्यक जरूरतों को उचित मूल्यों पर मुहय्या करने तथा आदिम जातियों के जंगल कृषि उत्पादनों के लिए ठीक मूल्य दिलाने के लिए सहकारी संस्थाओं के गठन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

Fixation of Rates of Iron and Steel

7160. **Shri P. L. Barupal**: Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Order No. AP/34/9N/ES/Cum/Iron and Steel 15 (1) dated the 27th June, 1963 regarding fixation of rates of various kinds of Iron and Steel by the Iron and Steel Controller, published in Part II, Section 3 (2) of the Gazette dated the 1st July, 1963 has not so far been laid on the Table ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): (a) Yes, sir.

(b) while the price notifications issued under the Iron and Steel (Control) Order, 1956 were published in the official Gazette, it was not the practice to place copies of these notifications on the Table of the House. There was no statutory requirement, or a commitment otherwise, which made this necessary.

दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलों में रेल दुर्घटनाएं

7161. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे पर 2 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति घायल हुए ;

(ग) सरकारी सम्पत्ति की कितनी हानि अनुमानतः हुई ;

(घ) मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों तथा पीड़ितों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया ;

(ङ) दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और

(च) कितने मामलों में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 2-1-68 से 31-12-68 की अवधि के दौरान दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलों पर गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार पर गाड़ियों के सड़क यातायात से टकराने की कोटि में आने वाली 216 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप 109 व्यक्ति मर गए और 390 घायल हुए।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 33,19,600 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(घ) अभी तक 4,13,635,88 रुपये का भुगतान किया गया है।

(ङ) सभी रेल दुर्घटनाओं की जांच की जाती है ताकि उनके कारणों का पता लगाया जा सके और उनकी आवृत्ति रोकने के लिए निवारक उपाय किये जा सकें।

(च) एक।

कुछ उद्योग में अप्रयुक्त क्षमता

7162. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोप्स आर्क वैल्डिंग इलेक्ट्रोड्स / वाणिज्यिक मोटर गाड़ियां ढले हुए लोहे के स्पन पाइप और घरों में लगाये जाने वाले बिजली के मीटर बनाने के उद्योगों की पर्याप्त क्षमता समूचे वर्ष में अप्रयुक्त रहती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन उद्योगों को अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) इन उद्योगों में प्रयुक्त की गई क्षमता का प्रतिशत निम्न प्रकार था :—

तारों के रस्से आक्वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स ढले लोहे के मुड़े हुए पाइप	40 प्रतिशत
व्यावसायिक गाड़ियां	63 प्रतिशत
बिजली के घरेलू मीटर	88 प्रतिशत

(ख) योजना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण इन उद्योगों में आन्तरिक मांग में कमी पर्याप्त मात्रा में ऋण का उपलब्ध न होना, 1965 तथा 1966 में लगातार दो बार सूखा पड़ना, नई क्षमता का स्थापित हो जाना, देश के कुछ भागों में श्रमिक अशांति, बिजली के सम्भरण में रुकावट इत्यादि थे।

(ग) स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए उठाये गये पगों में निम्नलिखित भाग सम्मिलित हैं :—

(1) विभिन्न विकास कार्यक्रमों का पूंजीगत वस्तुओं की यथासम्भव पुनः स्थापित हुई मांग की दृष्टि से पुनरीक्षण करना,

(2) प्रभावित उद्योगों में उत्पादन कार्यक्रम में विविधता लाने को प्रोत्साहित करना,

(3) सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में सुदृढ़ विषठान ढांचे के माध्यम द्वारा निर्यात मण्डियों का नियमित विकास करना,

(4) आयात पर यथासम्भव प्रतिबन्ध लगाना,

(5) उद्दात ऋण नीति की घोषणा करना,

(6) बिजली के यथासम्भव निर्बाध सम्भरण के लिए सम्बद्ध प्राधिकारों द्वारा सख्त प्रयत्नशील रहना,

(7) नमूने में उदारतापूर्वक विविधता लाने के लिए किए गए अन्य पायों से व्यावसायिक गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि हो जाने की आशा है।

रेलगाड़ियों में अपराध

7163. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों में किस-किस प्रकार के तथा कुल कितने अपराध हुए; और

(ख) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में पुलिस ने कितने अपराधों का पता लगाया ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में 1966-67, 1967-68 और 1968-69 के दौरान रेलगाड़ियों में जितने अपराधों की रिपोर्ट मिली, उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :—

	1966-67	1967-68	1968-69
हत्याएं			
(i) जितने मामलों की रिपोर्ट मिली	3	—	3
(ii) जितने मामलों का पता लगा	—	—	1
लूट-पाट			
(i) जितने मामलों की रिपोर्ट मिली	16	18	26
(ii) जितने मामलों का पता लगा	11	12	19
डकैतियां			
(i) जितने मामलों की रिपोर्ट मिली	7	15	13
(ii) जितने मामलों का पता लगा	6	15	12
छेड़छाड़			
(i) जितने मामलों की रिपोर्ट मिली	1	1	3
(ii) जितने मामलों का पता लगा	1	—	3
यात्रियों के सामान की चोरी			
(i) जितने मामलों की रिपोर्ट मिली	311	461	425
(ii) जितने मामलों का पता लगा	70	96	83

पलवल-दिल्ली रेलगाड़ियां

7164. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलवल-दिल्ली रेल गाड़ियों की दयनीय दशा के बारे में विभिन्न प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिये तथा उन्हें समय पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सीजन टिकट यात्रियों की और अधिक सुविधा के लिए 22-4-69 से एक अतिरिक्त शटल गाड़ी चलायी जा रही है, जो नयी-दिल्ली से फरीदाबाद के लिए 17.10 बजे छूटेगी । दिल्ली/नयी दिल्ली-फरीदाबाद-पलवाल खण्ड पर चलने वाली 14 लोकल गाड़ियों में से केवल तीन गाड़ियों, अर्थात् 374 अप/373 डाउन और 36 डाउन का चलना संतोषपूर्ण नहीं रहा है । उनके संचालन में सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

रेलवे बोर्ड में सहकारी आवास समिति

7165. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली क्षेत्र में कार्य करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिये रेलवे बोर्ड में एक सहकारी आवास समिति है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; तथा वे किस-किस तारीख को सदस्य बने थे और उस समिति के लेखों में उनके कितने-कितने अंश हैं;

(ग) उन रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें इस समिति के माध्यम से अब तक भूमि आवंटित की गई है;

(घ) 31 मार्च, 1969 तक बने हुए सदस्यों में से शेष सदस्यों को कब तक भूमि आवंटित की जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है और यदि हां, तो आवंटन के लिये विचाराधीन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(च) क्या यह भी सच है कि इस काम की प्रगति बहुत धीमी है और यदि हां, तो इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (च). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय दिल्ली स्थित रेलवे बोर्ड एम्पलाइज को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड से है। यह एक स्वायत्त निकाय है और इससे निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :—

"रेलवे बोर्ड एम्पलाइज को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नं० 1550 के अन्तर्गत 1961 में रजिस्टर करायी गयी थी। इस सोसायटी को सदस्यता इस प्रयोजन के लिए निर्मित उप-नियमों द्वारा विनियमित होती है।

इस सोसायटी के सैकड़ों सदस्य हैं और इन सब का पूरा विवरण देना व्यावहारिक नहीं समझा जाता।

सोसायटी के जरिये अभी तक किसी सदस्य को जमीन अलाट नहीं की गयी है। यह बताना भी सम्भव नहीं है कि उन्हें जमीन कब तक मिल सकेगी।

जमीन अलाट करने के लिए सोसायटी दिल्ली प्रशासन से पत्र-व्यवहार कर रही है और इस दिशा में सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।"

Allocation for Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes During Fourth Plan

7166. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have allocated 100 crores of rupees in the Fourth Plan for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes after seeing the result of mid-term elections ; and

(b) if so, the reasons for not utilising even 100 crores of rupees allocated previously ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao): (a) No, Sir.

(b) Does not arise. It may however be stated that 99% of the allocation was utilised.

कुच-बिहार स्टेशन (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे)

7167. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कुच बिहार (मीटर लाइन) स्टेशन को वर्गोन्नति करते समय वरिष्ठ ग्रेड के सहायक स्टेशन मास्टरों के बारे में क्या नीति अपनाई गई; और

(ख) वरिष्ठ ग्रेड के सहायक स्टेशन मास्टर हटाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) परिचालन और अन्य सम्बद्ध बातों की दृष्टि से स्टेशन के सापेक्ष महत्व के आधार पर सहायक स्टेशन मास्टरों के उच्चतर ग्रेड के पद दिये गये हैं।

(ख) 205-280 रुपये के ग्रेड में सहायक स्टेशन मास्टरों के जो तीन पद कूच बिहार स्टेशन को दिये गये थे, उनमें से कोई पद वापस नहीं लिया गया है ।

बंगलौर-सलेम मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

7168. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट देखी हैं कि बंगलौर सलेम मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जायेगा; और

(ख) क्या यह सच है कि चौथी योजना में रेलवे के निर्माण कार्यों में इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इस तरह का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है । लेकिन सलेम-बेंगलूरू लाइन पर पुलों आदि के लिए बड़ी लाइन मानक के अनुरूप उप संरचनाओं की व्यवस्था की गयी है ताकि जब कभी आवश्यक हो, आमान बदलने में सुविधा हो ।

Industrial Projects in M. P.

7169. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the share of Madhya Pradesh in regard to industrial projects was much less in the first three Five Year Plans whereas it is the largest State in area and has a good wealth of forests ; and

(b) if so, the manner in which the Central Government propose to remove the present imbalance in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). Keeping in view the natural resources and forest wealth of Madhya Pradesh, an investment of Rs. 414.4 crores was made in central industrial projects in that State during the first three Five Year Plans, which compares very favourably with similar investments in any other State. A further investment of Rs. 44.7 crores was made on these projects during 1966-68 and an additional investment of Rs. 153 crores is estimated to be made on these projects for their completion. In the State sector, various industrial schemes such as industrial areas, strengthening of the Industrial Development Corporation and promotion of industrial research and survey have been taken up during this period. An investment of Rs. 6.36 crores has been made on these schemes during 1951-68.

Central Industrial Projects in Madhya Pradesh

7170. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the names of the Central Industrial Projects in Madhya Pradesh, whose implementation or extension has been sanctioned by the Planning Commission ;

(b) the total amount of money spent so far on these projects ; and

(c) the benefits likely to accrue after the completion of those projects?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) So far, four industrial projects in the Central Sector have been set up in Madhya Pradesh. These are the Bhilai Steel Plant (including expansion), Heavy Electrical Plant, Bhopal (including expansion), Nepa Paper Mills (including expansion) and Security Paper Mills. In addition, three central industrial projects viz. Korba Aluminium Project, New Alkaloid Factory and Mandhar Cement Factory are under implementation.

(b) The investment on these projects during 1951-68 was Rs. 459.1 crores ; a further investment of Rs. 153 crores is estimated to be required for their completion.

(c) These projects would not only be manufacturing a wide range of essential commodities such as steel, paper, aluminium and cement but also complex and sophisticated equipment as in the case of Heavy Electrical Plants at Bhopal. The implementation of these projects would yield immense benefits, not only in terms o utilisation of raw materials and substantial increase in the gross national product but also in terms of considerable increase in employment opportunities. The production in these plants would also bring about a great reduction in the imports of these essential items. A statement showing the investment made/to be made, together with the item of manufacture and the annual capacity to be achieved after completion of these projects, is attached. **[Placed in Library. See No. LT-844/69]**

Setting up of Pulp Factory in Fourth Plan

7171. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Tra de and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the location of proposed pulp factory for manufacturing newsprint during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether a blueprint for such a factory to be established at Dandakaranya has been submitted to Government ; and

(c) if so, the estimated cost thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) There is no proposal to set up pulp factory for manufacturing newsprint but a composite scheme for manufacturing pulp newsprint in Kerala is under examination.

(b) No, Sir ; but a composite scheme for manufacture of pulp/printing and writing paper in the Dandakaranya area is under consideration of Government.

(c) The estimated cost of the Dandakaranya scheme is Rs. 17.22 crores exclusive of working capital.

Slump in Small Scale Industries in Madhya Pradesh

7172. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government to remove the slump in the industrial sector in Madhya Pradesh particularly in the Small-Scale Industries ;

(b) the facilities and incentives being given to the industrialists in Madhya Pradesh for increasing the production ; and

(c) the extent to which the demand for scarce raw-material and imported raw-material is being met during the current year and whether there is possibility of the condition of small scale industry in Madhya Pradesh to improve ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Master Plan for Electrification of Railways

7173. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for not preparing a Master Plan for electrification of Indian Railways ; and

(b) when it is proposed to be prepared ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Electrification is being carried out according to a planned programme as will be seen from the progress made in the Second and Third Five Year Plans in electrification of the coal and steel belt as well as the main line from Howrah to Delhi and that from Howrah to Bombay. But it is not considered advisable to prepare a detailed long term rigid plan in the absence of accurate data regarding the nature and quantum of rail transport demand over a long term period. Electrification being highly capital-intensive, is justified only on sections of high traffic density which at present cannot be assessed very much in advance.

Appointment of Casual Labourers Against Permanent Posts

7174. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Department have decided to give priority to the casual labour for the purpose of filling permanent posts there ;

(b) if so, the number of casual labourers who have been appointed against permanent posts and also of those who are yet to be appointed against such posts ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Provision of a Retiring Room at Danapur Railway Station (Eastern Railway)

7175. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Danapur Division has an important position in the Eastern Railway ;

(b) whether it is also a fact that the Danapur Cantonment Board is located about four miles off Danapur Railway Station ;

(c) whether it is also a fact that inspite of all this, there is no retiringroom for passengers at Danapur Railway Station ;

(d) if so, the reasons therefor ;

(e) Whether Government propose to construct a waiting room there ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a). Yes.

(b). Yes.

(c). Yes.

(d). As Danapur is neither a State Capital nor an industrial or tourist/pilgrim centre, there is no justification for providing a retiring room at this station. Even otherwise the passenger traffic dealt with at the station does not warrant the provision of a retiring room.

(e) No.

(f) Separate Upper Class Waiting Rooms for Ladies and Gents in addition to one Third Class Waiting Hall are already available at Danapur.

स्टेशन मास्टरों द्वारा रजिस्टरों का रखा जाना

7176. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्टेशन के, जहां सभी विभागों का काम रहता है, स्टेशन मास्टर द्वारा कुल कितने दैनिक रजिस्टर रखे जाते हैं;

(ख) स्टेशन मास्टर को अलग-अलग कुल कितने दैनिक तथा मासिक विवरण प्रस्तुत करने होते हैं;

(ग) उन स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है जहां स्टेशन मास्टरों को डिवीजन-वार टिकटें बुक करनी पड़ती है; और

(घ) बुकिंग क्लर्क का पद किस आधार पर बनाया जाता है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सर्वोंगपूर्ण स्टेशनों के स्टेशन मास्टर द्वारा प्रतिदिन रखे जाने वाले रजिस्टरों की संख्या और उनके द्वारा भेजे जाने वाले अपेक्षित विवरणों की संख्या हर स्टेशन पर अलग-अलग होती है जो यातायात की स्थानीय स्थिति और स्टेशन मास्टरों के लिए निर्धारित ड्यूटी जैसी अन्य बातों पर निर्भर है। जहां औचित्य होता है, स्टेशन मास्टरों की सहायता के लिए आवश्यक क्लर्कों की भी व्यवस्था रहती है। अतः संभव है कि स्टेशन मास्टर, अधिकांश मामलों में, रजिस्टर और विवरण स्वयं तैयार न करते हों, लेकिन पर्यवेक्षक की हैसियत से अन्ततोगत्वा इनकी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है।

(ग) सूचना संलग्न अनुबन्ध में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 846/69]

(घ) बुकिंग क्लर्कों के पदों के सृजन के लिए सभी रेलों में एक जैसा मापदण्ड निर्धारित नहीं है। स्थानीय स्थितियों के आधार पर अलग-अलग रेलों में अलग-अलग मापदण्ड हैं।

रेलवे की मार्ग परिपथ (ट्रैक सर्किट) लाइनें

7177. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों के कुल कितने स्टेशनों पर रेलवे की मार्ग परिपथ (ट्रैक सर्किट) लाइन नहीं है और ऐसे स्टेशनों की संख्या कितनी है, जो परस्पर जुड़ी हुई नहीं (नान-इन्टरलाक्ड) हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (i) भारतीय रेलों में ऐसे स्टेशनों की कुल संख्या 5312 है जहां रेलवे लाइनों का परिपथन नहीं किया गया है।

(ii) अनन्तर्पाशित स्टेशनों की कुल संख्या 1323 है।

सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति

7178. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियुक्ति के बाद सहायक स्टेशन मास्टर की पदोन्नति के अवसरों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या दण्ड के मामले में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों को संयुक्त कर्मचारी वृन्द समझा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारण है कि उन्हें पदोन्नति के लिए वाणिज्यिक विभाग में वाणिज्यिक निरीक्षक, माल पर्यवेक्षक, सवारी-गाड़ी पर्यवेक्षक, दर निरीक्षक, दावा निरीक्षक, प्रशुल्क कार्यालय सहायक आदि के रूप में पदोन्नति के अवसर नहीं दिये जाते ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इसके बारे में सामान्य स्थिति भारतीय रेल स्थापना नियमावली (द्वितीय संस्करण) के अध्याय 1 के खण्ड 'ख' के पैरा 121 में बतायी गई है। सम्बन्धित पैरा के उद्धरण की एक प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 847/69] लेकिन इस पैरा में दी गई सरणियां केवल दृष्टांत रूप में हैं, परिपूर्ण नहीं हैं। वास्तविक सरणियां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एक रेलवे से दूसरी रेलवे में अलग-अलग हो सकती हैं।

(ख) कुछ स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को कुछ वाणिज्यिक काम करने पड़ते हैं और इस सीमा तक यदि वाणिज्यिक काम करते समय उनसे कोई अनियमितता हो जाती है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) इस तथ्य के आधार पर, कि कुछ स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों से वाणिज्यिक काम लिया जाता है, उन्हें वाणिज्यिक विभाग में पदोन्नति सरणि देना उचित नहीं समझा जाता। स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये उनके अपने परिवहन विभाग में पर्याप्त पदोन्नति सरणियां उपलब्ध हैं।

फीरोजपुर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के सीमा क्षेत्रों में नियुक्त रेल कर्मचारियों को असैनिक सुरक्षा का प्रशिक्षण

7179. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल उत्तर रेलवे में, विशेष कर फीरोजपुर डिवीजन में सीमावर्ती क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों को असैनिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए असैनिक सुरक्षा निरीक्षक का एक भी पद नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रीय मेलों में इस प्रकार के पद हैं ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में असैनिक सुरक्षा कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है ;

(ङ) क्या उत्तर रेलवे में, विशेषकर फीरोजपुर डिवीजन जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में, जिसे अब भी पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है, असैनिक सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति करके उसे अन्य क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). उत्तर रेलवे में सिविल रक्षा निरीक्षकों के कोई स्वीकृत पद नहीं है ; लेकिन इस रेलवे में कर्मचारियों को सिविल रक्षा का प्रशिक्षण देने का काम सिविल रक्षा अनुदेशक करते हैं।

(ग) जी हां, पूर्व रेलवे के सिवाय।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 848/69**]

(ङ) जी नहीं।

(च) कर्मचारियों को सिविल रक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर रेलवे में इस समय 13 अनुदेशक (4पूर्णकालिक और 9 अंशकालिक) हैं। इस रेलवे में लगभग 96 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना था, जिन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। फिरोजपुर मण्डल के 98.17 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना था। इन्हें भी प्रशिक्षित किया जा चुका है।

जापान से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

7180. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री सीताराम केसरी : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रा० कृ० सिंह : **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर-सरकारी जापानी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल मार्च, 1969 में भारत आया था और उसने सरकार के साथ पारस्परिक हितों के मामलों पर विचार विमर्श किया था ; और

(ख) क्या उस व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप भारत द्वारा जापान को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना है और यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जापान उत्पादिता केन्द्र के तत्वावधान में एशियाई उत्पादिता संगठन द्वारा प्रेषित, टोकियों शिबोरा एलेक्ट्रिक कम्पनी लि० में अध्यक्ष श्री बोशियो डोको की अध्यक्षता में एक आठ सदस्यीय गैर-सरकारी जापानी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने उत्पादन क्षमता पर विचार विनिमय करने तथा भारत के औद्योगिकरण का निरीक्षण करने के उद्देश्य से तथा दोनों देशों के बीच व्यापार एवं औद्योगिक सहयोग की गुंजाइश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च, 1969 में भारत का दौरा किया था । उनके साथ यहां हुए विचार विमर्श के दौरान उन्हें निर्मित एवं अर्ध निर्मित वस्तुओं की एक सूची दी गई थी जिनका जापान को उनके अत्यन्त सूक्ष्म उद्योगों की आवश्यकता पूरी करने के लिये सम्भरण किया जा सकता है । उन्होंने ऐसी वस्तुओं की सूची भारत को भेजना स्वीकार कर लिया जिन्हें जापान के उद्योग भारत से प्राप्त करने में रुचि रखते हैं । उन्होंने भारतीय उद्योगों को निर्यात किये जाने वाले भारतीय माल की किस्म में सुधार करने के लिये सहयोग देने के सम्बन्ध में भी अपनी इच्छा प्रकट की ।

Attending to Trains at New Delhi Station

7181. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) how long before the scheduled departure, the trains are brought at the platforms at New Delhi station ; and

(b) whether the train checking staff attend these trains immediately after their having been brought to the platform or only five minutes before their departure ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Generally between 30 minutes and 45 minutes.

(b) Train checking staff attend to the trains immediately after these are brought to the platform.

Luggage Trolleys at Delhi Station

7182. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of luggage trolleys at New Delhi and Old Delhi Railway Stations ;

(b) the number out of them separately which are in working order and which are out of order ; and

(c) whether the number of luggage trolleys operating at New Delhi Station is sufficient for 441 coolies ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) There are 10 luggage trolleys at New Delhi and 46 at Old Delhi Station for use of Licensed Porters.

(b) All the trolleys at New Delhi and Old Delhi Railway Stations are in working order.

(c) No. Action has been taken to provide more trolleys.

मनीपुर की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा कम आय वाले वर्गों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

7184. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा कम आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिये 1968-69 में कुल कितनी वित्तीय राशि स्वीकार की गई ;

(ख) उक्त तीनों वर्गों के छात्रों के लिये वर्गवार वास्तव में कुल कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) जिन विद्यार्थियों को चालू वर्ष में कम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी गई है, उनके अभिभावकों की आय कितनी है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) 28.87 लाख रुपए ।

(ख) मनीपुर प्रशासन से तार द्वारा प्राप्त हुई सूचना के अनुसार आंकड़े इस प्रकार हैं :

अनुसूचित आदिम जातियां	7.00 लाख रुपये
कम आय वर्ग	21.42 ,,

अनुसूचित जातियों के बारे में इस प्रकार की सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) कम आय वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से लागू होने वाली निम्नलिखित जीविका साधन जांच के बाद की जाती है :

तकनीकी पाठ्यक्रम	2400 रुपये प्रति वर्ष
गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम	2000 ,,

बिजली के सामान का बनाया जाना

7185. **श्री शशिभूषण** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली का कितने प्रतिशत सामान गैर सरकारी क्षेत्र में बनाया जा रहा है और उसमें विदेशी कम्पनियों द्वारा बनाए जा रहे सामान की प्रतिशतता क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिड़ला ग्रुप के उद्योगों द्वारा समवाय अधिनियम का उल्लंघन

7186. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला ग्रुप के उद्योगों ने गत तीन वर्षों में कितनी बार समवाय अधिनियम का उल्लंघन किया, आयकर सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क का अपवंचन किया शेयर बाजार में हेराफेरी की, रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा रखी और बैंकों से अग्रिम राशि आदि के मामले में हेराफेरी की ;

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या संसद में यह आश्वासन दिये जाने के बाद कि बिड़ला ग्रुप की फर्मों को कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जायेगा उन्हें कोई नये लाइसेंस दिये गये ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि बिड़ला उद्योग समूह को औद्योगिक लाइसेंस स्वीकार करने पर रोक लगा दी जायेगी । वर्ष 1967 में और उससे आगे इस वर्ग को 11 लाइसेंस दिये जा चुके हैं जिनमें से पांच लाइसेंस नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने तथा छः विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों का पर्याप्त विस्तार करने के

लिये हैं। जारी किये गये लाइसेंसों का ब्योरा वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज ऐण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, दि वीकली इण्डियन ट्रेड जर्नल तथा द मंथली जर्नल आफ इण्डस्ट्री ऐण्ड ट्रेड में प्रकाशित किया जाता है। इन पत्रिकाओं की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

मूक और बधिरों के लिये गर्वनमेंट लेडी नायस स्कूल की बसों की अनियमित सेवा

7187. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मूक तथा बधिरों के लिये गवर्नमेंट ने लेडी नायस स्कूलों में बच्चों को स्कूल लाने वाली बसों की सेवा नियमित नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो यह सच है कि बच्चों के अभिभावकों को बहुत बार बसें न आने पर भी पूरा भुगतान करने के लिये वाध्य किया जाता है ; और

(ग) बस सेवा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) नहीं, श्रीमान; परन्तु बसें पुरानी होने के कारण कभी-कभी खराब हो जाती हैं ;

(ख) अभिभावकों से नाममात्र का अंशांकित प्रभार लिया जाता है, चाहे फासला कितना ही हो और बसें कितनी ही बार क्यों न आई हों।

(ग) 1968 में इन चार बसों की मरम्मत पर लगभग 14,200 रुपये की राशि खर्च की गई थी।

शहाद स्टेशन (मध्य रेलवे) पर प्लेटफार्म

7188. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर उल्हास नगर के निकट शहाद स्टेशन पर आप प्लेटफार्म के ऊपर छत बढ़ाने के लिये 1.23 लाख रुपये पृथक रखे गये हैं ;

(ख) इस परियोजना पर कब कार्य शुरु करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) कार्य कब पूरे हो जाने की आशा है ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह काम यथा सम्भव शीघ्र शुरु किया जायेगा।

(ग) आशा है 1970 के मानसून से पहले यह काम पूरा हो जायेगा।

त्रिपुरा से अगरतला तक रेलवे लाइन का विस्तार

7190. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अगरतला तक रेलवे लाइन के विस्तार लाभप्रद होने तथा सम्भाविकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है तथा इससे वार्षिक आय कितनी होगी ;

(ख) त्रिपुरा में 7 मील लम्बी वर्तमान रेलवे लाइन पर लागत तथा वार्षिक आय सम्बन्धी वास्तविक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या लोक लेखा समिति के 49वें प्रतिवेदन में "वास्तविक आधार पर रेलवे की क्षमता की योजना बनाने" की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये त्रिपुरा में रेलवे लाइन को अगरतला तक बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार ने पुनर्विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय रवैया क्या है ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). धरमनगर और अगरतला बीच एक रेल लाइन बनाने के सम्बन्ध में पहले कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था । 2.3 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 31 किलोमीटर लम्बी कलकलीघाट धरमनगर लाइन बनायी गई है । चूंकि त्रिपुरा के अन्तर्गत आने वाला खण्ड कलकलीघाट-धरमनगर लाइन का हिस्सा है, इसलिये त्रिपुरा में पड़ने वाले भाग की लागत, खर्च प्रतिफल आदि के सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है । धरमनगर से अगरतला तक एक रेलवे लाइन की तकनीकी व्यावहारिकता और अर्थक्षमता की जांच करने के लिए आलोच्य वर्ष में प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव । सर्वेक्षण पूरा होने और उसके परिणामों का पता लगने पर इस परियोजना के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा ।

त्रिपुरा में रेलवे लाइनों का विस्तार

7191. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा में रेलवे के विस्तार के लिये अथवा उस राज्य में रेल सुविधाओं के विकास के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा के अन्दर रेलवे लाइन का अगरतला/सबरूम तक और विस्तार करने के लिये जोर देती रही है । धरमनगर से अगरतला तक रेलवे लाइन की तकनीकी व्यावहारिकता और अर्थक्षमता की जांच

करने के लिये चालू वर्ष में प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का विचार है सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने और उसका परिणाम मालूम होने के बाद ही इस परियोजना के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा ।

जेल, कैदियों और जेल प्रशासन सम्बन्धी कानून में संशोधन

7192. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री दे० वि० सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुई एक गोष्ठी में विभिन्न राज्यों के जेलों के इंस्पेक्टर जनरल और समाज कल्याण निदेशकों ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि जेल कैदियों और जेल प्रशासन सम्बन्धी कानून में पूर्ण संशोधन की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) गोष्ठी में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

उद्योगों की स्थापना पर नियंत्रण हटाया जाना

7193. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के प्रधान ने उद्योगों की स्थापना तथा उनके मूल्य तथा वितरण पर सभी नियंत्रण तथा विनियम हटाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने अपने प्रकाशन गाइडलाइन्स फार दी फोर्थ प्लान में मूल्यों से नियन्त्रण हटा लेने तथा औद्योगिक लाइसेंस देने के नियन्त्रण में प्रगत्यात्मक रूप से ढील देने के सुझाव दिये हैं ।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस नियन्त्रण और मूल्य तथा वितरण नियन्त्रण पर सरकार निरन्तर पुनर्विचार करती रहती है और जहां इन नियन्त्रणों को आवश्यक नहीं समझा जाता, इनमें ढील देने अथवा हटाने के लिये कार्यवाही की गई है और की जा रहीं है ।

उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में पर्याप्त लेखन सामग्री का न दिया जाना

7194. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री प० ल० बारूपाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में कार्बन पेपर, पेंसिल आदि लेखन सामग्री की सप्लाई बहुत अपर्याप्त है और कर्मचारी उन वस्तुओं को बाजार से खरीदते हैं जबकि शुल्क दत्त पार्सल पुस्तकों, पैड पार्सल बुकों जैसी हिसाब-किताब रखने वाली पुस्तकें नियमित रूप से सप्लाई नहीं की जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पार्सल बुक करने के लिये माल की बिल्टियों तथा अतिरिक्त भाड़ा टिकट पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो लेखन सामग्री की वस्तुओं की अनियमित सप्लाई के क्या कारण हैं और उसके लिये उत्तरदायी कौन हैं ; और

(घ) भविष्य में पर्याप्त सप्लाई के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह स्वीकृत परिपाटी नहीं है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) लेखन सामग्री की सामान्य खरीद, मुद्रण और लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक के माध्यम से की जाती है । लेकिन रेलों को, आपात स्थिति में अर्थात् लेखन सामग्री विभाग से सप्लाई में देर होने/सप्लाई न होने या अचानक अप्रत्याशित मांग की स्थिति में सीधी खरीद करने के लिये पूरे अधिकार दिये गये हैं, लेकिन शर्त यह है कि इस प्रकार की खरीद एक बार में तीन महीने की आवश्यकता से अधिक की नहीं होनी चाहिये ।

अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क संस्था से अभ्यावेदन

7195. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री प० ल० बारूपाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय वाणिज्यिक क्लर्क संस्था ने साबरमती माल

गोदाम के गुड्स क्लर्कों की शिकायतों के बारे में पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक, मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक तथा बड़ौदा के डिवीजनल अधीक्षक को अभ्यावेदन भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुये अभ्यावेदनों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह अभ्यावेदन साबरमती मालगोदाम के माल बाबुओं की कठिनाइयों के बारे में तथा कार्य-घंटा विनियमों के कथित उल्लंघन के विरुद्ध किया गया था ।

(ग) चूंकि इसमें कई निर्दिष्ट मुद्दों का उल्लेख है, इसलिये रेल प्रशासन द्वारा शिकायतों की जांच की जा रही है ।

Education and Economic Uplift of Scheduled Castes

7196. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in April, 1965 a Committee to consider the problems of education and economic uplift of Scheduled Castes was set up under the Chairmanship of Shri L. Elayaperumal ;

(b) if so, whether the said Committee has submitted its interim and final reports ; and

(c) if so, the main recommendations made therein and details of the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Muthyal Rao): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) A copy of the final Report of the Committee on Untouchability, Economic and Education Development of the Scheduled Castes has been laid on the table of the Lok Sabha on 10-4-1969. Copies of the Report have also been supplied to the Library of the Parliament House.

The recommendations made in the final Report are being examined in consultation with the State Governments and other authorities concerned.

As regards the main recommendations made in the interim report of the Committee and the action taken thereon, attention is invited to the reply given in the House to the unstarred question No. 3366 dated 5th December, 1968.

Production of Companies in Private Sector with Foreign Collaboration

7197. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3974 on the 10th Dececmber, 1968 and state :

(a) the production of the Companies in the private sector during the last three years, year-wise ;

(b) whether it is a fact that major portion of their production has been exported to foreign countries ;

(c) whether it is also a fact that foreign collaborators get more profit in proportion to the share of their capital ; and

(d) if so, the details regarding the distribution of their profit and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). The Reserve Bank of India have recently published a "Survey Report on Foreign Collaboration in Indian Industry" which **inter alia** gives an overall assessment of foreign collaboration agreements in force which had obtained Government's approval not later than March, 1964. Information as to the value of total production, value of exports and the extent of remittances by way of dividends and profits in the case of each companies having foreign collaboration is contained in this survey. Copies of the survey report are available in the Parliament Library.

Security Printers of India Ltd., Kanpur

7198. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Security Printers of India Limited, Kanpur was set up with collaboration of W. W. Sprag and Company of U. K.

(b) whether it is fact that the shares of U. K. are more in this collaboration or whether the production work is progressively increasing ;

(c) if so, the details of production and profit from 1965-66 till 1968-69 ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

औद्योगिक नीति संकल्प को उदार बनाना

7199. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक-व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के लिये रक्षित क्षेत्र में चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के साझा उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक नीति संकल्प को उदार करने के प्रश्न पर सरकार हाल ही में विचार करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन विशेष क्षेत्रों में ऐसे उपक्रम शुरू किये जाते हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में यात्री पथप्रदर्शक

7200. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व यह निर्णय किया गया था कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 150-225 रुपये के वेतनमान में सीधी भर्ती किये गये उन यात्री पथप्रदर्शकों को, जो कई वर्षों से अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, सीनियर ग्रुप इंस्पेक्टर तथा टी० टी० ई० के वेतनमान में पदोन्नति दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्हें पदोन्नति देने की बजाय दिल्ली डिवीजन की संयुक्त वरियता सूची में उनसे बहुत कनिष्ठ व्यक्तियों को टी० टी० ई० के पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों के लिये पदोन्नति का यह मार्ग खोलने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यात्री (समाज) सहायकों की वरिष्ठता का प्रश्न श्रम संगठनों द्वारा उठाया गया था । अन्तरिम उपाय के रूप में उत्तर रेलवे से कहा गया है कि इस सम्बन्ध में विचार होने तक ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति के लिये चुनाव स्थगित रखे जायें । इससे पहले यह प्रश्न कुछ कर्मचारियों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में उठाया जा चुका था और चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिये इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में यात्री पथप्रदर्शक

7201. **श्री स० अ० अगडी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 150-225 रुपये के वेतनक्रम में नियुक्त किये गये यात्री पथप्रदर्शक गत 10 वर्षों से अधिक समय से अपने वेतनक्रम में अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं और यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनका पदोन्नति क्रम निर्धारित करने के लिये कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह निर्णय लागू कर दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस वर्ग के कर्मचारियों को और कठिनाई होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, 150-225 रु० (निर्धारित वेतनमान) में नियुक्त 4 यात्री सहायक अब भी उसी ग्रेड में 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं।

(ख) 1955 में यह विनिश्चय किया गया कि यात्री सहायकों को टिकट जांच संवर्ग में पदोन्नति-सरणि उपलब्ध की जाये । 1957 में उन्हें कुछ अन्य सामान्य पदों पर अतिरिक्त पदोन्नति-सरणि उपलब्ध की गयी। इन यात्री सहायकों की वरिष्ठता के बारे में 1962 में नये सिरे से निर्णय किया गया।

(ग) और (घ). इसे अभी पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि वरिष्ठता का प्रश्न श्रम संगठनों द्वारा उठाया गया था। अन्तरिम उपाय के रूप में उत्तर रेलवे से कहा गया है कि इस सम्बन्ध में विचार होने तक ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति के लिये चुनाव स्थगित रखे जायें। इससे पहले यह प्रश्न कुछ कर्मचारियों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में उठाया जा चुका था और चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिये इस पर अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों सम्बन्धी यारदी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

7202. **श्री हीरजी भाई** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० आर० यारदी की अध्यक्षता में बनाये गये कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यकारी दल ने अनुसूचित जातियों के बारे में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) इस प्रतिवेदन में अनुसूचित आदिम जातियों को सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) और (ख). लोक सभा में 12 अगस्त, 1968 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3505 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ग) अनुसूचित जातियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों के अनुसरण में कार्यकारी वर्ग की नियुक्ति की गई थी।

दो अन्य समितियां, एक श्री शिलो आओ की तथा दूसरी श्री हरिसिंह की अध्यक्षता में, अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं की जांच करने के लिये अलग से गठित की गई थी।

इस्पात कारखानों में लागत नियंत्रण कार्यक्रम

7203. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री रा० कृ० सिंह :

क्या **इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने भारतीय इस्पात उत्पादों का विक्रय मूल्य, विशेषतः विदेशी मंडियों में कम करने के लिये सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों में लागत नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इससे इस मामले में कहां तक सहायता मिलने की आशा है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने उत्पादन लागत पर नियंत्रण रखने और उसे कम करने के लिये कई कदम उठाये हैं । इनमें कम्पनी के नियंत्रण में सभी खर्चों का सतत पुनर्विलोकन, उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में कच्चे माल, शक्ति और उत्पादन के मापदण्ड निश्चित करना, धमन भट्ठियों की उत्पादित बढ़ाने के लिये सिन्टर का अधिक प्रयोग करना शामिल है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादों के विक्रय-मूल्य निश्चित करने से पूर्व कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है ।

उत्तर रेलवे यातायात लेखा वरिष्ठता एकक में प्रथम श्रेणी के क्लर्क तथा सब-हैड

7204. **श्री के० रमानी :**
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे यातायात लेखा वरिष्ठता एकक (दिल्ली, जालंधर तथा जोधपुर) में 1 अप्रैल, 1968 से अब तक 30 दिन से अधिक अवधि के लिये कितने प्रथम श्रेणी के क्लर्कों तथा सब-हैडों को छुट्टी दी गई ; और

(ख) इन पदों पर द्वितीय श्रेणी के कितने क्लर्क (परिशिष्ट 2-क अर्हता प्राप्त तथा अनर्ह पृथक-पृथक) प्रथम श्रेणी के क्लर्क के रूप में पदोन्नत किये गये ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 849/69]**

Enquiry Regarding Harassment of Traffic Trainees of the Ministry of Railways

7205. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether an enquiry was made at the Prime Minister's level into the harassment of the Traffic Trainees of the Ministry of Railways belonging to Scheduled Castes by the Railway Officers by adopting discriminatory attitude based on untouchability ;

(b) the implications of her assurance "I am having the enquiry made" given in the letter written to the Members of Parliament and the nature of enquiry made ; and

(c) the outcome of the enquiry and the reasons for not including the aggrieved employees in the enquiry and for not giving them an opportunity to give evidence ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Normal official enquiry was made.

(c) There has been no harassment or discriminatory treatment meted out to the ex-Traffic Trainees. The question of associating the ex-employees to any enquiry did not arise as this was not an enquiry under the Discipline and Appeal rules but only an administrative enquiry.

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में नियुक्त यातायात प्रशिक्षु

7206. **श्री चंद्रिका प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में नियुक्त 22 यातायात प्रशिक्षुओं में से 8 यातायात प्रशिक्षुओं को अभी तक 250-380 रुपये के वेतनक्रम में जिसके लिये उन्हें भरती किया गया था, नियुक्त नहीं किया गया है यद्यपि उनमें से अधिकतर व्यक्तियों ने अपने तीन वर्ष के प्रशिक्षण के बाद सात वर्ष की नौकरी पूरी कर ली है ; और

(ख) क्या उन्हें 205-280 रुपये वाले निचले वेतनक्रम में काम करने के लिये बाध्य किया जाता है यद्यपि उनमें से अधिकतर लोगों को दिसम्बर, 1962 से 250-380 रुपये का वेतनक्रम मिल रहा है जिनके परिणामस्वरूप उनकी वरिष्ठता का प्रश्न उत्तरोत्तर जटिल होता जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आदिवासी

7207. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आदिवासियों की संख्या तीव्र गति से घटती जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दक्षिण तथा मध्य अन्दमान के पश्चिमी भागों में रहने वाले जारवास तथा सेंटीनल सजातियों की संख्या बहुत कम हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इन जातियों के लोगों की संख्या कितनी कम हो गई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज-कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) से (घ). अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में आदिम जातियों की जनसंख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 850/69**]

भारवास सेंटीनलस तथा शोमपेन शत्रुतापूर्ण आदिम जातियां हैं तथा उनके बारे में काम सूचना उपलब्ध है । जहां तक अंडमानियों और ओनगेज का सम्बन्ध है, एक डाक्टरी सर्वेक्षण से पता चला है कि उनमें विटामिन 'ए' की कमी है और उनमें राऊंड वोर्म तथा हुक वोर्म संक्रमण, फुफ्फुस और चमड़ी के रोग पाए जाते हैं तथा सम्भवतया रति रोगों के कारण वहां बड़ी संख्या में मृत्यु बच्चे पैदा होते हैं ।

ओगेज के लिये एक प्राथमिक स्कूल तथा एक औषधालय खोल दिये गये हैं । उन द्वीपों में कल्याण कार्य करने के लिये सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को मनाया जा रहा है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन

7208. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास पर विचार करने के लिये 24 से 27 मार्च, 1969 को काहिरा में 40 अफ्रीकी-एशियाई देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या भारत से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल भी आर्थिक सहयोग के लिये अफ्रीकी-एशियाई संगठन द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 34 अफ्रीकी एशियाई देशों के प्रतिनिधियों तथा 12 विश्व संगठनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन काहिरा में हुआ था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आशा है कि भविष्य में छोटे उद्योगों के विकास के लिये अधिक अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त होने की सम्भावना हो जायगी । सम्मेलन के निर्णयों में से एक यह भी था

कि अफ्रीका और एशिया में लघु उद्योगों के विकास के लिये सहयोग तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि आर्थिक सहयोग के लिये अफ्रीकी एशियाई संगठन एक ऐसी संस्था की स्थापना को उच्च प्राथमिकता दे और इसमें उस सम्मेलन में भाग लेने वाले संगठन तथा तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित अन्य संगठन भी सम्मिलित हों और यह संस्था लघु उद्योगों के विकास से सम्बद्ध सभी प्रकार की जानकारी के आदान प्रदान की व्यवस्था करें जिसमें विपणन अवसरों लघु उद्योग प्रशिक्षण योजनाओं और उपयुक्त प्रौद्योगिकीय खोजों के बारे में जानकारी देना भी सम्मिलित है।

दिल्ली में अस्पृश्यता

7209. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मार्च, 1969 के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित एक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार दिल्ली में अभी भी किसी न किसी रूप में अस्पृश्यता प्रचलित है ;

(ख) क्या इसकी सबसे खराब बात यह है कि इसे मानने वाले और इससे पीड़ित होने वाले दोनों इसे जीवन की वास्तविकता के रूप में स्वीकार करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) से (ग). इस सर्वेक्षण में उन व्यक्तियों की आत्मनिष्ठ अभिवृत्तिका निर्देश किया गया है, जिनसे सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिये समालाप किया गया था तथा इसका सम्बन्ध अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आने वाली किसी विशिष्ट अयोग्यता से नहीं है। इस सर्वेक्षण से केवल यही पता चलता है कि हरिजनों तथा अन्य लोगों में सामाजिक मेल जोल नहीं है।

विश्व विकलांग व्यक्ति दिवस

7210. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 मार्च, 1969 को दिल्ली में हुई एक गोष्ठी में बम्बई की विकलागों के पुनर्वास सम्बन्धी भारतीय समिति के तत्वावधान में 'विश्व विकलांग दिवस' मनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या-क्या सिफारिशें की गई ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) विश्व के अधिकतर देशों में प्रत्येक वर्ष के तीसरे रविवार को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष तीसरा रविवार 16 मार्च, 1969 को था, जिसे अधिकतर स्थानों में मनाया गया था। अलबत्ता, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी भारतीय समिति ने, जिसका मुख्य कार्यालय बम्बई में है, देश के विभिन्न दिनों पर मनाया था। दिल्ली में यह 23 मार्च, 1969 को मनाया गया था, परन्तु कोई गोष्ठी नहीं हुई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

तेलंगाना (आंध्र प्रदेश) में आन्दोलन के कारण रेलवे को हुई हानि

7211. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलंगाना में आन्दोलन से रेलवे को कितनी हानि हुई;

(ख) इसी कारण कितनी रेलवे सम्पत्ति नष्ट की गई; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के उस दंगाग्रस्त क्षेत्र में रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). कुल लगभग 2,71,567 रुपये की हानि हुई जिसमें गाड़ियों को रद्द किये जाने के कारण 2,00,917 के राजस्व की हानि और इंजीनियरिंग, सिगनल और दूर-संचार, वाणिज्यिक, यांत्रिक, बिजली और स्टेशनों के उपस्कर में क्षति के कारण 70,650 रुपये की हानि शामिल है।

(ग) राज्य पुलिस के सहयोग से सभी एहतियाती कार्रवाइयां की जाती हैं और रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र स्कंध की कम्पनियों को रेल गाड़ियों, रेल प्रतिष्ठापनों और रेल सम्पत्ति की रक्षा के लिए तैनात किया जाता है। ऐसी घटनाएं तुरन्त राज्य सरकार/राज्य पुलिस के प्राधिकारियों के नोटिस में भी लायी जाती हैं ताकि वे समय पर इसमें हस्तक्षेप करें और गाड़ियों का सामान्य रूप से संचालन फिर से शुरु किया जा सके। समय-समय पर गृह मंत्रालय को भी स्थिति से अवगत कराया जाता है।

क्षेत्रीय संतुलन सम्बन्धी समस्या

7212. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 19 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने तथा उनमें अधिक पूंजी, लगाये जाने के साधनों के सुझाव देने सम्बन्धी कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये कार्यकारी दल अपने प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देंगे ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). कार्यकारी दलों की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

वस्तुओं के अग्रिम सौदों के बोरे में दान्तवाला समिति की सिफारिशें

7213. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दान्तवाला समिति की वस्तुओं के अग्रिम सौदों के के सम्बन्ध में सिफारिशों पर विचार पूरा कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि विधि मंत्रालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि अधिनियम के परिशिष्ठ में उल्लिखित विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं में अग्रिम सौदों पर रोक लगायी गयी तो वह संविधान के अनुच्छेद 19(6) का उल्लंघन होगा और उसे शक्ति परस्तात् कर दिया जायेगा;

(ग) क्या इस विषय पर महान्यायवादी की राय ली गई है; और

(घ) यह विषय विधेयक कब तक संसद् में लाया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). दान्तवाला समिति की सिफारिशों पर मंत्रालय तथा महान्यायवादी के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग में प्लेटों और चादरों की कमी

7214. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लेटों और चादरों की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्तमान कमी के क्या कारण है; और

(ग) उद्योग के लिये प्लेटों और चादरों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अस्पृश्यता विषयक समिति के अध्यक्ष को मानदेय आदि का भुगतान

7215. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री अस्पृश्यता विषयक समिति के बारे में 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2525 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता विषयक समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष को उस समिति का काम करते समय या समिति का काम समाप्त होने से पूर्व 4,000 रुपये का बकाया मानदेय दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को समिति के कार्यकाल के अन्तिम दिन तक के यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते की राशि दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्यालराव) : (क) तथा (ख). यह राशि पूरी रिपोर्ट पेश किए जाने पर दी जानी थी। रिपोर्ट का एक भाग अभी भी एलायापेरुमल के पास है। तो भी, यह राशि मार्च में अदा कर दी गई थी।

(ग) सभी निलम्बित बिलों की अदायगी कर दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन कानपुर के कार्यकरण की जांच

7216. **श्री देवेन सेन :**
श्री किकर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर के मामलों में आसाम उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की गई जांच का परिणाम क्या है; और

(ख) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उक्त जांच के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर के कार्य-कलापों की जांच पटना उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जा रही है। इस जांच की वर्तमान स्थिति यह है कि गवाहों की गवाहियां ली जा रही हैं।

(ख) जांच तीन या चार मास में पूरी हो जाने की आशा है।

विदेशी तकनीकी जानकारी की खरीद

7217. **श्री द० रा० परमार :**

श्री प्र० ना० सोलंकी :

श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फर्मों ने अन्य देशों से विविध तकनीकी जानकारी खरीदी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : यह सच है कि अनेक भारतीय उद्यामियों ने विभिन्न विदेशी पार्टियों से उसी या उस प्रकार के उत्पाद का निर्माण करने के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी से लाभ उठाया है ।

(ख) चूंकि यह निश्चित रूप से एक ही स्त्रोत से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की व्यावहारिकता तथा एक या उसी प्रकार के उत्पाद का निर्माण करने के विभिन्न एककों की स्थापना में लगने वाले समय से भी सम्बद्ध है, अत: यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

लघु उद्योगों पर मालवीय समिति का प्रतिवेदन

7218. **श्री श्रीधरन :**

श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के समन्वित तथा एक समान विकास पर मालवीय समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

मालवीय समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के संगठन में कुछ उच्च स्तर के विशेषज्ञों को और नियुक्त करके उसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है जिससे लघु उद्योग सेवा संस्थानों की विस्तार सेवाओं को और अधिक तकनीकी समर्थन प्राप्त हो सके तथा औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदनों की लघु उद्योगों की दृष्टि से जांच पड़ताल की जा सके ।

(2) विशिष्ट उद्योगों के लिये अंशकालिक परामर्शदाताओं की तकनीकी नामिकाओं की स्थापना करके एक उच्च स्तरीय तकनीकी परामर्शदात्री सेवा का प्रादेशिक आधार पर प्रावधान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(3) पूर्णरूपेण प्रादेशिक परीक्षण केन्द्रों के द्वारा परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(4) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे मूलभूत व्यवसायों से सम्बन्धित तकनीकी स्कन्धों का विकास करें और विकास आयुक्त लघु उद्योग को उपलब्ध सुविधायें और उपकरण आदि राज्य सरकारों को उपलब्ध कराये जायें। केन्द्रीय संगठन को चाहिए कि वह उच्च स्तर की तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए तकनीकी सेवाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करे।

(5) लघु तथा बड़े दोनों क्षेत्रों के स्वस्थ एवम् समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी विकास का महानिदेशालय और लघु उद्योग विकास संगठन के बीच घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है।

(6) सरकार को चाहिए कि वह तकनीकी विकास के महानिदेशालय को इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व सौंप दे कि जहां कहीं उप सम्विदा के द्वारा और सम्बद्ध कार्य करना सम्भव है, बड़े एककों के लिए तभी औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए जाने चाहिए जब कि उसमें इस प्रकार के उपकरणों, हिस्सों अथवा अन्य पुर्जे शामिल न किए जाएं जिनका निर्माण लघु एककों द्वारा भली प्रकार किया जा सकता हो।

(7) विकास आयुक्त लघु उद्योग द्वारा उनके कार्यों और उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाहन किए जाने की दृष्टि से उनके पद की हैसियत को और बढ़ा दिया जाना चाहिए। विकास आयुक्त को अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिए। तकनीकी अधिकारियों के वेतनक्रमों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और उनमें उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिए।

(8) राज्य योजनाओं के आवंटनों के मामले में लघु उद्योगों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

(9) लघु उद्योगों को सरकारी खरीदों से माल देने की नीति का पालन संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है। सरकारी खरीदों के मामले में बड़े एककों को छोटे एककों के समकक्ष नहीं समझा जाना चाहिए जैसा कि इस समय हो रहा है। लघु औद्योगिक उत्पादों के लिए मूल्य अधिमान्य स्वत: स्वीकृत किये जाने चाहिए और क्रय विभागों के लिए यह आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वे मूल्य अधिमान्य लागू करते समय दर्ज एककों की सक्षमता की जांच करें। तकनीकी विकास का महानिदेशालय, पूर्ति तथा निपटान का महानिदेशालय, विकास आयुक्त लघुउद्योग, रेलवे तथा प्रतिरक्षा विभागों के प्रतिनिधियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए

जो उन वस्तुओं के प्रश्न की जांच करे जिनकी खरीद पूर्णरूपेण लघु एककों के लिये आरक्षित कर दी गई है ।

(10) लघु उद्योगों के भावी विकास का सुनिश्चित आधार पर विकास करने के लिये कानून बनाने की आवश्यकता है । लघु उद्योगों के विकास के सभी पहलुओं को सम्मिलित कर एक विशद, कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा सकती है ।

कमानी ट्यूब्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

7219. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमानी ट्यूब्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई किस तारीख से चालू हुई और उन्होंने किस तारीख को लाइसेंस के लिये आवेदन भेजा था;

(ख) इस कम्पनी को चलाने की शर्तें क्या हैं और इनके द्वारा किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है; और

(ग) उपरोक्त कम्पनी के चालू होने से अब तक कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). मैसर्स कमानी ट्यूब्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई ने अलौह छड़ें, नलकियां तथा टुकड़े बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का आवेदन 4-6-1958 को दिया था और उन्हें 25-4-1960 को लाइसेंस स्वीकृत किया गया था । उन्होंने अलौह ठोस टुकड़ों का उत्पादन अगस्त, 1960 में आरम्भ कर दिया था और अलौह नलकियों का उत्पादन जनवरी, 1963 में आरम्भ किया । उद्योग (विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951) के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंसों में कम्पनी को चलाने के लिए कोई शर्तें नहीं होतीं । फिर भी प्रभावी पग उठाने तथा औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए तिथियां निर्धारित की जाती हैं और उनमें निर्मित की जाने वाली वस्तु का नाम तथा लाइसेंस प्राप्त क्षमता का उल्लेख भी किया जाता है ।

(ग) बताया जाता है कि कम्पनी के कार्य आरम्भ करने से लेकर दिसम्बर, 1968 के अन्त तक कम्पनी सभी प्रकार के अलौह छड़ों, टुकड़ों तथा नलकियों का कुल उत्पादन 16,247 मी० टन हुआ था ।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कुछ कम्पनियों को दिये गये ऋण

7220. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) मफतलाल कम्पनी समूह, (2) कमानी समूह के प्रबन्धाधीन कमानी ट्यूब्स

(प्राइवेट) लिमिटेड, (3) लार्सन एण्ड टूब्रो समूह, (4) बिड़ला बन्धुओं द्वारा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से अब तक कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया है; और

(ख) इन कम्पनियों अथवा समूहों में से प्रत्येक की साम्य पूंजी तथा ऋण पूंजी का वर्तमान अनुपात क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) किसी भी कम्पनी अथवा समूह ने, जिनके बारे में सूचना मांगी गई है, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था, तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं* से कोई ऋण नहीं लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों को ऋण नहीं देता।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के अनुमोदन पर, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम मंडल ने 25 मार्च, 1969 को, बिड़ला ग्वालियर प्राइवेट लिमिटेड को, 12.5 मिलियन डालर का एक ऋण, गोवा में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये स्वीकृत किया है। यह पता नहीं है कि इस विनियोजन के समझौते पर, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा कम्पनी के मध्य हस्ताक्षर हो गये हैं।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है। (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 851/69)।

पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे कर्मचारियों को स्थायी करना

7221. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग 50 हजार कर्मचारियों को पांच वर्ष से अधिक सेवा होने पर भी अभी तक स्थायी नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें अविलम्ब स्थायी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

* अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से केवल अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा एशियन विकास बैंक का आशय है।

रेलवे के खोमचे वालों को कमीशन

7222. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व रेलवे के खोमचे वालों को 20 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि खोमचे वालों को दिया जाने वाला कमीशन 20 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है; और

(ग) क्या कमीशन को पुन: 20 प्रतिशत करने पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) खोमचे वालों को जो कमीशन दिया जाता है वह अलग-अलग रेलों तथा वस्तुओं पर भिन्न-भिन्न है । लगभग दो वर्ष पहले कुछ स्टेशनों पर कुछ मदों पर 20 प्रतिशत कमीशन दिया जाता था ।

(ख) कुछ मदों पर दिया जाने वाला कमीशन कहीं-कहीं 20 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

Selection of Casual Labourers in Railway Operating Department

7223. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that casual labourers were selected in Railway Operating Department in Samastipur district in North-Eastern Railway in 1959 ;

(b) whether such selections were made by selection Board also in 1964 at that place ;

(c) whether it is also a fact that selection of candidates was made by the Selection Board of Casual Labour and Employment Exchange there in 1967 and successful candidates were got medically examined and character verification done in respect of them in 1968 ;

(d) whether these selected candidates have not so far been appointed ; and

(e) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Sale of Illicit Liquor in Delhi Shahdra

7225. **Shri Ramavatar Sharma** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that illicit liquor is sold freely in Delhi Shahdara and the police does not take any action in this regard ; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

तीसरी योजना की अवधि में राजस्थान के लिये औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

7226. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे;

(ख) उन लाइसेंसों से कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं और उनकी उत्पादन क्षमता आदि का ब्योरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने अभी चालू होने हैं और शेष उद्योगों के स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) योजना अवधि के बाद कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रत्येक योजना अवधि में जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते । फिर भी, वर्ष 1961 से 1965 की अवधि में राजस्थान के लिए 1047 लाइसेंस दिये गये थे ।

(ख) और (ग) . सम्बद्ध उद्योगों के लाइसेंसों समेत जारी किये गये कुल लाइसेंसों का ब्योरा तथा लाइसेंस प्राप्त क्षमता नियमित रूप से अनेक पत्रिकाओं तथा द वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज ऐण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, द वीकली इण्डियन ट्रेड जर्नल तथा द मंथली जर्नल आफ इण्डस्ट्री ऐण्ड ट्रेड में प्रकाशित किए जाते हैं । इन पत्रिकाओं की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

लाइसेंस जारी किये जाने और औद्योगिक उपक्रम की वास्तविक स्थापना करने के बीच सदैव कुछ समय का अन्तर रहता है । सरकार लाइसेंसों को कार्यान्वित किए जाने पर छः मासिक प्रगति विवरण की प्रणाली द्वारा निरन्तर निगरानी रखती है जो प्रत्येक लाइसेंस धारणकर्ता को तब तक प्रस्तुत करना पड़ता है जब तक कि औद्योगिक उपक्रम स्थापित नहीं हो जाता । जिन मामलों में लाइसेंस धारणकर्ता लाइसेंसों को कुछ विशेष मामलों में बढ़ाई गई अवधि में भी कार्यान्वित करने में असमर्थ रहते हैं, उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए कार्रवाई की जाती है । 1961 से 1968 में जारी किये गये 127 लाइसेंसों में से अब तक 26 लाइसेंस रद्द किये जा चुके हैं । शेष लाइसेंस या तो कार्यान्वित किये जा चुके हैं अथवा कार्यान्वित किये जा रहे हैं । कार्यान्वित किये गये लाइसेंसों के बारे में ठीक-ठीक सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) 1966 से 1968 के वर्षों में 23 लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं ।

पश्चिम बंगाल में वैगन निर्माताओं द्वारा अभ्यावेदन

7227. **डा० रानेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के वैगन निर्माताओं ने उन्हें रेलवे वैगनों के लिये क्रयादेश देने तथा विदेशों से क्रयादेश प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके अनुरोध को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल मंत्रालय द्वारा माल डिब्बों के आर्डर दिये जाने के बारे में पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा निर्माताओं की ओर से एक अभ्यावेदन मिला था। विदेशों से आर्डर प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) 1969-70 के माल डिब्बा निर्माण कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के माल डिब्बा निर्माताओं को अब तक 4537.5 चौपहिये माल डिब्बों का आर्डर दिया गया है। शीघ्र ही कुछ और आर्डर देने का भी विचार है।

कमानी ट्यूब्स, कमानी इंजीनियरिंग कम्पनी तथा मोदी इंडस्ट्रीज

7228. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) कमानी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, (2) कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई और (3) मोदी इंडस्ट्रीज, मोदीनगर कम्पनियों को आरम्भ करने वालों के नाम क्या हैं ;

(ख) उपरोक्त कम्पनियों के पंजीयन की तिथियां क्या हैं और इनके वर्तमान मालिकों के नाम क्या हैं ;

(ग) इनकी कुल अंशपूंजी कितनी है और इनके अंशधारियों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) आरम्भ में इनकी अंशपूंजी क्या थी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). सूचना संग्रह की जा रही है तथा यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा इंडियन रबर एण्ड रीजनरेटिंग कम्पनी तथा बिड़ला ग्वालियर (प्राइवेट) लिमिटेड

7229. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (1) कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (2) इंडियन रबर एण्ड रीजनरेटिंग कम्पनी और (3) बिड़ला ग्वालियर (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशकों और इनके चोटी के बीस अंशधारियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): इन कम्पनियों के निदेशकों के नाम तथा मैसर्स इन्डियन रबर एण्ड रीजनरेटिंग कम्पनी लि० के बीस शीर्षस्थ हिस्सेधारियों के नाम, सदन के पटल पर प्रस्तुत एक विवरण-पत्र में दिये गये हैं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-852/69**]। दो शेष कम्पनियों, अर्थात, कमानी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि० तथा बिड़ला ग्वालियर (प्राइवेट) लि०, के बीस शीर्षस्थ हिस्सेधारियों के नामों का संकलन किया जा रहा है तथा यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

दिल्ली में शराब लाइसेंस

7230. **श्री तुलसीदास दासप्पा :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने शराब-लाइसेंस शुल्क को एक लाख रुपये से घटाकर 20 हजार रुपये कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान, विदेशी शराब के खुदरा व्यापारियों के लिए लाइसेंस फीस चालू वर्ष में 1 लाख रुपये से घटाकर 20,000 रुपये कर दी गई है।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि लाइसेंस फीस को घटाया जाए तथा निर्धारण फीस, जो बिक्री पर ली जाती है, बढ़ा दी जाए।

(ग) सरकार को इस नीति पर कोई आपत्ति नहीं है।

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Voters not Allowed to Cast their Votes

7231. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Scheduled Caste and Scheduled Tribe voters were not allowed to cast their votes in the mid-term elections held recently ;

(b) whether it is also a fact that the names of the Scheduled Cast and Scheduled Tribe persons were not entered in the Voters' list prepared for the mid-term elections and that the names of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe voters which were there in the old electoral lists were not included in the new lists by the Accountants, Secretaries and other officers concerned ;

(c) whether Government are aware of the aforesaid irregularities ; and

(d) whether Government propose to devise ways and means to ensure that such irregularities do not recur ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) to (c). No complaints that voters of Scheduled Castes and Scheduled Tribes were prevented from casting their votes, were received from the States of West Bengal and Punjab in the recent mid-term elections. A few such complaints were received from the Districts of Meerut and Muzaffernagar in Uttar Pradesh and some Districts of Bihar, but no specific cases were disclosed.

The electoral rolls were thoroughly revised before the mid-term elections in the various States by house-to-house enquiries and all eligible persons who were not included in the rolls were registered and the names of all persons, who were dead or who had left the constituencies, were deleted.

(d) The Election Commission has under consideration several legal and administrative measures for preventing intimidation of voters and for keeping the electoral rolls correct and uptodate by a perpetual system of revision.

M/s. Morarji Borax Private Limited Bombay

7232. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Morarji Borax Private Limited, Bombay is the only factory in India which produces borax ;

(b) the names of persons to whom licences were given for its productions, the respective dates on which licences were given and the grounds on which they were given ;

(c) whether it is also a fact that due to the scarcity of borax, its prices are very high in the market and that it is being sold in black-market ; and

(d) if so, the steps taken by Government to check its prices and whether Government have adopted any measures to ensure that the consumers get this article at proper prices in future ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) M/s. Borax Morarji, Bombay is the only unit in the organised sector which produces borax.

(b) No industrial licence has been issued to any other party.

(c) and (d). There has been a temporary shortage in the production and supply of borax due to the fact that certain essential raw materials which are imported from U. S. A. did not reach Bombay in time due to (i) non-availability of ships (ii) dock strike in the U. S. A. and (iii) unexpected transhipment at Singapore. M/s. Borax Morarji have been issued an

import licence for raw materials sufficient to meet their requirements for a period of one year. It is expected that the party would be able to build buffer stocks of raw materials to meet future exigencies.

अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा

7234. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता के प्रश्न पर विचार करने वाली समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय के संगठनात्मक ढांचे के बारे में सिफारिशें की हैं अथवा विचार व्यक्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सामाजिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनौपचारिक सलाहकार समिति की हाल की एक बैठक में आयुक्त के कार्यालय के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार हुआ था और सुझाव दिये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो क्या ;

(ङ) क्या आयुक्त ने इस बारे में कोई प्रस्ताव किये हैं ; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) और (ख). इस बारे में समिति की सिफारिशें इसकी रिपोर्ट में दी गई हैं ; जिसे 10 अप्रैल, 1969 को सभा-पटल पर रख दिया था ।

(ग) और (घ). अनौपचारिक परामर्श-समिति की 30 अगस्त, 1968 को हुई बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था । कार्यवृत्त से एक उद्धारण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 853/69]** ।

(ङ) और (च). सेवा सम्बन्धी मामलों को निपटाने के हेतु आयुक्त ने कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए कहा है । इस पर विचार किया जा रहा है ।

राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन

7235. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में राज्यों के समाज कल्याण मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को सम्मेलन हुआ था और उसमें जिन-जिन मंत्रियों ने भाग लिया था उनके नाम क्या हैं ;

(ग) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(घ) क्या सम्मेलन में कोई निर्णय अथवा सिफारिश/सुझाव दिये गये थे ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) 9 अक्तूबर, 1968 ।

सम्मेलन में भाग लेने वाले मंत्रियों की एक सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 854/69]**

(ग) से (ङ). एक विवरण संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 854/69]**

देवरिया सदर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर ऊपर का पुल

7238. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देवरिया सदर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर पश्चिम और पूर्व रेलवे के जंकशन होने के फलस्वरूप यातायात के अत्याधिक होने को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक ऊपर का पुल बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). वर्तमान नियमों के अनुसार, मौजूदा समपार के बदले रेलवे लाइन के ऊपर/नीचे सड़क पुल बनाने के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाना अपेक्षित है और इन प्रस्तावों में राज्य सरकार यह बताती है कि काम की अग्रता क्या होगी और उसकी लागत में सड़क प्राधिकरण के हिस्से की रकम की व्यवस्था किस वर्ष की जा सकेगी ।

देवरिया सदर स्टेशन के मौजूदा समपार के बदले लाइन के ऊपर/नीचे सड़क पुल बनाने का कोई निश्चित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक नहीं मिला है । ज्योंही राज्य सरकार यह प्रस्ताव रखेगी और काम के अपने हिस्से की आवश्यक रकम की व्यवस्था करेगी, रेल प्रशासन पुल बनाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर देगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे स्कूलों के अध्यापकों को वेतनमान न दिया जाना

1239. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में द्वितीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ; अनुसूची के अनुसार अध्यापकों के वेतनमानों को समुचित रूप से लागू किया गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

पूर्व रेलवे पर चलने वाली रेलगाड़ियां

7240. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे पर डिवीजन-वार कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : पूर्व रेलवे के प्रत्येक मण्डल में चलने वाली गाड़ियों की संख्या इस प्रकार है :

(i) यात्री ले जाने वाली गाड़ियों की दैनिक औसत संख्या (इसमें सभी उपनगरीय गाड़ियां, हफ्ते में एक बार चलने वाली 4 एक्सप्रेस गाड़ियां और हफ्ते में दो बार चलने वाली 6 एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं) :

सियालदह मण्डल	..	409
हवड़ा मण्डल	..	356
आसनसोल मण्डल	..	94
दानापुर मण्डल	..	111
धनबाद मण्डल	..	46

(ii) चलायी गयी माल गाड़ियों की दैनिक औसत संख्या :

सियालदह मण्डल	..	84
हवड़ा मण्डल	..	76
आसनसोल मण्डल	..	112
दानापुर मण्डल	..	110
धनबाद मण्डल	..	132

उत्तर प्रदेश में ऊपर नीचे के पुलों का निर्माण

7241. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में उत्तर प्रदेश में सरकार का कितने ऊपर के और कितने नीचे के पुल बनाने का विचार था ;

(ख) उनका ब्योरा क्या है और इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि दी गई ; और

(ग) क्या वह राशि पूर्ण रूप से व्यय की गई है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सात ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 855/69]

(ग) जी नहीं ।

दक्षिण रेलवे में न्यूक्लियस साइफर आपरेटर

7242. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में दो 'न्यूक्लियस साइफर आपरेटरों के पदों की मंजूरी है ;

(ख) मद्रास डिवीजन में इन पदों के न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि मद्रास डिवीजन में इन पदों के न बनाये जाने के कारण उस डिवीजन के 'वायरलैस आपरेटरों' के न्यूक्लियस साइफर आपरेटर बनने के अवसर समाप्त हो गये हैं ; और

(घ) भविष्य में 'न्यूक्लियस साइफर आपरेटरों के रिक्त स्थानों पर केवल वायरलैस आपरेटरों में से नियुक्ति करके तथा अन्य विभागों जैसे सिग्नलरों में से इन पदों को भरना बन्द करके इस बारे में वायरलेस आपरेटरों के भविष्य की रक्षा करने के लिये प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, मद्रास मण्डल को छोड़कर ।

(ख) मद्रास मण्डल के लिये ऐसा पद इसलिए मंजूर नहीं किया गया क्योंकि इस मण्डल का काम मद्रास स्थित मुख्यालय साइफर कार्यालय में केन्द्रित है, जहां इस काम के लिए पर्याप्त कर्मचारी रखे गये हैं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) इसका भी सवाल नहीं उठता क्योंकि पद भरने की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे में रेलवे वायरलेस आपरेटर

7243. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 24 फरवरी, 1969 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एस) 65/सी पी सी पी ए—15 के अनुसार दक्षिण रेलवे तथा दक्षिण-मध्य रेलवे में काम कर रहे भूतपूर्व एम० एस० एम० रेलवे के वायरलेस आपरेटरों के पक्ष में वेतन निर्धारित किया गया है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा और कितनों को लाभ नहीं पहुंचा ;

(ग) कितना लाभ दिया गया और जिन मामलों में लाभ नहीं दिया गया उसके सविस्तार कारण क्या हैं ;

(घ) क्या बकाया धनराशि का 1 अप्रैल, 1968 से भुगतान किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). इन रेलों के जिन कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है, उनका वेतन निर्धारित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). वेतन निर्धारित होते ही बकाये का भुगतान कर दिया जायेगा।

उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षुओं का अभ्यावेदन

7244. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के यातायात प्रशिक्षुओं द्वारा अपनी वरिष्ठता, पदोन्नति, स्थायीकरण और 1959 से उनको 250-380 रुपये के वेतनमान में वार्षिक रिक्त पदों में से उनका 25 प्रतिशत का पूर्ण अभ्यंश दिये जाने के बारे में पिछले एक वर्ष में व्यक्तिगत रूप से तथा संयुक्त रूप से अनेक संसद् सदस्यों के माध्यम से अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के कारण उत्तर रेलवे के मुख्यालय, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली द्वारा उत्तर रेलवे के सब डिवीजनों को 19 अप्रैल, 1968 को एक पत्र संख्या 757/ई/42 (ई० आई० बी०) भेजा गया था तथा उसको 4 मई, 1968 तक क्रियान्वित किया जाना था परन्तु किसी भी डिवीजन ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा इतने महत्वपूर्ण आदेश का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) 19 अप्रैल, 1968 के पत्र संख्या 757/ई/42 इ० बी० के उपबन्धों की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिये ऋण

7245. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 से अब तक वर्षवार त्रिपुरा सरकार को कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये प्रति वर्ष कितने ऋण और अनुदान दिये गये ;

(ख) उस सरकार ने प्रति वर्ष विभिन्न योजनाओं पर कितने ऋणों और अनुदानों का

उपयोग किया और कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया अथवा केन्द्रीय सरकार को वापस भेज दिया ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में त्रिपुरा की लोक लेखा समिति की हाल की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि यद्यपि इस अवधि में ऋण उपक्रमी व्यक्तियों को दिये गये थे परन्तु अधिकांश मामलों में प्रस्तावित कारखाने स्थापित नहीं किये गये ;

(घ) यदि हां, तो सरकार की जानकारी के अनुसार इन उद्देश्यों के लिये कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई, इन ऋणों का कहां तक लाभ उठाया गया और प्रस्तावित उपक्रमियों ने कितनी राशि का दुरुपयोग किया अथवा उसका अन्य प्रकार से प्रयोग किया ;

(ङ) इन ऋण योजनाओं के अन्तर्गत लघु तथा कुटीर उद्योगों में कितनी औद्योगिक क्षमता स्थापित हुई थी जिसका विकास नहीं हो सका ; और

(च) इन मामलों से निपटने वाली प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को अन्तर्राज्यीय छात्रवृत्तियों का भुगतान

7246. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अपने मूल राज्यों की बजाय अन्य राज्यों में शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये अन्तर्राज्यीय छात्रवृत्तियों का सीधा भुगतान करने के लिये शीघ्र ही कोई योजना लागू करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मुत्याल राव) : (क) और (ख). जिस मार्गदर्शी योजना के लिये 1969-70 में बजट व्यवस्था की गई है, उसमें एक केन्द्रीय सरकारी एजेंसी द्वारा अन्तर्राज्यीय मैटिकोत्तर छात्रवृत्तियां दिए जाने की परिकल्पना की गई है । इस मार्गदर्शी योजना को चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र में 1969-70 में चलाया जाएगा ।

उड़ीसा में विमलगढ़-तालचेर रेल लाइन

7247. **श्री स० कुन्दू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में चौथी पंचवर्षीय योजना में विमलगढ़ और तालचेर के बीच रेल लाइन बिछाने के लिये धनराशि का नियतन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या योजना आयोग ने उक्त परियोजना की स्वीकृति दे दी है और चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिये धनराशि नियत करने की सिफारिश की है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). चौथी योजना के लिये नई लाइनों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। विमलगढ़-तालचेर रेल सम्पर्क के लिये चालू वर्ष (1969-70) में सर्वेक्षण आरम्भ किये जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने और उनके परिणाम मालूम होने के बाद ही इस रेल सम्पर्क के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जा सकेगा। इसलिये चौथी योजना में इस लाइन के निर्माण के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी तक योजना आयोग ने इस परियोजना को न तो अनुमोदित किया है और न इसके लिये एक मुश्त रकम की व्यवस्था करने की सिफारिश की है।

मनीपुर में उद्योगों की स्थापना

7249. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार को किन-किन उद्योगों को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मणिपुर सरकार ने राज्य क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये निम्नलिखित उद्योगों का सुझाव दिया है :—

1. 100 टन दैनिक क्षमता का सीमेंट कारखाना।
2. 50 टन दैनिक क्षमता लुग्दी सीमेंट बोर्ड।
3. स्टार्च-ग्लूकोज-कार्न-फ्लेक का सम्मिलित एकक।
4. घड़ियों और सूक्ष्म तथा वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण।

5. 10 टन दैनिक क्षमता का कागज का कारखाना और 100 टन दैनिक क्षमता के कारखाने की स्थापना करने के लिए अग्रिम कार्यवाही करना।

6. बिरोजा तथा तारपीन का एकक।

7. कपास ओटने तथा विस्तार कार्य और कताई के कारखाने के लिए अग्रिम कार्यवाही।

8. इन प्रस्तावों पर निर्णय साधनों की उपलब्धि तथा निधियों के आवन्टन पर निर्भर करेगा। इस दिशा में वस्तु में स्थिति का स्पष्ट पता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात चल सकेगा।

मनीपुर में सीमेंट कारखाना

7250. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को अब स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये एक स्थानापन्न प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव भेजा है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मणिपुर में सीमेंट का एक छोटा कारखाना स्थापित करने का प्रश्न अभी मणिपुर सरकार के विचाराधीन है। इस परियोजना पर होने वाले विनियोजन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से निर्णय इसकी और आगे विस्तृत जांच-पड़ताल हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसनसोल में रेलवे कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना

7251. **श्री गणेश घोष :** **श्री वि० कु० मोडक :**

श्री भगवान दास : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में आसनसोल में डिवीजनल अधीक्षक के सामने

प्रदर्शन करने के कारण जुलाई, 1967 में कुछ रेलवे कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार उस कार्यवाही को समाप्त करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) (i) श्री एस० के० सरकार, चल टिकट परीक्षक, आसनसोल ; और

(ii) श्री एन० मजुमदार, सेकण्ड फायरमैन, आसनसोल ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) श्री सरकार के बारे में अनुशासन-सम्बन्धी कार्रवाई करने में जो देरी हुई है, उसका कारण यह है कि श्री सरकार बचाव में सहायता देने वाले व्यक्ति का नाम पेश नहीं कर सके, जैसा कि ऐसे मामलों में अपेक्षित है। दूसरे मामले में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई मल्तवी कर दी गई है क्योंकि इस मामले को पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) आरोप गम्भीर है ।

हथकरघा कपड़े की बिना बुक की गई गांठ का पांडू भेजा जाना

7252. **श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ नगर रेलवे स्टेशन के एक माल भेजने वाले एजेंट ने रेलवे प्रशासन से शिकायत की है कि 28 दिसम्बर, 1968 को स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों ने गलत नम्बर देकर हथकरघा कपड़े की उस बिना बुक की गई गांठ को पांडू रेलवे स्टेशन भेज दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह गांठ वापस मिल गई है और उसे सम्बन्धित व्यक्ति को सौंप दिया गया है ;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन ने इस घटना की विभागीय जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों का मेरठ नगर स्टेशन से तबादला कर दिया गया है ताकि भविष्य में व्यापारियों को तंग न किया जाए ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी हां। फारवर्डिंग एजेन्ट और मैनेजर, आजाद हैण्डलूम इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी लि०, मेरठ सिटी से शिकायतें मिली थीं कि हैण्डलूम कपड़े की एक गांठ, जिसे 28-12-68 को फारवर्डिंग एजेन्ट, मेरठ शहर स्टेशन लाया था, को बुक किए बिना भेज दिया गया था। हैण्डलूम कपड़े की गांठ, जो पांडू भेज दी गई थी, वापस मंगा ली गई और 17-4-68 को मालिक को सुपुर्द कर दी गयी।

(ग) घटना की जांच की जा रही है।

(घ) जांच पूरी होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

'स्टेनलेस स्टील फास्टनर्स' की सप्लाई के लिए टेंडर

7253. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण विभाग ने 1967 अथवा 1968 में रूरकेला-दुर्ग तथा कानपुर-टूंडला स्टेशनों पर प्रयोग के लिये 'स्टेनलेस स्टील फास्टनर्स' की सप्लाई के लिए टेंडर मांगे थे।

(ख) सबसे कम टेंडर किसका था ;

(ग) क्या इसको स्वीकार कर लिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) कौन सा टेंडर स्वीकार किया गया था और कम से कम टेंडर से वह कितना अधिक था ; और

(ङ) उसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल थी ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, जून और नवम्बर, 1967 में।

(ख) प्रत्येक टेण्डर में 8 मदें थीं। जून, 1967 में प्राप्त टेण्डरों में, तकनीकी रूप से स्वीकार्य प्रस्तावों में से मेसर्स निरेका इंजीनियरिंग एंड कम्पनी प्राइवेट लि०, कलकत्ता की 7 मदों के लिये प्रस्ताविक दरें और मेसर्स डाईकास्टिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता की एक मद के लिये प्रस्तावित दर सबसे कम थी। नवम्बर, 1967 के टेण्डर में, मेसर्स निरेका इंजीनियरिंग एंड कम्पनी प्राइवेट, लिमिटेड, कलकत्ता की प्रस्तावित दर सबसे कम थी।

(ग) मेसर्स निरेका इंजीनियरिंग एंड कम्पनी प्रा० लि० और मेसर्स डाईकास्टिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि० के प्रस्तावों को जून, 1967 के टेण्डर की कुल मात्रा (3.72 लाख नगों) के दो तिहाई (2.75 नगों) तक मंजूर कर लिया गया। बाकी एक-तिहाई मात्रा (1.25 लाख नग) के प्रस्ताव को इस आधार पर रोक रखा गया क्योंकि देशी निर्माताओं को यह पहला आर्डर दिया गया था और अपेक्षित किस्म और मात्रा इन निर्माताओं की उत्पादन क्षमता सिद्ध नहीं हो सकी थी।

1.25 लाख नगों के लिये फिर से टेण्डर मांगे गये, जिन्हें 30 नवम्बर, 1967 को खोला गया। मेसर्स निरेका इंजीनियरिंग एंड कं० प्रा० लि० के प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उसने पहले आर्डर का माल पूरा सप्लाई नहीं किया था और फर्म ने सुपुर्दगी सम्बन्धी जो दरें दी थीं वे क्षेत्र में किये जाने वाले विद्युती करण सम्बन्धी मागों की प्रगति से मेल नहीं खाती थी, जिसकी वजह से निर्मित परिसम्पतियों को चालू करने में विलम्ब होता था। वास्तव में, कुछ फर्मों द्वारा की गई सप्लाई स्तर से नीची पाई गई और पहले दिए गए आर्डर में से अभी भी लगभग 41,000 नगों की सप्लाई होनी बाकी है।

(घ) 1.25 लाख नगों के लिए नवम्बर, 1967 के टेण्डरों में मेसर्स कमानी इंजीनियरिंग कं० की मार्फत मेसर्स निप्फ्न गैसी कैशा (एन० जी० के०) जापान द्वारा भेजे गये प्रस्ताव को मार्च, 1968 में स्वीकार किया गया था और जुलाई 1968 तक उससे सम्पूर्ण माल मिल गया था और इस माल को उस कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया जो कमी देशी निर्माताओं द्वारा कम माल की सप्लाई करने के कारण पड़ गयी थी।

60 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क आदि को जोड़कर आयातित मदों के लिये मेसर्स एन० जी० के० जापान द्वारा सप्लाई किये गये फास्टनरों का बन्दरगाह पर प्रस्तावित मूल्य देशी निर्माताओं के निम्नतम प्रस्तावित मूल्य से 54 प्रतिशत अधिक हो गया। अन्तर लगभग 1.61 लाख रुपये आता है।

(ङ) 2.99 लाख रुपये।

समवाय-विधि बोर्ड के स्थान पर अन्य बोर्ड की स्थापना

7254. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री नरसिम्हा राव :

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधि संस्था द्वारा मार्च 1969 के अन्तिम सप्ताह में संगठित एक गोष्ठी में समवाय विधि बोर्ड के स्थान पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गोष्ठी ने इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है। इस प्रकार का सुझाव, गोष्ठी में पढ़े गये एक पत्र में, विवादास्पद था। भारतीय विधि संस्था ने स्पष्टीकरण दिया है कि गोष्ठी ने न तो मतैक्य पर पहुंचने का कोई प्रयास किया है और न कोई सह-सिफारशें की है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

झरिया रेलवे स्टेशन पर हमला

7255. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 अप्रैल, 1969 को लगभग 200 व्यक्तियों की एक भीड़ ने धनबाद के निकट झरिया रेलवे स्टेशन पर हमला किया था, कर्मचारियों को पीटा था तथा रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना के बारे में कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी हां। 31-3-69 को लगभग 50 आदमियों (200 नहीं) की एक भीड़ झरिया केबिन के पास इकट्ठी हो गई और स्टेशन मास्टर के कार्यालय में घुस कर काम पर तैनात कर्मचारियों को गाली दी और उनको पीटा। लेकिन रेल सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचायी गयी।

(ख) और (ग). धनबाद की सरकारी रेलवे पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने की सूचना मिली है।

दिल्ली के होस्टलों में अनैतिक कृत्य

7257. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के होटलों में हो रहे अनैतिक कृत्यों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका ब्योरा क्या है और उनको रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसमें सरकार को कितनी सफलता मिली है ; और

(ग) दिल्ली में अनैतिक पाप को रोकने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में क्या विशेष नीति अपनाई जायेगी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). होटलों के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 लागू है। पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा निवारक कार्यवाही की जाती है तथा संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी रखी जाती है।

औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प, 1956

7259. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के वर्ग 'क' में सम्मिलित कुछ उद्योग गैर-सरकारी उपक्रमियों के लिये रखे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के क्या नाम हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के वर्ग (ख) के द्वारा गैर-सरकारी उपक्रमों में वृद्धि की गई है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री ((श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन केन्द्र

7260. **श्री इसहाक साम्भली** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के सहमानूर, थिरुवाला और आगरा स्थित पी० एस० एल० फैक्टरी की मासिक अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है ;

(ख) पिछले एक वर्ष में इन एककों का एकक वार मासिक उत्पादन कितना-कितना था; और गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित इसी प्रकार की जो वस्तुएं बाजार में जाती हैं उनकी तुलना में इन वस्तुओं की लागत में कितना अन्तर है;

(ग) प्रत्येक कारखाने को शुरू होने से अब तक प्रति वर्ष कितनी हानि हुई है; क्या इन एककों में कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुएं जमा हो गई हैं और यदि हां, तो तो इनकी मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(घ) क्या उक्त तीन एककों में से किसी एक एकक को राज्य सरकार निगम द्वारा अपने नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव था और यदि हां, तो सरकार द्वारा उसको मंजूरी न दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन इनको दक्षता से और वाणिज्यिक स्तर पर लाभ पर नहीं चला सकता है; और

(ङ) इन एककों को दक्षतापूर्वक तथा लाभप्रद ढंग से चलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन इस बात का उल्लेख करेगा कि ये तीनों एकक कब तक बिना हानि के कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठा की जा रही है और सभा-पटल पर रख की जायेगी ।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन लिमिटेड

7261. **श्री इसहाक साम्भली :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के लिये यात्रा भत्ता हेतु बजट में कितनी व्यवस्था की गई है और संस्थावार कितना-कितना धन रखा गया है;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन तथा इसकी संस्थाओं द्वारा (1) सेमिनारों / प्रदर्शनों / सम्मेलनों / गहन आन्दोलनों आदि पर अलग-अलग, (2) अधिकारियों के विदेशों के दौरों, (3) सर्वेक्षणों, (4) लघु उद्योगों के पूर्णतया तकनीकी सहायता कार्यक्रमों, (5) प्रशिक्षण तथा जीर्णोद्धार पाठ्यक्रमों पर कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के क्षेत्र में तकनीकी अधिकारियों को पूर्णतया तकनीकी सहायता के लिए कितने समय तक दौरे पर रहना होता है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). 1968-69 में यात्रा भत्ते के अन्तर्गत की गई बजट व्यवस्था तथा अन्तिम आवंटन अनुबन्ध में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल. टी.856/69]** प्रश्न के भाग (ख) में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत यात्रा भत्ते पर किए गए व्यय के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के स्टेशनों पर जलपान एकक, भोजन की दूकानें तथा विक्रेता

7262. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोतर सीमा रेलवे पर कुल कितने स्टेशन हैं; और

(ख) 1—जलपान एककों, 2—भोजन की दुकानों और विक्रेताओं की कुल संख्या क्या है; और

(ग) इनमें से कितने विभागीय रूप से चलाए तथा नियंत्रित किये जाते हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) (क) 526

(ख) (i) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय स्टेशनों के भोजनालयों और रेस्तोरां से है। यदि ऐसा है, तो उनकी संख्या 52 है।

(ii) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय उन स्टालों से है जहां खाने की वस्तुएं बेची जाती हैं, ऐसे स्टालों की संख्या 237 है।

(iii) 1018 खोंमचे वाले हैं।

(ग) 3 भोजनालय, 25 स्टाल और 25 खोंमचे वाले विभागीय नियंत्रण में हैं।

शेयरों का आवंटन

7263. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संस्था अपनी मनोनीत व्यक्तियों के नाम पर अंशों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र दे सकती है;

(ख) यदि मनोनीत व्यक्ति स्वयं आवेदन-पत्र नहीं देते हैं तो क्या आवंटन वैध होगा ;

(ग) क्या कलकत्ता में ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 5 के अन्तर्गत, इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी पंजीकृत संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति, यदि इसके ट्रस्टियों में निहित नहीं है, तो यह कुछ समय के लिये इस प्रकार की संस्था की शासकीय निकाय में निहित समझी जायेगी, तथा इस प्रकार की संस्था, अपने नाम से हिस्से नहीं रख सकती।

(ग) और (घ). कलकत्ता से इस प्रकार का कोई मामला, सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

कुटीर तथा यन्त्रीकृत दियासलाई उद्योग

7264. **श्री किरुतिनन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, दियासलाई के कितने कुटीर तथा यन्त्रीकृत उद्योग हैं;

(ख) भारत में खपत के लिए दियासलाइयों की कुल कितनी आवश्यकता होती है और उसमें कितने प्रतिशत कुटीर तथा यन्त्रीकृत उद्योगों द्वारा पूरी की जाती है;

(ग) क्या यह सच है कि यन्त्रीकृत दियासलाई उद्योगों को अपने उत्पादन में 25.1 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार लघु उद्योग दियासलाई निर्माता एसोसिएशन, सिवाकासी से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) इस समय देश में छः यंत्रीकृत तथा एक हजार से कुछ अधिक गैर-यंत्रीकृत कारखाने हैं। तमिलनाडू में यंत्रीकृत क्षेत्र का एक एकक तथा अधिकांश गैर-यंत्रीकृत कारखाने सिलवास्की, सट्टूर तथा कोविल पट्टी जिलों में स्थित हैं।

(ख) खपत और उत्पादन के आंकड़े लगभग समान हैं। वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय राजस्व बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में यंत्रीकृत तथा गैर-यंत्रीकृत क्षेत्रों के सभी एककों में दियासलाई का कुल उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

वर्ष	इकाई	यंत्रीकृत एकक	गैर-यंत्रीकृत एकक	योग
1965-66	50 तीलियों वाली दस लाख डिब्बियां	4119	3317	7536
1966-67		4388	4164	8552
1967-68		4354	3989	8343

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि गैर-यंत्रीकृत क्षेत्र में दियासलाई के उत्पादन का प्रतिशत 1965-66 में 44 प्रतिशत, 1966-67 में 48.75 प्रतिशत तथा 1967-68 में 47.8 प्रतिशत था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार को लघु दियासलाई निर्माता संघ, शिवकाशी से मैसर्स विमको/एमको द्वारा दियासलाई का निर्माण करने की क्षमता सीमित करने के सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दियासलाई उद्योग लघु क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित है। तदनुसार संस्था को सूचित किया जा रहा है।

Railway Line between Khandwa and Khargon and Khargon and Dohad

7265. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a railway track between Khandwa and Khargon and further between Khargon and Dohad if funds are collected therefor through relief works and if so, the nature thereof;

(b) whether Government propose to conduct a survey there in view of the fact that alongwith population, the income has also increased considerably and Railway's income is likely to be considerable and if so, when such survey would be undertaken ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). Due to financial stringency it is not possible to consider the proposal for construction of a rail link between Khandwa and Khargaon and Dohad at present, and this proposal may have to await better

times for consideration. The question of undertaking surveys can be considered at the appropriate time. However, due consideration will be given to the offer of contribution of funds for the proposed rail link, as and when a firm proposal in this regard is received from the concerned State Government, subject to the scheme being found to be economically viable, after detailed surveys.

साधारण निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थी

7266. **श्री नरसिम्हा राव :** क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 और 1967 के साधारण निर्वाचनों में देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कितने अभ्यर्थियों ने, राज्यवार साधारण स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ा था; और

(ख) कितने तथा कौन-कौन से उम्मीदवार अलग-अलग निर्वाचन जीते तथा हारे ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये वर्दियों की व्यवस्था

7267. **श्री स० कुन्दू :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में रेलवे द्वारा रेलवे कर्मचारियों की वर्दियों पर कितनी धनराशि व्यय की गई और इस वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है;

(ख) क्या ये वर्दियां विभाग द्वारा अथवा ठेकेदारों, सहकारी समितियों, हस्तशिल्प केन्द्रों द्वारा तैयार की जाती हैं और यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु रेलवे द्वारा कितने ठेकेदार रखे हुए हैं और कितनी सहकारी समितियां, हस्तशिल्प केन्द्र चलाये जा रहे हैं;

(ग) क्या वर्दियां बनाने के लिए सहकारी समितियों को ठेकेदारों के समान समझा जाता है; और

(घ) क्या इस व्यापार में ठेकेदारों की तुलना में सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों ने अपने कर्मचारियों की वर्दियों पर जो रकम खर्च की, वह नीचे दी गयी है :—

1966-67	—	2.18 करोड़ रुपये
1967-68	—	2.20 ,, ,,
1968-69	—	2.26 ,, ,,

1969-70 में लगभग 2.26 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ख) वर्दियों की कटाई के लिए विभागीय व्यवस्था है। सिलाई का काम आमतौर पर हस्तकला केन्द्रों को, उनकी क्षमता के अनुसार, दिया जाता है और बचा हुआ काम ठेकेदारों को दिया जाता है।

वर्दियों की सिलाई के लिए रेलों में कल्याण संगठन, 204 हस्तकला केन्द्र चला रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उत्तर रेलवे में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों का स्थायी बनाया जाना

7268. **श्री स० कुन्दू** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में 1967 और 1968 में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कितने पदों को स्थायी बनाया गया है; और

(ख) टिकट जांच सेक्शन में कितने पदों को स्थायी बनाया गया और उनको कौन-सा वेतनमान दिया गया ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से समाज कल्याण विभाग में पदों का भरा जाना

7269. **श्री क० लकप्पा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण विभाग में कितने पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे गए हैं;

(ख) सचिवीय तथा गैर-सचिवीय कौन-कौन से वर्गों के कितने-कितने पदों को भरा गया है; और

(ग) यदि इन पदों को अन्य तरीकों से भरा गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) 63.

(ख) सचिवीय — 216

गैर-सचिवीय — 857

(ग) निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों को छोड़कर केन्द्रीय सचिवालय क्लेरिकल योजना में शामिल सभी श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों की भर्ती को संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट)

विनियमों के उपबंधों से छूट है। इसलिए, इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के जरिए भरा जाना अपेक्षित नहीं है। इन पर भर्ती गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार रोजगार कार्यालयों अथवा विभागीय तरक्की/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है। जहां तक श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों का सम्बंध है, उस पर सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के जरिए अथवा गृह मंत्रालय द्वारा या समाज कल्याण विभाग द्वारा गृह मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके बनाए गए भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार विभागीय तरक्की/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है।

छोटी कार की किस्म में गिरावट

7270. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माताओं से कारें प्राप्त होने के कुछ दिन बाद ही छोटी कारों के अधिकांश मालिकों ने उनमें नुक्स होने की शिकायतें की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मालिकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन मालिकों द्वारा कोई अभ्यावेदन दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है कि छोटी कारों की किस्म बढ़िया बनी रहे ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सरकार को देश में इस समय बनाई जा रही तीन प्रकार की कारों में खराबियों के बारे में शिकायतें मिलती रहती हैं। पिछले एक वर्ष में प्राप्त इस प्रकार की शिकायतों की संख्या लगभग 1300 थी।

(घ) कार मालिकों की शिकायतें निर्माताओं को बता दी जाती हैं जिन्हें ग्राहकों की सन्तुष्टि के अनुसार खराबियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

सरकार ने कारों की किस्म में गिरावट के कारणों की पूरी तरह से जांच-पड़ताल करने तथा उन्हें दूर करने के उपायों पर सुझाव देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की थी। समिति की सिफारिशें निर्माताओं की जानकारी में लाई गई हैं और उनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशों के पालन का सुनिश्चय करने के लिये सांविधिक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस विषय में तीनों कार निर्माताओं के प्रतिनिधियों से अलग-अलग विचार-विमर्श भी किया गया है और उन्होंने समिति की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार को विश्वास भी दिया है।

इस बीच समिति की एक सिफारिश के अनुसार विशेषज्ञों के एक दल को तीनों कार निर्माताओं के संयंत्रों का उनके आंतरिक निरीक्षण संगठन को सुदृढ़ बनाने में सहायता करने तथा

सलाह देने की दृष्टि से दौरा करने के लिए भेजा गया था। इस दल द्वारा सरकार को यह सुझाव भी देना था कि आंतरिक प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए किस प्रकार के वाह्य निरीक्षण संगठन की स्थापना की जानी चाहिए और वह किस प्रकार प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकेगा। दल की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय रेलों पर क्रय संगठन के लिये राजपत्रित पदालि

7271. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री 5 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 440 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब रेलवे बोर्ड द्वारा क्रय संगठन के लिये नियुक्त उप-समिति प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में की गई सिफारिश पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस समिति की सिफारिशें नहीं मानी गयी हैं। फिर भी, रेलवे बोर्ड के कार्यालय में इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है।

पटना से ट्रैक्टर के पुर्जों के एक पार्सल का भेजा जाना

7272. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 जनवरी, 1969 को श्री ए० के० प्रसाद द्वारा पटना जंकशन से 1,58,925 रुपये के मूल्य के ट्रैक्टरों के पुर्जों का एक भारी पार्सल दिल्ली के लिये बुक किया गया था और दिल्ली में उसका स्वयं इस पार्सल को प्राप्त करना था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में इस पार्सल को प्राप्त करने के बाद श्री ए० के० प्रसाद ने उसको पुनः पटना के लिये बुक कराने के लिये लिखित रूप में आवेदन-पत्र दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त छः बक्सों में से तीन बक्से टूटे हुए थे और उनको 'स्ट्रांग रूम' में रखा हुआ था और बाद में उनमें अखबारी कागज में लिपटी ईंटें पाई गई थीं और यह भी पता लगा कि दूसरे तीन बक्सों में भी जो कि ठीक स्थिति में थे ईंटें भरी हुई हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि जिस अखबारी कागज में ईंटें लिपटी हुई थीं वह पटना से प्रकाशित 1 जनवरी, 1969 का 'आर्यावर्त' (हिन्दी) समाचारपत्र था और उक्त ईंटों पर भी पटना का ही 'मार्क' था ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या पटना में किसी व्यक्ति द्वारा शरारत किये जाने के फलस्वरूप यह घटना हुई है और क्या इस कारण दिल्ली के कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां । प्रेषक द्वारा पेश किये गये ट्रेड इन्वायस के अनुसार ट्रैक्टर के पुर्जों की कीमत 1,57,580 रुपये है ।

(ख) जी हां । लेकिन जब पृष्ठांकित आवेदन-पत्र शेड-इंचार्ज को देने को कहा गया, तो उसने आवेदन-पत्र अपने पास रख लिया ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां । ईंटों पर निर्माता का निशान 'अजीत', ओमकार आदि (हिन्दी में) लिखा पाया गया ।

(ङ) दिल्ली की सरकारी रेलवे पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है । किसी रेलवे कर्मचारी को परेशान नहीं किया गया है ।

बघाई और मनमाड के बीच रेलवे लाइन

7273. **श्री जेड० एम० खांडोल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पश्चिम रेलवे के बघाई स्टेशन को मध्य रेलवे के मनमाड स्टेशन को रेलवे लाइन द्वारा जोड़ने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य का सर्वेक्षण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

Agreement about the Prices of Goods to be Supplied to Bokaro Steel Plant

7274. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether any agreement has been reached in regard to the prices of equipments to be supplied by the Heavy Engineering Corporation for the Bokaro Steel Plant ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). The agreement on prices for supplies from Heavy Engineering Corporation to Bokaro is likely to be finalised very shortly. All the points at issue have been resolved already leaving only formal details to be finalised.

कृषि प्रक्षेत्र औजारों के लिये लघु उद्योग निगम की स्थापना

7276. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि प्रक्षेत्र औजारों के लिये लघु उद्योग निगम स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेल फाटकों का निर्माण

7277. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को यह स्मरण कराया गया है कि जहां भी रेल फाटक बनाये जाने हैं वहां पर उनके शीघ्र निर्माण के मामले में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई हिदायतों का कड़ाई से पालन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). रेलवे लाइन खुलने के बाद नये समपारों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में रेलों और राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकारियों की दायिताएं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में बतायी गयी हैं । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई निदेश देने और उस पर उसकी प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता ।

Shifting of Godowns of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

7278. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a sizeable quantity of goods from the godowns of the Khadi Gramodyog Bhvan, New Delhi is being sent to Bhartiya Khadi Gramodyog Sangh, Panipat and thus one or two godowns of the Khadi Bhawan are going to be vacated ;

(b) if so, the reasons therefor and the value of the goods being sent to Panipat and details thereof ;

(c) whether it is also a fact that in this way the work of the Khadi Bhawan, New Delhi is being lightened ;

(d) if so, whether the employees of the Bhawan are likely to be harmed in any way or whether they would have to face retrenchment as a result thereof ; and

(e) if not, whether Government would give any assurance to the employees in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (e). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Festival Advance to employees of Khadi and Village Industries Commission

7279. **Shri A. Dipa:** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Festival advance is given to the employees of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi as per the rule of the Khadi and Village Industries Commission;

(b) if so, the rule governing grant of that advance and the slab of basic pay of the employees who are entitled to this benefit;

(c) whether it is a fact that an officer of the Khadi Bhavan, New Delhi was granted Festival advance in October, 1968 though he was not entitled to this facility according to the rules; and

(d) if so, the action proposed to be taken against the officials who are taking undue advantage?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Yes, Sir.

(b) The Khadi and Village Industries Commission sanctioned in its Circular No. EFT/GENL/24 dated 25-10-58 the grant of festival advance for important festivals to Class III and Class IV employees of the Bhavan whose basic pay does not exceed Rs. 300 p. m. The amount of the advance is limited to Rs. 75/- or one month's basic pay whichever is less.

(c) A special temporary advance of Rs. 75/- was given to the Chief Accountant of the Bhavan on 21-10-68 in view of his pecuniary difficulties without the sanction of the competent authority.

(d) The amount is being recovered and necessary action against the person responsible is being taken under rules.

मध्य रेलवे पर रेल पटरी के दोषों का पता लगाने वाली कार

7280. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर रेल पटरी के दोषों का पता लगाने वाली कार 1967 से खराब है ;

(ख) क्या उसके स्थान पर एक छोटी मशीन का प्रयोग किया जा रहा है जो बड़े दोषों का पता नहीं लगा सकती ;

(ग) क्या इस कार का प्रयोग न किये जाने से प्रति दिन लाखों यात्रियों, विशेषकर स्थानीय गाड़ियों के यात्रियों, की जान को खतरा बना हुआ है ;

(घ) इस कार को पुनः चालू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है और कब तक ; और

(ङ) क्या यह सच है कि इस कार मशीन का इंचार्ज एक गैर-अर्हता प्राप्त व्यक्ति है और अर्हता-प्राप्त तथा चुनींदा व्यक्तियों को यह काम नहीं सौंपा जाता है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) रेल-पथ अभिलेखी-यान को फिर से काम में नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि यह रद्दी हो चुका है ।

(ङ) जी नहीं । रेल-पथ अभिलेखी यान और मशीन पर इंचार्ज के रूप में केवल अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित कर्मचारी ही तैनात किये जाते हैं ।

तीसरी श्रेणी के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

7281. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी श्रेणी के पदों का दर्जा भी बढ़ाया जा रहा है जैसा कि राजपत्रित पदों के मामले में किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और विभाग-वार दर्जे बढ़ाये जाने का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जो कर्मचारी अपने वेतन मान के अधिकतम पर पहुंच चुके हों, उन्हें कुछ राहत देने के प्रश्न की ब्योरेवार जांच की जा रही है और उसे अन्तिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा ।

कोटा पत्थरों को 'पैक' करने के सम्बन्ध में शर्तें

7282. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा पत्थरों को पैक करने की शर्तें निर्धारित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) इस पत्थर के लिये मुआवजे के रूप में गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) जब पैकिंग की कोई शर्तें नहीं हैं तो इन्हें मालिकों की जोखिम पर बुक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कोटा पत्थर के लिए अन्यथा वर्गीकृत पत्थर की दर से भाड़ा लिया जाता है और इसके लिये पी/36 की पैकिंग शर्तें निर्धारित हैं जो इस प्रकार हैं :—

जब पूरे मालडिब्बे में माल भेजा जाता हो, तो पैकिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब माल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दिया जाये तो बंडलों में सुरक्षित रूप से बंधा होना चाहिए या बोरियों में या थैलों में सुरक्षित रूप से पैक किया हुआ होना चाहिए ।

चूंकि पूरे माल डिब्बे में पत्थर बिना पैकिंग के आमतौर पर सुरक्षित भेजे जा सकते हैं, इसलिए पूरे माल डिब्बे में इनके परिवहन के लिए कोई पैकिंग-शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं ।

(ख) कोटा पत्थरों से सम्बन्धित दावों के भुगतान के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

(ग) किसी खास माल के लिए मालिक जोखिम दर की व्यवस्था के लिए मुख्य बात यह नहीं है कि उसके लिए पैकिंग की शर्त है या नहीं, बल्कि यह है कि उसकी ढुलाई में कितना जोखिम निहित है । केवल कुछ वस्तुओं के लिए ऐसी दरों की व्यवस्था की गयी है । जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है । पूरे मालडिब्बे में पत्थरों का परिवहन बिना पैकिंग के भी सुरक्षित रूप से किया जा सकता है । इसलिए इस वस्तु के लिए मालिक जोखिम दर की व्यवस्था आवश्यक नहीं समझी जाती ।

भारतीय रेलवे में पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

7283. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री भारतीय रेलवे में पदों का दर्जा बढ़ाने के बारे में 25 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागवार कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया है ;

(ख) क्या 1967 में या इसके आस-पास मितव्ययिता अभियान के कारण इनमें से किन्हीं पदों को समाप्त कर दिया गया था ;

(ग) क्या समाप्त किये गये पद विभिन्न नामों से पुनः बनाये गये थे और अतिरिक्त विशेष भत्ता दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें विभागानुसार उन पदों का ब्योरा दिया गया है, जिनका पदक्रम बढ़ाया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-857/69**] ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के चल टिकट परीक्षकों को कमरे की सुविधा

7284. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के चल टिकट परीक्षकों को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन सुपरिंटेडेंट द्वारा कमरे की सुविधा देने से इंकार कर दिया गया है ;

(ख) क्या उन्होंने बरेली स्थित उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के डिवीजनल सुपरिटेंडेन्ट को इस बारे में एक अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). रेलों पर परिचालन कमरे की सुविधाओं की व्यवस्था मुख्य रूप से रनिंग कर्मचारियों अर्थात् गार्ड, ड्राइवर, फायरमैन, आदि के लिये है। चल टिकट परीक्षकों के लिये परिचालन कमरे की सुविधाओं की व्यवस्था करना इस बात पर निर्भर करता है कि रनिंग कर्मचारियों की जरूरत पूरी होने के बाद वहां कितना स्थान फालतू बच रहता है।

फिर भी गैर-रनिंग कर्मचारियों की कोटि में आने वाले कर्मचारियों, जैसे चल टिकट परीक्षकों को विश्रामालय की सुविधा दी गई है। इस सम्बन्ध में मुरादाबाद मंडल के चल टिकट परीक्षकों ने 7-4-69 को मंडल अधीक्षक को एक अभ्यावेदन दिया था, जिस पर लखनऊ के निरीक्षक विश्रामालय में उनके लिये 8 बिस्तरों वाला एक कमरा अलग निर्धारित कर दिया गया है।

उत्तर बंगाल को माल डिब्बों की सप्लाई

7285. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तर बंगाल के लिये अधिक माल डिब्बों की आवश्यकता महसूस की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिमास कितने माल डिब्बों की ; और

(ग) गत तीन महीनों में प्रतिमास कितने-कितने माल डिब्बों की सप्लाई की गई ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जी हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी, 69 में 2390, फरवरी, 69 में 3460 और मार्च, 69 में 3710 माल डिब्बे उत्तर बंगाल को भेजने के लिये कार्यक्रम रखा था, जबकि रेलवे जनवरी, 69 में केवल 1980, फरवरी, 69 में 2150 और मार्च, 69 में 2250 माल डिब्बे भेजने का कार्यक्रम स्वीकार कर सकी।

फरक्का में फेरी क्षमता सीमित होने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार की कुल आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकीं, क्योंकि उपलब्ध क्षमता को सभी उपभोक्ताओं में बांटना था। लेकिन अप्रैल, 69 से, फेरी-क्षमता बढ़ गई है और माल डिब्बों की सभी जरूरतें पूरी की जा रही हैं।

मोटर साइकिलों के निर्माण में अवमानक पुर्जे

7286. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित/पुज जोड़कर बनाई गई मोटर कारों, स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों की बिक्री, वितरण तथा मूल्यों पर सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मोटर गाड़ियों के निर्माण में और ग्राहकों को स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों के दिये जाने में अवमानक पुर्जों का प्रयोग किये जाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मोटर गाड़ी के बारे में 1968-69 में ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रकार की प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद) : (क) कारों और स्कूटरों की बिक्री और वितरण पर कानूनी नियंत्रण क्रमशः मोटर कार (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश 1959 तथा स्कूटर (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1960 के उपबंधों के अन्तर्गत रखा जाता है। सरकार इस समय इन गाड़ियों के मूल्यों पर अनौपचारिक नियंत्रण भी रख रही है। फिर भी मोटर साइकिलों के वितरण या उनके मूल्यों पर फिलहाल कोई भी नियंत्रण नहीं है।

(ख) सरकार को देश में निर्मित गाड़ियों में खराबियों के बारे में शिकायतें मिलती रही हैं। यह शिकायतें सामान्यतः हिस्सों के खराब हो जाने या गारंटी की अवधि में पुर्जे जोड़कर तैयार की गई गाड़ियों के ठीक प्रकार से काम न करने के सम्बन्ध में हैं। कुछ शिकायतें स्कूटरों के मिलने में होने वाले विलंब के बारे में सामान्य रूप से समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ग) वर्ष 1968-69 में विभिन्न किस्म की गाड़ियों में पाई जाने वाली खराबियों के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

कारें	संख्या
एम्बासेडर	751
फिएट	437
स्टैंडर्ड	140
मोटर साइकिलें तथा स्कूटर	
लम्ब्रेटा स्कूटर	20
वेस्पा स्कूटर	7
एनफील्ड मोटर साइकिल	5
राजदूत मोटर साइकिल	6

इस प्रकार की शिकायतें सामान्यतः निर्माताओं को बता दी जाती हैं और उन्हें यह निर्देश दे दिए गये हैं कि वे विक्रेताओं की संतुष्टि के अनुसार इन खराबियों को ठीक करें।

(घ) सरकार ने मोटर कारों की किस्म में गिरावट के कारणों की पूरी तरह जांच पड़ताल करने तथा सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिशें कार निर्माताओं को बता दी गई हैं और उन्हें इन सिफारिशों में से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों का पालन करने के लिए निदेश दे दिए गये हैं। समिति की सिफारिशें आवश्यक कार्यवाही और उनका पालन किए जाने के लिए स्कूटर और मोटर साइकिल निर्माताओं को भी बता दिये गये हैं। इस विषय पर तीनों कार निर्माताओं के प्रतिनिधियों से अलग-अलग बातचीत भी की गई है और उन्होंने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वे समिति की विभिन्न सिफारिशों का पालन करेंगे।

इस बीच, समिति की एक सिफारिश के अनुसार विशेषज्ञों के एक दल को तीनों कार निर्माताओं के संयंत्रों का उनके आंतरिक निरीक्षण संगठन को सुदृढ़ बनाने में सहायता करने तथा सलाह देने की दृष्टि से दौरा करने के लिए भेजा गया था। इस दल द्वारा सरकार को यह सुझाव भी देना था कि आंतरिक प्रबन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए किस प्रकार के वाह्य निरीक्षण संगठन की स्थापना की जानी चाहिए और वह किस प्रकार प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकेगा। दल की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

Ganda Nullah in Front of Banda Junction

7287. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that "Ganda Nullah" in front of Banda junction on the Central Railway, which comes within the railway boundary is lying open and is not covered by stones ;

(b) whether it is also a fact that this nulllah is very seldom cleaned due to which it gives out dirty smell which is telling upon the health of the employees residing in the railway quarters nearby ;

(c) the arrangements proposed to be made to cover this nullah ;

(d) whether it is a fact that no public urinal has been constructed near the Tonga stand near that station and many passengers urinate there in the open space as a result of which the dirty smell there further increases ; and

(e) if so, whether Government would provide a urinal there near the Tonga stand of the station ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) The so called Nullah is a pucca surface drain 200 ft. away from the Station building at the boundary of the Railway land. It is a masonry section with 1'dia. half-round pipes with brick paving on sides. The drain needs no covering.

(b) The drain is being cleaned regularly.

(c) Covering of the pucca surface drain is not considered necessary.

(d) There is a urinal and latrine block provided for waiting passengers near the Waiting Hall.

(e) It is not necessary to provide additional urinal near the Tonga-stand, as only outsiders are likely to use it.

Plots for Loading Sand at Banda Junction (Central Rly.)

7288. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of plots for loading sand at Banda Junction, Central Railway is very less although there is much business of sand on this Station ;

(b) whether it is a fact that the said plots have been allotted by issuing licences to only one household in the names of the different members of the family ; and

(c) the number of said plots at present at the said station and the number of additional plots proposed to be constructed in future ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) At Banda Junction the demand for plots is in excess of the fourteen plots available. There are 29 uncomplied with requests for plots.

(b) Except that two plots are held, one by the mother and the other by her son there is no case of plots being allotted to different members of the same household.

(c) There are 14 plots available at the station and a proposal to provide 14 more plots is under consideration.

Accidents in Banda Junction Area

7289. **Shri Jageshwar Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the total number of deaths occurred as a result of persons being run over by trains in Banda Junction area (Central Railway) since 1st January, 1969 so far ; and the dates on which such accidents occurred ;

(b) whether this station is almost in the centre of the city at present, because expansion has taken place on the north side and such accidents occur as people have to cross the railway tracks to reach Post Offices, Bus stands, Defence college and Railway quarters etc.;

(c) whether it is also a fact that a scheme to build an overbridge near the Station was undertaken but is now lying half-way ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to avoid such accidents in future and for the facility of the people in their day to day life ?

The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Nil.

(b) The station is in the centre of the city but there is no need for crossing the track as level crossings already exist at either end of Banda station yard.

(c) No.

(d) Does not arise in view of answers to parts (a) and (b) above.

आरक्षण तथा पूछताछ क्लर्कों के रिक्त स्थान

7290. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नयी दिल्ली में विभिन्न रेलवे संस्थानों में आरक्षण तथा पूछताछ क्लर्कों के वेतनमान अर्थात् 150-280 रुपये के भारी संख्या में पद 1967-68 से खाली पड़े हुए हैं; यदि हां, तो ऐसे कितने पद हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 110-180 रुपये के वेतनमान में कई माल बाबुओं तथा टिकट कलेक्टरों को उच्च वेतनमान के रिक्त स्थानों के काम पर लगाया गया, यदि हां, तो ऐसे कितने पद हैं;

(ग) क्या उन्हें उच्च वेतनमान में स्थानापन्न पद का वेतन मिल रहा है अथवा नहीं; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त भाग (क) में उल्लिखित उक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं विशेषकर जब ये सभी पद शत प्रतिशत निम्न वेतनमान में कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरे जाने हैं और उस वेतनमान में स्थानीय रूप से योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं; और

(ङ) उक्त भाग (क) में उल्लिखित सभी पदों को नियमित कर्मचारियों द्वारा कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). बड़ी संख्या में पद खाली नहीं पड़े हैं। लेकिन उनमें से 8 पदों पर स्थानीय रूप से 110-200 रु० वेतनमान के बुकिंग क्लर्कों (माल बाबुओं या टिकट कलेक्टरों को नहीं) को लगाया जाता है और सम्बन्धित कर्मचारियों को कोई स्थानापन्न वेतन नहीं दिया जाता है।

(घ) और (ङ). चुने हुए कर्मचारियों का पेनल उपलब्ध नहीं है। चुनाव करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। जब पेनलशुदा कर्मचारी उपलब्ध हो जायेंगे तो उन्हें उन पदों पर तैनात किया जायेगा।

वेस्टिंग हाउस सैक्सबी फारमर (प्राइवेट) लिमिटेड को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

7291. **श्री स० कुन्दू :**

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री ने वेस्टिंग हाऊस सैक्सबी फारमर (प्राइवेट) लिमिटेड, लंदन के निदेशकों को कलकत्ता में अपनी इंजीनियरी फर्म को बंद करने के लिए लिखा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस फर्म को अप्रैल 1969 में बन्द हो जाना है; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने फर्म के बन्द होने को रोकने और उसे अपने हाथ में लेने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मेसर्स वेस्टिंग हाउस सैक्सबी फार्म (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता फर्म के ब्रिटिश मालिकों ने 31 मार्च, 1969 से फर्म को बन्द करने का विनिश्चय किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के हस्तक्षेप से वे अन्तिम तारीख 15 अप्रैल, 1969 तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गये थे। पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री ने कम्पनी के निदेशकों को कम्पनी बन्द न करने के बारे में लिखा है या नहीं यह मालूम नहीं है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने फर्म को बन्द करना स्थगित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया है, लेकिन उसने यह अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार मेसर्स वेस्टिंग हाउस सैक्सबी फार्म प्राइवेट लिमिटेड को हस्तगत कर ले।

इज्जतनगर में "फर्नेस आपरेटर" की मृत्यु

7292. **श्री स० कुन्दू :**

श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 मार्च, 1969 को एक लोहार की दुकान में आग लग जाने पर इज्जतनगर (पूर्वोत्तर रेलवे) में एक "फर्नेस आपरेटर" जल जाने के कारण मर गया था ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या मृतक के परिवार के सदस्यों को मुआवजा दिया गया था ?

रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) और (ख). 17 मार्च, 1969 को इज्जतनगर कारखाने में एक दुर्घटना हो गई जब लुहार कारखाने में स्प्रिग भट्टी के ऊपर ऊपरी भट्टी तेल टंकी में आग लग गयी जिससे एक भट्टी वाले की मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना की जांच के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने एक समिति नियुक्त की है। जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस दुर्घटना के कारण और अन्य सम्बन्धित ब्योरों का पता चलेगा।

(ग) अन्त्येष्टि व्यय के लिये 60 रुपये के भुगतान के अलावा मृत कर्मचारी की विधवा स्त्री को अनुग्रह के रूप में 500 रुपये का भुगतान भी किया गया है।

19 सितम्बर, 1968 को रेलवे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

7293. **श्री सूरज भान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के जिन रेलवे कर्मचारियों ने 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लिया था उनसे बाद में कहा गया था कि वह किसी भी कारण पर एक दिन की छुट्टी ले लें ;

(ख) क्या कुछ मामलों में ऐसी छुट्टी जिसके लिए आवेदन-पत्र नहीं दिया गया था (एक) स्वीकार की गई ; (दो) अस्वीकार की गई तथा (तीन) पहले स्वीकार की गई परन्तु बाद में अस्वीकार की गई थी ;

(ग) क्या (दो) और (तीन) में उल्लिखित मामलों में सेवा विच्छेद माना गया था ;

(घ) क्या (ख) (तीन) में उल्लिखित कुछ मामलों में अस्थाई कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया था और अब तक उनको पुनः सेवा में नहीं लिया गया है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार (ख) (दो) तथा (तीन) के मामलों के सम्बन्ध में पक्षपात दूर करने के उद्देश्य से उनका पुनरीक्षण करने का है जिससे (ख) (एक) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के समान ही उनके साथ व्यवहार हो और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

माल डिब्बों में सीमेंट का पारेषण

7294. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट रेलवे द्वारा दिये गये माल डिब्बों में, जिन पर "वाटर टाइट लिखा होता है", बुकिंग सम्बन्धी विशेष बातों के अनुसार रेलवे प्रशासन के जोखिम पर तथा स्पष्ट तथा सशर्त रेलवे बिल्टी द्वारा भेजा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे द्वारा दिये गये मूल्यांकन प्रमाणपत्र के आधार पर

माल के पानी से क्षतिग्रस्त दशा में प्राप्त होने पर क्षति के लिये जब दावा किया जाता है तो उसे इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि यह क्षति दरवाजों की तारेड़ों से अन्दर चले गये वर्षा के पानी से हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे माल डिब्बों को "वाटर टाइट" माल डिब्बों के रूप में लिखना उचित है जिनमें पानी आ सकता है और ऐसी दशा में रेलवे प्रशासन क्षति के लिये भुगतान क्यों नहीं करता ?

रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बरसात में सीमेन्ट लादने के लिए जो ढके माल डिब्बे दिये जाते हैं, उनकी यह देखने के लिए जांच की जाती है कि उनमें पानी तो नहीं जाता और ये डिब्बे रेलवे जोखिम पर बुक किये जाते हैं। जारी की गयी रेलवे रसीद निर्बन्ध है या सशर्त, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे बुकिंग के समय पारेषण की हालत, रेल कर्मचारियों ने लदान का पर्यवेक्षण किया है या नहीं, पैकिंग के लिये विहित शर्त को पूरा किया गया है या नहीं, आदि आदि।

(ख) दावों को इस तर्क के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाता कि दरवाजे की दरारों से पानी अन्दर घुस गया। हर दावे का निबटारा उनके गुण-दोष के आधार पर और भारतीय रेल अधिनियम में निर्दिष्ट रेलवे की दायिता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) जिन माल डिब्बों के भीतर पानी घुस जाता है उन्हें "वाटर-टाइट" नहीं माना जाता।

ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए, हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए रेलों द्वारा अपनी जिम्मेदारी को टालने का सवाल नहीं उठता।

अविकारी (स्टेनलेस) इस्पात की चादरें

7295. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 तथा 1968-69 में आज तक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में उद्योग निदेशकों को कितनी मात्रा में अविकारी (स्टेनलेस) इस्पात की चादरें दी गई हैं ; और

(ख) इसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख).वर्ष 1968-69 में बर्तन बनाने के लिए बे-दाग इस्पात की चादरों का कोई आवंटन नहीं किया गया। वर्ष 1967-68 में विभिन्न राज्यों को दिये गये आवंटन का ब्योरा संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 858/69]**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बन्दूक तथा गोला कारखाना, कोसीपुर, कलकत्ता में गोली चलाने के लिये उत्तरदायी सैन्य सुरक्षा कोर के सिपाहियों की गिरफ्तारी के बारे में न्यायालय के कथित आदेश

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"बन्दूक तथा गोला कारखाना, कोसीपुर, कलकत्ता में गोली चलाने के लिये उत्तरदायी सैन्य सुरक्षा कोर के सिपाहियों की गिरफ्तारी के बारे में न्यायालय के कथित आदेश"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इंडियन पैनल कोड की धाराओं 302-307 के अन्तर्गत किए गए कथित अपराधों के लिए 8 मार्च, 1969 को काशिपुर की गन तथा शेल फैक्ट्री में गोलीकांड से सम्बंधित रक्षा सुरक्षा दल के 3 सेविवर्ग की गिरफ्तारी के लिए और उन्हें 23 अप्रैल, 1969 तक न्यायाधीश के सामने पेश करने के लिए कलकत्ता सब-एरिया कमांडर को स्यालदह पुलिस न्यायालय के न्यायाधीश ने वारंट भेजा था। वारंट सब-एरिया कमांडर द्वारा प्राप्त कर लिया गया है ।

स्थानीय सेना अधिकरणों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध एक याचिका भेजी है, और स्टे आर्डर के लिए भी। आशा है कलकत्ता उच्च न्यायालय इस याचिका पर आज विचार करेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : इस दुःखद घटना में कुछ कर्मचारियों की ही मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि श्री विश्वनाथ बनर्जी नामक एक व्यक्ति पागल हो गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सैनिक अधिकारी न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर सकते हैं और क्या इन सिपाहियों को उचित कार्यवाही करने के लिये असैनिक अधिकारियों को न सौंपने का उन्हें अधिकार है ? मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नियमित सेना पर लागू होने वाले नियम सैन्य सुरक्षा कोर पर लागू नहीं होते। वर्ष 1967 में जब आपतकालीन स्थिति समाप्त की गई तो सेना अधिनियम कुछ ऐसे कर्मचारियों पर लागू किया गया था जो सामरिक महत्व के क्षेत्रों में नियुक्त थे। परन्तु कोसीपुर सामरिक महत्व का क्षेत्र नहीं है। यह बात कानून द्वारा स्वीकार की गई है कि बलात्कार अथवा हत्या के मामले में सैनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता है और सिविल न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया और इन्हें असैनिक प्राधिकार को उचित कार्यवाही करने के लिए क्यों नहीं सौंपा गया था।

श्री स्वर्ण सिंह : यह मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है। अतः मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक न्यायालय के आदेश के पालन का सम्बन्ध है, हम उच्च न्यायालय के पास इस आदेश को रद्द कराने के लिए गए हैं। आदेश का पालन करने का इससे अच्छा तरीका और कौन सा हो सकता है। न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करना भी न्यायालय के आदेश का पालन करना है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस मामले में आदेश के पालन का अर्थ यह था कि उन सिपाहियों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिये था और फिर उन पर कार्यवाही की जाती। क्या इसका अर्थ यह है कि कोई सैनिक अधिकारी किसी की हत्या करने के बाद अथवा कोई अन्य ऐसा अपराध करने के बाद न्यायालय के समक्ष कभी आत्म-समर्पण नहीं कर सकता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब कोई न्यायालय किसी व्यक्ति को उन्हें सौंपने के लिए कमांडर को लिखता है तो वह सेना अधिनियम के अनुसार उस आदेश का पालन करने से इस आधार पर इन्कार कर सकता है कि पहले कोर्ट मार्शल होगा जिसे उचित कार्यवाही करने का अधिकार है और उस आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी। परन्तु इस मामले में बचाव के रूप में उच्च न्यायालय से इस आदेश को रद्द करने के लिये कहा गया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I rise on a point of order. This is a question of propriety. Is it not feasible that persons concerned would have been arrested and after their arrest they could file habeas corpus petition as it happens in our case. Please give your ruling in this matter.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। अतः इस बात का निर्णय न्यायालय कर सकता है, अध्यक्ष नहीं।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : The Central Government have appointed a Commission of Enquiry and the State Government have referred this matter to the court. In view of this a question of jurisdiction has arisen. In case the employees of the factory fall under the jurisdiction of Central Government then State Government should fully cooperate with the Enquiry Commission. I want to know whether Central Government have ensured that they are competent authority to hold the enquiry and if so, the steps taken to see that State Government do not put any obstacles during the course of enquiry ?

श्री स्वर्ण सिंह : केन्द्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिये पूरी तरह सक्षम है। यह सच है कि यह मामला राज्य तथा केन्द्रीय दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और यदि राज्य सरकार ने जांच आयोग की नियुक्ति की होती तो केन्द्रीय सरकार को जांच आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु सभा में यह मांग की गई थी कि सरकार जांच आयोग नियुक्त करे। इसीलिये इस जांच आयोग की नियुक्त की गई थी। हमें आशा है कि राज्य सरकार इस आयोग के साथ सहयोग करेगी क्योंकि वे भी वस्तुस्थिति को जानना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उप-मुख्य मंत्री के

साथ मेरी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे इस घटना के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय करेंगे ।

Shri Hardyal Devgun: State Government or Central Government whosoever is competent should take action in this matter.

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में वे बातचीत कर रहे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): The State or Central Government should not make it a prestige issue. Only thing is that competent authority should take action. It is true that State Government wants to give political colour to this question because they want to cover Ravindra Sarover incident. In view of this I suggest that action should be taken strictly according to legal sense of the case (**Interruptions**).

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : राज्य सरकार के विरुद्ध निराधार आरोप लगाये जा रहे थे और मुझे आशा थी कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे परन्तु आप अब यह कह रहे हैं कि हमारी ओर से भड़काया जा रहा है । क्या आप इस प्रकार के आरोप लगाने से इन लोगों को रोकेंगे ?

Shri Kanwar Lal Gupta: We have a right to express our opinion about that State Government.

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों शान्त हो जायें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वह सभा में राज्य सरकार की निन्दा कर रहे हैं और आप उनको अनुमति दे रहे हैं·····। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने की अनुमति देने का मुझे अधिकार है । आप मुझ पर भी नियंत्रण रखना चाहते हैं ····। (**व्यवधान**) प्रत्येक माननीय सदस्य के समान अधिकार हैं । कृपया बैठ जाइये ·····। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इन बातों को प्रोत्साहित करते हैं····। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई व्यक्ति कोई आरोप लगाता है, और किसी दल का कोई नेता उस पर आपत्ति करता है तो मैं समझ सकता हूं । (**व्यवधान**) मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी कम परवाह नहीं करता हूं । (**व्यवधान**)

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष से यह शब्द कह सकता है कि वह उनकी कम परवाह नहीं करता है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : रवीन्द्र सरोवर कांड का उल्लेख करने पर ये लोग उत्तेजित क्यों हो जाते हैं ? यह सब के लिये शर्म की बात है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपका भी इस मामले में हाथ है । (**व्यवधान**)

श्री कंवरलाल गुप्त : यह एक गम्भीर आरोप है। उन्हें ये शब्द वापिस लेने चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने अध्यक्ष का अपमान किया है। इन बातों को सभा की कार्यवाही वृतान्त में से निकाल देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न व्यक्ति का है दल का नहीं। श्री बसु अध्यक्ष के विरुद्ध ऐसी बातें बार बार करते हैं। मैं प्रताड़ना कर सकता हूं। उन्हें भविष्य में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये अन्यथा सारी सभा को गम्भीर कार्यवाही करनी पड़ेगी। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे बोलने का अवसर दीजिये। यह एक-पक्षीय निर्णय है।

Shri S. M. Banerjee : We have no objection to give Shri Jyotirmoy Basu chance to speak. The question of Rabindra Sarobar incident has been referred to a commission of Enquiry. It is also before a high court. Jan Sangh had also organised a demonstration against Shri Jyotirmoy Basu. But I may point out that it is not only for them to protect the dignity of the women of this country. When Goondas. **(Interruptions).**

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तेजना की भी सीमा होती है। हमें उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। श्री ज्योतिर्मय बसु अपनी बात को शान्तिपूर्वक कल कह सकते हैं, आज नहीं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the hon'ble Minister be pleased to state the steps taken to see that working of Defence Projects in Bengal and other States remains satisfactory and there should not be any differences between State and Central Government ? Whether he is going to introduce any legislation to vest more powers in Central Government ? The second thing is that Central Government employees working in the States are being demoralised. In view of this may I know the steps taken to check the same and safeguard their interests ? Will the hon'ble Minister inform this House the subject matter of his discussions with West Bengal Government and whether he will assure the House that legal action be taken **(Interruptions).**

श्री समर गुह : श्री ज्योतिर्मय बसु यहां पर उत्तेजना फैला रहे हैं। आपको उन पर नियंत्रण रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय लोकतंत्र में मतभेद होना आवश्यक है। परस्पर सहनशीलता से ही काम चल सकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : My last question is that in order to maintain smooth relations between Centre and States whether Government would give assurance that appropriate legal action would be taken and there will not be any question of privilege.

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि औद्योगिक तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र में बहुत सी परियोजनाएं और कई वित्तीय संस्थाएं विभिन्न राज्यों में चल रही हैं और हमारे संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। राज्य सरकारों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिये और उन्हें केन्द्रीय सरकार के अधिकार

क्षेत्र को भी मान्यता देनी चाहिये। कुछ नई समस्याएं पैदा हो गई हैं परन्तु निःसंदेह हमारे देश के भद्रजन उनका संतोषजनक समाधान निकाल सकते हैं। मेरे विचार में वर्तमान संविधान और कानून के अनुसार ही उपर्युक्त समस्या का समाधान किया जा सकता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आने का प्रश्न है, मेरे विचार में इस प्रकार की स्थिति पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। राज्य सरकारों को कानूनी तथा संवैधानिक तरीके से काम करना होगा। यदि वे संविधान के अनुसार कार्य करें तो किसी के मनोबल में गिरावट आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यदि गैर-कानूनी रूप से अथवा असंवैधानिक ढंग से कार्यवाही की जाये तो कोई और स्थिति पैदा हो सकती है। हम इसी आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं कि सभी काम कानून और संविधान के अनुसार किये जायेंगे। यही आश्वासन हमने पश्चिम बंगाल के मुख्य एवं उप-मुख्य मंत्री को दिया है। हम इसके लिये वचनबद्ध हैं कि हम सभी कार्य कानून और संविधान के अनुसार करेंगे और राज्य सरकारों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयत्न जारी रखेंगे।

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्णनगर) : कोसीपुर के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के वकील से पूछा था कि क्या पुलिस द्वारा श्री चक्रवर्ती को हथकड़ी लगाया जाना आवश्यक था जैसाकि उसने अपनी याचिका में कहा है। यह घटना कोसीपुर फैक्टरी के अन्दर हुई थी जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? **(व्यवधान)** उन्होंने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का इस प्रकार अपमान न किया जाये **(व्यवधान)** अन्यथा वे हतोत्साह हो जायेंगे ? उनका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है अन्यथा कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस बात से सहमत हूं कि कानून के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। इसीलिये हमने न्यायालय के माध्यम से कार्यवाही की है। चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को रिहा कर दिया था। फिर हम सब न्यायालय में गये थे और दो व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया था। चौथे अधिकारी के लिये हम उच्च न्यायालय में गये थे और वह भी जमानत पर रिहा हो गये हैं। मैंने समाचार-पत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ा है। यदि राज्य सरकार भी कानूनी मार्ग अपनाये तो हम बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे।

जहां तक हथकड़ी लगाने का सम्बन्ध है, यदि समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार ठीक है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने उस सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त कर दी है और अब पश्चिम बंगाल सरकार को उस राय का ध्यान करते हुए सावधानी से कार्यवाही करनी चाहिये।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : मैं श्री फख्रुद्दीन अली अहमद की ओर से उद्योग (विकास तथा विनिमयन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन निम्नलिखित विकास परिषदों के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अकार्बनिक रसायन उद्योगों की विकास परिषद् ।

(2) भारी बिजली उद्योगों की विकास परिषद् ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 841/69]

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : विभिन्न मंत्रालयों, प्रतिनिधिमंडलों और विकास परिषदों के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब किया जाता है । वर्ष 1967-68 मार्च 1968 में समाप्त हो गया था । वस्तुतः इन परिषदों का कोई महत्व नहीं क्योंकि उनकी सिफारिशों की सदा उपेक्षा की जाती है । क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि इन प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में इतना अधिक विलम्ब क्यों हुआ है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : मैं इसके कारणों का पता लगाऊंगा और माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा ।

खुलना (पूर्वी पाकिस्तान) के निकट इंडियन एयरलाइंस कार्पोरेशन के फोकर फ्रैंडशिप विमान की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : ACCIDENT TO I. A. C. FOKKER FRIENDSHIP NEAR KHULNA (EAST PAKISTAN)

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मुझे अत्यन्त खेद के साथ सभा को सूचित करना पड़ रहा है कि ....

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमने इसी विषय पर ध्यान आकर्षण सूचनाएं भेजी थीं और हमें यह बताया गया था कि उन पर विचार किया जा रहा है । अब मंत्री महोदय अपने आप वक्तव्य देने लगे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण सूचनाएं कल भेजी गई थीं और वे आज मुझे मिली हैं । परन्तु क्या मंत्री महोदय को ऐसे गम्भीर मामलों के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं की प्रतीक्षा करनी चाहिये । इस मामले में एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है । संसद ही नहीं, समस्त देश इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक है ।

श्री हेम बरुआ : निःसंदेह यह अविलम्बनीय विषय है ।

डा० कर्ण सिंह : मुझे अत्यन्त खेद के साथ सम्मानित सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि इंडियन एयर लाइंस का फोकर फ्रेण्डशिप विमान (वी० टी०-डी० ओ० जे०) जो कि अगरतला से कलकत्ता की उड़ान संख्या आई सी-260 परिचालित कर रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान सोमवार, 21 अप्रैल को भारतीय मानक समय के अनुसार सायं 7·16 बजे अगरतला से रवाना हुआ, और उसके दमदम पर सायं 8.17 बजे उतरने की आशा थी। पाकिस्तान इण्टरनेशनल एयर लाइंस ने कल काफी रात गये इंडियन एयर लाइन्स के दमदम स्थित कार्यालय को सूचित किया कि एक विमान सायं 8.25 बजे कलकत्ता से लगभग 70 मील दूर, पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में खुलना के निकट डुमरिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तथा विमान में बैठे व्यक्तियों में से किसी के भी जीवित बचने के कोई आसार नहीं हैं। ढाका के नागर विमानन प्राधिकारियों से आज सुबह प्राप्त एक अन्य सूचना से इसकी पुष्टि हो गयी है।

हमारी सूचना के अनुसार कलकत्ता के चारों ओर अस्सी मील अर्धव्यास के क्षेत्र में कल शाम को मौसम बहुत खराब हो गया था और यह संभावना है कि विमान उत्तर-पश्चिम से उठने वाले तूफानी मौसम में जिसे आमतौर पर 'नौरवेस्टर' कहते हैं, फंस गया होगा। लगभग उसी समय कराची से ढाका जाने के लिये तैयार एक पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 707 विमान को खराब मौसम के कारण मजबूरन घूमकर कलकत्ता की ओर आना पड़ा।

इंडियन एयरलाइंस के उक्त अभागे विमान में 40 यात्री तथा चार कर्मी-दल के सदस्य थे जिनमें से दो पायलाट, कैप्टेन आर० घोष तथा फर्स्ट आफीसर एम० एम० सिंह, एक विमान परिचारिका कुमारी पुष्पा तथा एक स्टीवर्ड श्री डिगमान थे। यात्रियों की सूची की पुष्टि होते ही उनके निकटतम सम्बन्धियों को सूचित कर दिया जायेगा। इंडियन एयरलाइंस का एक विमान, आवश्यक वीजा प्राप्त करने के बाद, कारपोरेशन एवं नागर विमानन के महानिदेशालय के अधिकारियों को लेकर कलकत्ता से जेसोर के लिए शीघ्र ही रवाना हो रहा है।

श्री हेम बरुआ : इस दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली मौतों से हमें बहुत दुःख हुआ है। हम शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को सभा की ओर से शोक व्यक्त करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय भी कृपया शोक संतप्त परिवारों को सभा की ओर से शोक व्यक्त कर दें।

डा० कर्ण सिंह : अच्छा, जी।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

प्रतिरक्षा मंत्रालय—जारी

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Sir, I have come to know that the condition of Shrimati Sushila Nayar is very serious. Will you kindly ask your Secretariat to inform the House about her condition.

अध्यक्ष महोदय : यह अनुचित बात है, मैंने कल कहा था कि शायद मंत्री महोदय उनके स्वास्थ्य के बारे में माननीय सदस्य को सूचना भेजेंगे। हमें भी उनके भूख हड़ताल करने पर चिन्ता है परन्तु इस प्रकार के मामलों को हर बार सभा में नहीं उठाया जाना चाहिये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : उनकी स्थिति बहुत गम्भीर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम कार्य-सूची की उपेक्षा करके इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं? हम सबको उनके स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता है परन्तु इस ढंग से ऐसे मामलों को उठाना अनुचित है। मुझे विश्वास है कि वे दोबारा ऐसी बात नहीं करेंगे।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मैं सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना को तैनात करने के बारे में चर्चा कर रहा था। सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि वहां पर तैनात सैनिक यह अनुभव करें कि देश के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस कार्य को करने का एक तरीका यह है कि जहां सैनिकों की नियुक्ति हो, वहां के लोगों के साथ वे मिलजुल कर रहें। एक दूसरा तरीका यह है कि सेवा निवृत्त सैनिकों को उन क्षेत्रों में बसा दिया जाये जिससे सैनिकों तथा जनता के बीच भ्रातृ भावना बनी रहे।

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि कुछ लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाया जाये ताकि वहां रहने वाले लोग यह अनुभव करें कि वह भी राष्ट्र के अंग हैं। ऐसा करना इसलिये भी आवश्यक है कि हमारी सीमा बहुत बड़ी है। यदि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी स्थिति पैदा नहीं की जाती तो केवल वहां फौज भेजने से काम नहीं चलेगा।

यह विभाग भूमि का अर्जन बड़ी शीघ्रता से करता है लेकिन भूमि को अलाट करने में वर्षों लग जाते हैं। जिन लोगों की यह भूमि है, उनके लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। बम्बई तथा अन्य स्थानों पर भी प्रतिरक्षा अधिकारियों ने भूमि का अर्जन किया है। भूमि का अर्जन करने के बाद वह बेकार पड़ी रहती है।

आज स्थिति यह है कि समुद्र तट के निकट की सारी भूमि इस विभाग ने अर्जित कर ली है और लोग बे-घरबार हो गये हैं।

नौ सेना के शस्त्रागार को वहां बनाना उचित नहीं है। बम्बई पत्तन पर तेल टरमिनल है। वहां परमाणु भट्ठी है। हमें यह बताया गया था कि चूंकि शस्त्रास्त्र और अन्य सामान को उतारा नहीं जा सकता था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने इस घाट का निर्माण 1.75 करोड़ रुपये खर्च करके किया है। यदि इस सम्बन्ध में जरा भी सावधानी से काम लिया जाता तो उन्हें यह पता लग सकता था कि काई की वजह से वहां घाट नहीं बनाया जा सकता था। अब वहां ड्रिलिंग किया जा रहा है। इस शस्त्रों के डिपो के लिये इस विशेष स्थान का चुनाव करते समय इन बातों पर विचार नहीं किया गया था।

बम्बई डाक में विदेशी ठेकेदार हैं। क्या उनके लिए वहां शिविर लगाना आवश्यक था ? सुरक्षा के खतरे के कारण लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये विदेशी वहां रह रहे हैं। उनके पास उनके कैमरे, लाउड स्पीकर और सब चीजें हैं। बम्बई पत्तन पर विदेशियों का ठहरना सुरक्षा के लिये खतरा है। वे विदेशी वहां डॉक के पूरा होने तक ठहरेंगे।

इस सम्बन्ध में सरकार क्या सावधानी बरत रही है ? यदि सरकार इस बात का उत्तर नहीं देती तो इससे प्रकट होता है कि वह अपने देश की जनता को इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रखना चाहती है।

क्या वहां तेल टर्मिनल, परमाणु भट्टी और शान्ताक्रुज हवाई अड्डे को, जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, को आंवटित करते समय इन तथ्यों पर विचार किया गया था ?

क्या इस बात पर भी विचार किया गया था कि वहां घाट के निर्माण किये जाने के बाद जहाज सुरक्षापूर्वक आ सकेंगे ? यदि इन सब बातों पर विचार नहीं किया जायेगा तो घाट के निर्माण करने पर व्यय व्यर्थ जायेगा। इसको ठीक करने के लिए वहां स्थित कुछ ठोस चट्टानों की सफाई करने पर कुछ करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर छः मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Six Minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरन-तारन) : एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की फिर से नियुक्ति किये जाने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। 4901 एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों में से लगभग 1852 अधिकारियों को स्थायी सूची में रखा गया है और लगभग 1752 अधिकारियों को विभिन्न संवर्गों, आई० सी० एस०, आई० ए० एस० आदि में लगा दिया गया है और कुछ की नियुक्ति सरकारी उपक्रमों में कर दी गई है। अब केवल 896 अधिकारी विचाराधीन सूची में हैं। इस बात का भी आश्वासन दिया गया है कि उन्हें भी नौकरी दे दी जायेगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों के हित को ध्यान में रखने वाला एक सरकारी संगठन भूतपूर्व, सैनिक और नाविक बोर्ड है। उनकी मुख्य मांगें, फिर से नौकरी दिलाना, उनके परिवारों को सहायता

देना, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता देना और उनकी पेंशन की व्यवस्था करना है। पेंशन में परिवर्तन कई बार किया गया है लेकिन उससे भूतपूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं हुए हैं। इस समस्या को पेंशन आयोग की नियुक्ति द्वारा हल किया जाना चाहिए।

जहां तक अन्य कठिनाइयों का सम्बन्ध है, तीनो विंगों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में एक स्थायी प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इस समिति को भूतपूर्व सैनिकों की सब समस्याओं को सौंपा जाना चाहिए।

जहां तक भूतपूर्व सैनिकों को फिर से नौकरी देने का प्रश्न है, सब भूतपूर्व सैनिकों को फिर से नौकरी पर लगाना कठिन होगा। लेकिन उनकी सेवाओं को समाप्त करने से कुछ समय पूर्व उन्हें परिवहन सेवाओं या रेडियो मैकेनिज्म या मरम्मत या कृषि उपकरणों के निर्माण आदि का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि जब उन्हें नौकरी से निकाला जाये तो वे अपने असैनिक जीवन में उसका लाभ उठा सकें।

भूतपूर्व सैनिकों के अधिकांश संगठन गैर-सरकारी हैं। अतः सरकार का यह कहना उचित नहीं होगा कि वह केवल सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा प्रस्तुत मांगों पर ही विचार करेगी। वे संगठन संतोष पूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुख्य अधिकारी और सेवा निवृत्त अधिकारी बहुत वरिष्ठ अधिकारी नहीं हैं। सैनिकों में समानता और उत्कर्ष भावना उत्पन्न करने के लिए सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष उच्च दर्जे का होना चाहिए।

राष्ट्रीय कैडेट कोर को राष्ट्रीय हित में आरम्भ किया गया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा था। विद्यार्थियों को देने वाले अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप मुझे बहुत दुःख हुआ है। यदि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा कोर या क्रीड़ा संस्था में जाने की अनुमति होगी तो भारत पाकिस्तान के संघर्ष के समय जो कार्य उन्होंने किया है, वह उपलब्ध नहीं हो सकेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ऐसी नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए। वहां हमें हमेशा इन युवकों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। वर्ष 1965 में उन्होंने जो प्रशंसनीय कार्य किया है, उसको देखते हुए इस विषय पर शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय कैडेट कोर को सीमावर्ती क्षेत्रों में अनिवार्य किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण रक्षा प्रधान होना चाहिए ताकि यदि देश पर कोई हमला हो तो वे आधुनिक प्रशिक्षण के आधार पर देश की रक्षा करने में समर्थ हो सकें। इस बारे में यदि कोई निर्णय लिया जाना है तो वह संसद के स्तर पर लिया जाना चाहिए और केवल कुछ मुख्य अध्यापकों और उप-कुलपतियों के सुझावों के आधार पर नहीं।

उन किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई थी जिनकी भूमि प्रतिरक्षा कार्य के लिये ली गई है। दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया है लेकिन उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। मुझे आशा है माननीय मंत्री इस बात का आश्वासन देंगे कि इस बारे में

यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी। इससे न केवल किसानों को कठिनाई हुई है बल्कि कृषि उत्पादन की भी हानि हुई है क्योंकि किसान अपने खेतों तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

संघर्ष के समय खेमकरन क्षेत्र में दुकानदारों और किसानों को कुछ सहायता और मुआवजा दिया गया था। सरकार उसका भुगतान करने के लिये दबाव डाल रही है। उसको भुगतान करने की अवधि को 10 या 15 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें।

श्री गिरिराज शरण सिंह (मथुरा) : यह कहा गया है कि इस वर्ष का व्यय गत वर्ष की तुलना में 50 करोड़ रुपया अधिक होगा। इसका कारण सेना के वेतन और भत्ते में वृद्धि बताया गया है। मैं इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी अभी भी खुश नहीं है और उनका नैतिक स्तर न केवल गिर रहा है बल्कि वह बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की त्रुटिपूर्ण योजना के परिणामस्वरूप देश को बहुत हानि उठानी पड़ी है दुर्भाग्यवश हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी प्रतिरक्षा की आवश्यकता के लिये इंडेन्ट दिये जाते हैं उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है और इसकी क्रियान्विति भ्रष्ट अधिकारियों पर छोड़ दी जाती है जिससे देश को हानि उठानी पड़ती है। प्रतिरक्षा मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसा न हो। सेवाओं में वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति पहले की जानी चाहिये ताकि नये आने वाले अधिकारी सरकार की नीति समझ सकें। सेनाध्यक्षों को उच्च राजनयिक पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस बारे में सरकार को बहुत कटु अनुभव हुए हैं।

रक्षा उत्पादन के मामले में हम रूस सरकार पर निर्भर रहे हैं। रूस सरकार ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर ताशकन्द समझौता का उल्लंघन किया है। हमारी सेना को इस समय आयुध कारखानों द्वारा शस्त्रों की सप्लाई की जाती है। शान्ति के समय यह सप्लाई पर्याप्त है। लेकिन युद्ध के समय वह हमारी सेना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। अतः गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित मुख्य उद्योगों को भी यदि आवश्यकता पड़े तो प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भारतीय सेना में विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में लड़ाकू सैनिकों और माल सप्लाई करने वाले सैनिकों का अनुपात सबसे अधिक माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और इस अनुपात को कम करने का प्रयास करेंगे।

वायु सेना में 45 स्क्वाड्रन हैं। इनमें से कितने स्क्वाड्रनों के पास पुराने विमान हैं। परिवहन स्क्वाड्रन पर पुराने विमान है और बमवर्षक विमान भी पुराने हो गये हैं। हमारे लड़ाकू यूनिट को नये विमान देने की चर्चा है।

विमान बनाने के बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। देश में विद्यमान खतरों की प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी है। भारत के लोग ही देश की रक्षा कर सकते हैं। हमारे उग्रवादी उद्देश्य नहीं हैं। देश को इस समय पनडुब्बियों की आवश्यकता नहीं है। यदि देश में कभी किसी समुद्री भाग पर हमला होता है तो देश की नौसेना नहीं बल्कि वायुसेना देश की समुद्री सीमा की रक्षा करेगी। अतः हमें नौसेना की बजाये वायुसेना के परिवहन स्क्वाड्रन में वृद्धि की जानी चाहिए।

कनिष्ठ अधिकारियों को वेतन, मकान और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए उन्हें अग्रिम क्षेत्रों में कम से कम समय के लिये रखा जाना चाहिए। यदि कोई बटैलिया या ब्रिग्रेड या डिवीजन अग्रिम क्षेत्र में जाती है तो उसे अपने भारी शस्त्रास्त्र और परिवहन वहीं छोड़ आने चाहिए ताकि उसके स्थान पर आने वाली नई ब्रिग्रेड मामूली शस्त्रास्त्रों के साथ वहां पहुंच सके। इसके परिणामस्वरूप परिवहन पर होने वाले व्यय की बचत की जा सकेगी।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : मैं मंत्री महोदय की प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने अपने मंत्रालय का प्रतिवेदन संसद् सदस्यों में परिचालित किया। प्रतिवेदन में कई त्रुटियां और असंगतियां हैं। जब तक प्रतिवेदन में त्रुटियां और असंगतियां रहेंगी प्रतिवेदन के बारे में शंका रहेगी।

उपकरणों के बारे में यह नहीं बताया गया है कि उनका किन नियमों और शर्तों के अधीन भुगतान किया जायेगा। कुछ मामले में जैसे परागा टूल्स एण्ड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में ब्योरा दिया गया है। लेकिन ये प्रतिरक्षा उपकरण नहीं हैं।

कुछ मास पूर्व जब मैं इग्लैंड गई थी तो मुझे यह जानकर शर्मिन्दा होना पड़ा कि हमारी प्रतिरक्षा के बारे में हमारे से ज्यादा उन्हें जानकारी है। उन्होंने कहा कि वे हमारे किसी भी देश से शस्त्रास्त्र लेने में बाधक नहीं होना चाहते। सभा को भी यदि मूल जानकारी दी जाती रहे तो यह अच्छा होगा।

हमारे देश की सैनिक शक्ति बहुत अधिक है। हमें अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों से लैस करना चाहिए। उनके परिस्थितियों के अनुकूल हथियारों की व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारी वायु सेना की 45 स्क्वाड्रनें हैं उनमें केवल 500 लड़ाकू विमान हैं।

हमें कम से कम 1,000 विमानों की आवश्यकता है। संसद् में इस बात की कभी भी जानकारी नहीं दी गई। प्रतिरक्षा का विषय दलगत विषय नहीं है। माननीय मंत्री यह बतायें कि क्या हमारी स्क्वाड्रन शस्त्रों से पूरी तरह से लैस है और क्या हमारे स्क्वाड्रन, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में जहां हमें चीनियों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है के पास प्रक्षेपणास्त्र और राडार हैं। गत पाकिस्तानी संघर्ष में हमें 'नैट' विमानों की सहायता लेनी पड़ी थी और

उन्हें बहुत नीचे उड़ाया गया था क्योंकि हमारे पास रात में उड़ने वाले लड़ाकू विमान नहीं थे। क्या अब इस कमी को दूर कर लिया गया है ?

लड़ाकू विमान चालकों का सक्रिय जीवन पांच या अधिक से अधिक दस वर्ष का होता है।

हमारे पास तेजी से उड़ने वाले विमान हैं जो कुछ समय के लिये उड़ सकते हैं। लेकिन राडार के बिना वे उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारा प्रक्षेपणास्त्र खरीदने का प्रस्ताव है।

प्रतिरक्षा पर कुल 1,300 करोड़ रुपया व्यय हुआ है। इस वष संसद् 1,300 करोड़ रुपये की स्वीकृति देगी। वित्त मंत्रालय ने योजना के लिये 1,737 रुपये की व्यवस्था की है। प्रतिरक्षा के लिये 1,300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अब समय आ गया जबकि हमें प्रतिरक्षा में मितव्यता करनी चाहिये।

केवल मिग विमान डिवीजन में ही 100 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। प्रतिरक्षा पर कुल विनियोजन 500 करोड़ रुपये का होगा। क्या प्रतिरक्षा उत्पादन यूनिट का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। यदि प्रतिरक्षा मंत्रालय के बजट का गम्भीरता से अध्ययन किया जाये तो उसमें कमी की जा सकती है।

क्या स्टाफ-कारों के प्रयोग के बारे में किसी व्यक्ति ने अनुमान लगाया है ? आज की तुलना में पहले इस बारे में अधिक कठोर विनियमन थे। देश में अर्दली प्रणाली है। देश में लगभग 35,000 से 40,000 तक अधिकारी हैं। लगभग 11,500 या 12,000 अधिकारियों के पास अर्दली हैं। कुछ उच्चतम अधिकारियों के पास तीन या चार अर्दली हैं। अतः लगभग 30,000 व्यक्ति अर्दली का काम कर रहे हैं।

अर्दलियों पर 15 करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं आता। भारत जैसा गरीब देश इस खर्च को सहन नहीं कर सकता। असैनिकों के सेना में नियुक्त किये जाने के प्रश्न का विरोध किया गया है। लेकिन असैनिकों को सेना में स्टोरकीपर और क्लर्कों की नौकरी देने में कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये क्योंकि सेना के व्यक्तियों को नौकरियां देने में इससे दुगना खर्च होता है।

स्टाफ-कार, अर्दली और सेना कर्मचारियों के स्थान पर कुछ पदों पर असैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति से लगभग 75 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

वरिष्ठ अधिकारियों की परिलब्धियां इतनी अधिक हैं कि अन्य वर्गों में इस बारे में असंतोष है। निम्न श्रेणी के अधिकारियों और जवानों को दिये जाने वाले लाभ में वृद्धि नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप उनमें असमानता की भावना उत्पन्न हो गई है। सेना की तीनों सेवाओं में परिलब्धियों में असमानताएं हैं। सेना में सबसे अधिक परिलब्धियां दी जाती हैं।

मंत्री महोदय ने उल्लेख किया था कि वर्ष 1968-69 में 107 करोड़ रुपये का प्रतिरक्षा उत्पादन हुआ। इस पर 500 करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया है। 107 करोड़ रुपये के उत्पादन सम्बन्धी इन आकड़ों पर हमें गर्व नहीं करना चाहिये। दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में इनके लिये बहुत बाजार उपलब्ध हैं, अत: हमें इसके उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये।

प्रतिरक्षा उत्पादन एकक का कार्य एक प्रतिरक्षा सेवा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इससे सेना को हानि हुई है और एकक को कोई लाभ नहीं हुआ है।

क्या सैन्य संचालन, अनुसन्धान, सशस्त्र सेनाओं के ढांचे के पुनरीक्षण, गवेषणात्मक नियंत्रण आदि की कोई व्यवस्था है। क्या दो संघर्षों के बाद भी कोई व्यवस्था की गई है ?

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि मितव्ययता से काम लिया गया तो व्यय में दस प्रतिशत अर्थात 130 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हो सकती है। 500 करोड़ रुपये की लागत के इन प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों से देश की अर्थ-व्यवस्था को सहायता मिल रही है। इनमें प्रशिक्षण प्राप्त युवक वैज्ञानिक, इंजीनियर तथा तकनीशन काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। प्रतिरक्षा उत्पादन को प्रतिरक्षा मंत्रालय से अलग स्वतंत्र इकाई बनाने की आवश्यकता है क्योंकि अब इसका आयात बहुत बड़ा हो गया है।

आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को पेंशन देने का आश्वासन दिया गया था किन्तु वह अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में मैं अपने से पूर्व वक्ताओं द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं।

Shri George Fernandes (Bombay South): Mr. Chairman, Sir It is very unfortunate that there are very few Members in the House, when the Demands for Grants of the Ministry of Defence are being discussed. It shows that how much interest the hon. Members take in matters relating to the Defence of the country..

I really wondered when during the recent mid-term elections our Deputy Prime Minister had said in a propaganda meeting of the party that our defence forces were strong enough to face both China and Pakistan at the same time. But we fail to understand that on what basis he made that tall claim. The Report of the Ministry of Defence does not give any figures in regard the strength of our defence forces although one could or one can have this information by calculating the figures of pay and allownce of our forces given in the Report and also other sources. It is not known why such vital information is not given to the Parliament.

As far as I know India's military strength is rated as number in the world and it is estimated that there are 9 lakh Jawans and officers in our defence forces including Air Force and Navy. How can we talk of facing China and Pakistan with this strength, is some thing which one cannot understand.

It is a well known fact that Pakistan has almost doubled her military strength since the Indo-Pakistan cenflict in 1965. China has also doubled her strength with the help of Russia

and other West European Countries and she claim that the strength of her armed forces is 27 lakhs while the strength of Navy and Air Force stands at 1½ lakhs and one lakh respectively. Apart from this the People's Militia of China has strength of 20 crores. She has also manufactured atom bomb and intercontinental ballastic missiles. In the light of these facts the claim made by the Deputy Prime Minister has no meaning. Perhaps the former cabinet Secretary Khera has rightly said in his book published recently :

> "It will be difficult and probably impossible for India to overtake the China's military build up. The Indian industrial and productive effort has been increasing ; but the rate of increase, starting from a base line some what ahead of China, has been far slower than the Chinese ; and is only a small fraction of what would be required to enable a full military engagement."

> "Further more, the gap is increasing, for, Communist China is racing ahead in all out effort to catch up with the United States of America and with the Soviet Union. Her sights are set differently and higher than those of the Indian Government."

Not only this, China believes in the free use of weapons and she has also a big man power. Mao says :

> "Power flows from the barrel of a gun. Weapons are an important factor in war, but not the decisive one. It is man and not the material that is decisive. The contest of forces is not only a contest of military and economic power, but also one of the power and morale of man. Military and economic power must be controlled by them."

Mao has always worked for increasing the military and economic power of his country. Generally there is no class feeling between the officers and the jawans there. Today countries like America recognise the power of China and are interested to have good relations with her.

It has been stated in the report of the Ministry that a new Defence plan is being formulated. The hon. Minister should explain what is that plan and what will be its cost. It should also be clarified whether that plan is included in the budget presented in the House or it is out side that budget. It is nothing new why are such statements made to mislead the people ?

So far the defence production is concerned, while the strength of the armed forces is increasing, the value of goods produced in ordnance factories is going down. The only possible for this decrease can be that the private sector is being given contracts. If the hon. Minister denies it, let him explain why has the production gone down.

The Audit Report and the Appropriation Accounts—Defence show that there is a lot of wastage and corruptions in defence establishments. In one case the Department of Defence Supplies was cheated of Rs. 7 lakhs by supplying stones in place of soap. This case was detected one and a half years back but no action has so far been taken against the Company which made the supply. A lot of saving could be effected if this corruption is stopped. The savings thus effected can be utilized for giving more pay and other facilities to the Jawans.

It is regrettable that a section of our people believes in using the armed forces for putting down labour and other agitation in the country. In this I would like to quote few lines from an article of Shri Lobo Prabhu :—

"How serious the internal threat can be from those who take democracy to the streets

cannot be estimated, particularly because the threat is contained by the Army's capacity to meet it by being in reserve for the Central and even the State Police. That the Army is available is an insurance not only in physical, but in the psychological terms that the Police are not indispensible and therefore are not worth reducing. This, in fact, is the Army's greatest justifications and if we have no disputes with Pakistan and China, it would have been necessary to invent them to keep the Army available against internal disturbances."

In this connection I submit that the army should be kept outside politics. Otherwise people will lose faith in democracy.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

It is very necessary that we attach due importance to our territory and love it as others. Nations like Russia and China do and make a firm resolve that we will recover every inch of our territory from our enemy even if we have to fight for it. We should also have a clear cut policy in regard to Tibet and also try to manufacture atom bomb. In any case a new direction is urgently needed in our defence policy.

Shri Sitaram Kesri (Katihar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is after the Chinese aggression in 1962 that the Government have realised that we should increase the power and the strength of our defence forces—the army, Air force and navy. Accordingly some steps have been taken to develop and boost up the production of Military hardwares in the country. The tanks and the warship, Nilgiri manufactured in India are the signs of our military power and progress. Nevertheless, it is necessary that our forces are further strengthened so as to be fully capable of repelling any attack on our frontiers. We have to bear in mind that our mountain frontier in the North extends to about 3,000 miles and we are constantly faced with the danger of an attack over there from China and Pakistan. Therefore it is necessary that trained forces in mountain warfare should be stationed there and should be kept in readiness to meet any challenge.

There is no doubt that our defence budget has gone up from Rs. 400 crores in 1962 to Rs. 1100 crores. The Chinese aggression on our Northern borders has made it necessary for us that we increase our military to defend our sovereignty and freedom. There should be still more budget provision for defence.

We have a long coastal border. The House might be aware that Britain has decided to close her military and naval bases and withdraw from South East. It has also been reported in the press that China want to fill up the vaccum so created. The Government should take note of this development and should take all possible steps to safeguard the interests of the country.

Pakistan is our neighbour and we want to have friendly relations with her. Therefore, the Government should take initiative to have some sort of an agreement with Pakistan. The Government should also take steps to bring together the Asian countries which are commonly faced with the danger of an attack from China or some other country. We shouid have a common line of defence with such countries so that we may repel the Chinese attack if there is any.

श्री नाथपाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह खेद की बात है कि इस वर्ष प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा के समय प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों के प्रति जितनी

उदासीनता दिखायी जा रही है उतनी पहले कभी नहीं दिखाई गई थी। हम प्रतिरक्षा के मामले में बहुत अच्छी तरह सोच-समझ कर कार्य नहीं करते हैं। शायद हम इसलिये ढीले पड़ गये हैं कि हम यह सोचते हैं कि पाकिस्तान अपनी आन्तरिक समस्याओं में फंसा हुआ है और चीन रूस के साथ विवाद में उलझा हुआ है। किन्तु हमारा इस प्रकार की बात सोचना खतरनाक है। हमें देश की सुरक्षा के मामले में आत्म-संतोष का दृष्टिकोण न अपना कर सदैव सतर्क रहना चाहिए। देश की सुरक्षा के मामले में चाणक्य की नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए और शत्रु से खतरा कभी भी कम नहीं समझना चाहिए।

इस वर्ष प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए हमारी विदेश नीति तभी सफल हो सकती जबकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और हम किसी भी बाह्य खतरे का सामना करने की स्थिति में हों। इसके लिये प्रतिरक्षा नीति और विदेशी नीति में समन्वय का होना अनिवार्य है किन्तु मैं अपने देश के मामले में इस प्रकार की बात नहीं देख रहा हूं।

यद्यपि मैं मंत्रालय में वार्षिक प्रतिवेदन से बहुत अधिक संतुष्ट नहीं हूं तथापि इस वर्ष प्रतिरक्षा मंत्रालय ने कुछ प्रगति अवश्य दिखाई है। प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने की सम्भावना है। हमें आज बड़ी शक्ति कहे जाने वाले देशों के व्यवहार पर विचार करना चाहिये। इन देशों के पारस्परिक सम्बन्ध चाहे कैसे ही क्यों न हों किन्तु उनमें से कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि कोई और देश बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। ये देश पूर्ण प्रयत्नों से अन्य देशों को दबाते हैं। इनमें से कोई देश जब कभी किसी देश को हथियार देता है तो वह उसके पड़ौसी देश को यही आश्वासन देता है कि उन हथियारों का प्रयोग किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं किया जायेगा। किन्तु जब आक्रमण कर दिया जाता है तो हथियार सप्लाई करने वाला देश उसे रोकने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को वर्ष 1954 में हथियार सप्लाई करते समय भारत को आश्वासन दिया गया था कि उनका प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जायेगा और भारत ने अमरीका पर विश्वास कर लिया था किन्तु 1965 में जो कुछ हुआ है उसका उदाहरण हमारे सामने है। 1967 में जब रूस ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का निर्णय किया तो मैंने सरकार को इस सम्बन्ध में सजग रहने के लिये कहा था किन्तु सरकार ने कहा कि रूस द्वारा पाकिस्तान को असैनिक उपयोग के लिये कुछ हेलीकोप्टर दिये जा रहे हैं। किन्तु आज यह सर्वविदित हो गया है कि पाकिस्तान को सैनिक हेलीकोप्टर और हथियार दिये जा रहे हैं। 'फ्लाइट' नामक पत्रिका के नवीनतम अंक में कहा गया है कि सोवियत संघ सहायता कार्यक्रम को वहां से आगे आरम्भ करने के लिये सहमत है, जहां पर अमरीका ने छोड़ा था। सोवियत संघ की प्रतिरक्षा के उप प्रमुख रावलपिंडी में कहते हैं कि हम एक शक्तिशाली नौसेना चाहते हैं। सोवियत संघ के प्रतिरक्षा मंत्री रावलपिंडी में

कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप अपने शत्रु को पराजित करने के लिये शक्तिशाली बनें, और पाकिस्तान का कहना है कि विश्व में उसका एक ही शत्रु है और वह है भारत, एक मित्र देश का प्रतिरक्षा मंत्री कहता है कि हम उस शत्रु को पराजित करने में तुम्हें सब प्रकार सहायता देंगे और मार्ग-दर्शन करेंगे। 'फ्लाईट' पत्रिका के जनवरी, 1969 के अंक में कहा गया है कि पाकिस्तान को रूस से निकट भविष्य में 100 मिग-19 विमान, 60-70 मिग-21 विमान और 30-40 आई-आई-28 विमान प्राप्त होने की सम्भावना है। रूस मिग-19 विमानों के लिये, जो पहले ही चीन से पाकिस्तान को मिल चुके हैं, संभवत : फालतू पुर्जे भी सप्लाई करेगा।

इसके लिये मैं रूस को दोष नहीं देता हूं। वह तो अपने हित को देख रहा है, जो उसका कर्तव्य है। अभी उभूरी नदी के किनारे पर एक मामूली सी मुठभेड़ हुई, मेरे विचार में यह प्राचीन संस्कृत शब्द असुर का अपभ्रंश है। उस समय रूस के महान कवि ने "रैड स्नोज" नामक अपनी कविता में रूसी देशभक्तों का आह्वान किया था। हमें उनसे यह चीज सीखनी चाहिये। जब प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि सोवियत संघ की नीति में परिवर्तन हुआ है तो अगले ही दिन वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण दे दिया क्योंकि सोवियत संघ ने आपत्ति की कि तुम यह कहने की हिम्मत कैसे करते हो और हम तो भारत की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिये ही पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, हमें सरकार ने संसद् को इस पर खेद व्यक्त करने से भी रोका। हम सोवियत संघ के साथ मैत्री चाहते हैं, जिसका आधार एक दूसरे के प्रति सम्मान, हितों की पारस्परिकता और परस्पर विश्वास ही हो सकता है, आपके सहयोगी का स्पष्टीकरण मेरी समझ में नहीं आया कि श्री स्वर्ण सिंह का अभिप्राय यह था कि रूस की पाकिस्तान के बारे में नीति में परिवर्तन हुआ है।

यदि इस देश में आत्म-सम्मान की भावना होगी, तो सोवियत संघ इस देश का सम्मान करना सीख लेगा। हमें याद रखना चाहिए चीनी आक्रमण के समय श्री ख्रुश्चेव ने कहा था कि भारत मित्र और चीन भाई है और हमें शांतिपूर्ण तरीके से विवाद हल कर लेना चाहिए। हमसे अब रूस का समर्थन करने के लिये कहा गया है। हमें अथवा संसद् को इस बारे में नहीं बताया गया। यदि उनके बीच संघर्ष होता तो उनसे शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को हल करने के लिये कहना चाहिए जैसाकि ताशकन्द में हमसे कहा गया था और संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार भी सरकार को ऐसा ही करना चाहिए, इसके विपरीत सरकार ने हाथ जोड़कर समर्थन किया। हमें यह समझ लेना चाहिए कि सोवियत संघ को भारत की मैत्री की उतनी आवश्यकता है जितनी की सोवियत संघ की मैत्री की भारत को।

विश्व के इस भाग में हो रहे नये किस्म के गठबन्धन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये दो बड़ी शक्तियां हमें सदा ही दूसरे दर्जे की स्थिति में रखने के लिये प्रत्येक चाल का प्रयोग करेंगे, हमें इस प्रसंग में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि पर अपना दृष्टि कोण निर्धारित करना चाहिए, यह निर्णय करने की हमें पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए कि हमारे पास किस प्रकार के हथियार हों। हमें बताया गया है कि

हमारे आयुध कारखानों ने बहुत अच्छा काम किया है। केवल मामूली सुधार हुआ। हमने इस सभा में स्पष्ट रूप में पूछा था कि क्या आयुध कारखानों के आधुनिकीकरण के बारे में मुलगावकर समिति की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं। उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। अच्छे परिणाम का कारण वहां पर काम कर रहे नौजवानों की निरन्तर लगन और उत्साह है। सबसे अधिक चिन्ता की बात तो यह है कि आयातित सैनिक सामान की प्रतिशतता की तुलना में देश में निर्मित सैनिक सामान की प्रतिशतता कम होती जा रही है। मंत्री महोदय ने कल ही इस बात को स्वीकार किया है। हमें सैनिक सामान देने वाले देशों के प्रति, मैं आभार प्रकट करता हूं परन्तु यह देश यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप प्रत्येक फालतू पुर्जे के लिये उन पर आश्रित रहें और आप इस स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। क्या हम इस स्थिति में हैं कि यदि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ भारत पर आक्रमण करते हैं, तो हम उन दोनों का सामना कर सकेंगे ? कोई सदस्य श्री खेड़ा को उद्धृत करने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं सिविल अधिकारियों द्वारा संस्मरण लिखने का स्वागत करता हूं। इस पुस्तक में जनरल तिमय्या ने कहा है कि वे पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावना पर तो सोच सकते हैं परन्तु भारत द्वारा अपनी शक्ति से चीन के साथ संघर्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते, उनका मूल्यांकन सही था। क्या हमारा देश तैयार है ? क्या आप जानते हैं कि मिग-21 विमान की उड़ान दूरी क्षमता कितनी अनुपयोगी है। यह समतल क्षेत्र में पूर्वी यूरोप में संघर्ष के लिये ठीक था परन्तु चीन के विरुद्ध मुकाबले में भारत के मामले में ऐसा नहीं है।

वास्तव में चीन भारत पर अचानक हमला नहीं कर सकता है। यदि चीन भारत के साथ संघर्ष छेड़ना चाहता है, तो हमें 1—1½ महीने का समय मिल सकता है क्योंकि उसे सैनिक सामान भारतीय सीमा से लगभग 2,000 मील दूर स्थित अड्डों से प्राप्त होती है न कि तिब्बत से। यह तब ही संभव है जबकि हमारी टोह लेने और आसूचना की व्यवस्था उपयुक्त हो। श्री खेड़ा ने कहा है कि हमारी आसूचना बिल्कुल बेकार और धोखे में डालने वाली थी और चीन के बारे में ऐसी कोई भी बात पता नहीं लगाई गई, जिससे भारतीय सेना को सहायता मिली हो जिसके फलस्वरूप चीनी सेना का मुकाबला करने के लिये कोई तैयार नहीं की गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब स्थिति सुधर गई है। चीन के साथ हमें पर्वतों में और पाकिस्तान के साथ मैदानी इलाके में युद्ध करना है। इसलिये हमें दोनों के लिये भिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा क्षमता स्थापित करनी है। मुझे इसका कोई सबूत नहीं मिला है।

नये विचारों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। क्या इस वातावरण में कोई अन्तर आया है ? हमने राजनीतिक नेतृत्व को दोषी ठहराया था परन्तु हमें अब जनरलों के बारे में भी सोचना होगा। आज भारत की उच्चतम कमान की विचार धारा में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें शत्रु को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में उनके लिये युद्ध-प्रणाली के बारे में माओ-त्से तुंग के विचार पढ़ना अनिवार्य कर देना चाहिये। हिमालय पर्वत में चीन को रोकने का कारगर प्रयास करने से पहले हमें

उसे समझना होगा। हम जातिभेद समाप्त करने की बात करते हैं परन्तु हमारी सेना में अधिकारियों और जवानों के बीच छोटे-बड़े की भावना विद्यमान है। हम चाहते हैं कि यह दृष्टिकोण समाप्त हो। उनमें नई भावना उत्पन्न करनी होगी। जब ऐसी बात हो रही हो, तो एक अच्छे कमांडर को अपना मत रखना चाहिए और उसे स्वीकार न किये जाने पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐसे कमांडरों का जो राजनीतिक नेताओं की चापलूसी करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रतिरक्षा मंत्री कृपया इस ओर ध्यान दें। यदि आप चीन के नये राष्ट्रपति लिन पिआओं के जीवन का अध्ययन करें, तो पायेंगे कि उसने सबसे नीचे के दर्जे से एक तरह का खाना खाकर एकसा जीवन व्यतीत करके और बराबर का राशन खाकर तरक्की की है। यही बात उसके जवानों को प्रेरणा देती है। छोटे-बड़े का भेद करने वाले अधिकारी ही 1962 की पराजय के लिए उत्तरदायी थे। हमें इनसे छुटकारा पाना होगा। इसी दृष्टिकोण के कारण भारत को सियालकोट में और इच्छोगिल नहर पर विजयश्री के पुरस्कार से वंचित रहना पड़ा।

अब मैं एक अन्य बहुचर्चित महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करूंगा। आधुनिक प्रतिरक्षा का अर्थ मूल रूप से विज्ञान-प्रधान अथवा विज्ञान-आधारित प्रतिरक्षा है। आज हमारे प्रतिरक्षा संगठन में जो वैज्ञानिक हैं वे शोभा मात्र के लिये हैं न कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी विचारधारा और आयोजन के एकीकृत अंग है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविज्ञ और सैनिक एक संगठित दल के रूप में काम करें। तब ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी उचित योगदान कर सकेंगी। हमें देश में उपलब्ध प्रतिभा को उपयोग करना चाहिए जिसकी आजकल उपेक्षा की जा रही है। रूस अन्तरिक्ष विज्ञान में इसके सहारे ही प्रगति कर सका है। वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद और परमाणु ऊर्जा विभाग में प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं परन्तु उन्हें देश की प्रतिरक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही देश के विश्वविद्यालयों में भी काफी प्रतिभा विद्यमान है परन्तु नवयुवक वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों और प्रौद्योगिकीविज्ञों को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

स्टालिन ने आरम्भ में गलतियां करने के बाद नवयुवकों को उत्तरदायित्व के पद सौंपे थे। मूल रूप से इन नवयुवकों ने रूस के निर्माण में उसकी सहायता की। रूस में उद्जन बम बनाने वाला व्यक्ति 32 वर्ष का एक युवक था। लेकिन हमारे यहां स्थिति यह है कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 10,000 भारतीय वैज्ञानिक अन्य देशों के प्रतिरक्षा व्यवस्था के निर्माण में सहायता कर रहे हैं। वे यहां नहीं आ सकते। मुझे दो नवयुवक भारतीय मिले जिनके पास बहुत बढ़िया डिग्रियां थी और उनका शिक्षा का रिकार्ड अत्युत्तम था। उन्होंने दो वर्ष तक यहां प्रयास किये। उन्हें 150 रुपये मासिक का वेतन पाने की आशा थी। फिर उन्हें एक गैर-सरकारी कम्पनी में 5,000 रुपए का प्रस्ताव मिला। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि लालफीता शाही में ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिये कोई स्थान

नहीं। क्या यह सच नहीं है कि थल सेनाध्यक्ष के वैज्ञानिक सलाहकार एक जैविकी विशेषज्ञ हैं और पश्चिमी कमान के वैज्ञानिक सलाहकार एक कृषि वैज्ञानिक हैं ? क्या यह सच नहीं है कि थल सेनाध्यक्ष के वैज्ञानिक सलाहकार को वैज्ञानिकी का कोई ज्ञान नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को मुख्य वैज्ञानिक बनाने के लिये तैयार किया जा रहा था, जो मूल रूप से काष्ठ रसायनशास्त्री थे ? जहां तक मुझे मालूम है प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार स्पेकट्रोस्कोपिस्ट हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कार्य का मूल्यांकन करने वाले आर० एण्ड० डी० संगठन के अध्यक्ष का इन दोनों का भी अध्यक्ष होना एक स्वस्थ परम्परा है ?

मैं परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि के बारे में सरकार के दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। कुछ समय तक दबाव पड़ता रहेगा परन्तु सरकार को कुछ साहस दिखाना चाहिये। कलपाक्कम परियोजना को पूरा करने में शीघ्रता नहीं करने के क्या कारण हैं ? इसे पूरा करने के बाद हम शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु शक्ति के प्रयोग की योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं जिसपर डा० भाभा के अनुसार अधिक लागत नहीं आयेगी। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे सन्देह है कि डा० भाभा की मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पहले भी ऐसी घटनायें हुई हैं।

आज हमारी नौसेना में अधिकांश जहाज 30 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। उनको हटा दिया जाना चाहिये। हमें विश्वामित्र का मुद्रा नहीं अपनानी चाहिए कि हमें हिन्द महासागर से कोई मतलब नहीं है। इतिहास, भौगोलिक परिस्थिति और हमारे राष्ट्रीय हितों की मांग है कि हम आवश्यक कार्यवाही करें। अन्त में, मैं आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को दिये गये आश्वासनों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो देश अपने सैनिकों का सम्मान करना नहीं जानता है, वह अपने सैनिकों में विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं कर सकता है। मेरा अनुरोध है कि उन आश्वासनों को पूरा किया जाये।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : पहला प्रश्न मोर्चों का है। हमारे कितने मोर्च हैं ? प्रतिरक्षा मंत्रालय के 1968-69 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत का प्रतिरक्षा नीति का मूल उद्देश्य प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा करना है तथा हम सब राष्ट्रों से मैत्री चाहते हैं परन्तु हमारे दो पड़ोसी देश हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाये हुए हैं। मुझे विश्वास है कि यह पाकिस्तान और चीन की ओर संकेत है। ये दो मोर्चे हैं। हमें चीन से अधिक खतरा है। पाकिस्तान तो वही करेगा जो चीन चाहेगा। निक्सन प्रशासन द्वारा दक्षिण वियतनाम से धीरे-धीरे अपनी सेनाएं वापस बुलाने के निर्णय से चीन पर रोक समाप्त हो गई है। इसका मुख्य कारण एशिया के कुछ गैर- साम्यवादी देशों द्वारा इस युद्ध में अमरीका के योगदान की आलोचना है। निक्सन प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया बताते हैं कि अमरीका का मूल उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन और साम्यवाद को रोककर उनके हितों की रक्षा करना था। यह

सच है कि इससे चीन के प्रभाव तथा संभावित शक्ति असंतुलन को रोकने में सहायता मिली है, जो चीन पर रोक नहीं लगाये जाने पर उत्पन्न होता। हमने अपने राजनीतिक स्वाभिमान में आकर अपने प्रतिरक्षा हितों की उपेक्षा करते हुए वियतनाम के बारे में अमरीका के दृष्टिकोण की आलोचना की है। चीन के प्रभाव क्षेत्र के दक्षिण पूर्व एशिया तक बढ़ जाने का पूरा खतरा है। चीन और पाकिस्तान का गठबन्धन भारत विरोधी सम्पर्क तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि जल और थल में भी फैल जायेगा। यह तीसरा मोर्चा है जिसपर हमें रक्षा करनी होगी।

एक चौथा मोर्चा भी तैयार हो गया है। प्रतिरक्षा क्षमता को कमजोर करने के लिये हमारे देश में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि हम पहले की तरह राजनीतिक दृष्टि से स्थिर नहीं हैं। यदि विभिन्न राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें स्थिर होती और एक भारत की नीति अपनाती तो मुझे चिन्ता नहीं होती। केन्द्रीय स्तर पर हमें चीन के देश की अखण्डता की रक्षा करनी है जब कि कुछ राज्यों में ऐसी शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त है और वे स्पष्ट रूप से चीन समर्थक हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश की अखण्डता को बाहरी आक्रमण की अपेक्षा आन्तरिक तोड़फोड़ अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। क्या ऐसे राज्यों में चीन के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा तैयारियों में हम उचित सहयोग की कैसे आशा कर सकते हैं ?

हम देखते हैं कि भाषावाद, आदिम जातिवाद और धार्मिक कट्टरता जोर पकड़ते जा रहे हैं। प्रतिरक्षा की दृष्टि से हमें इनके विरुद्ध भी तैयारी करनी होगी। दूसरी ओर आर्थिक आधार पर प्रादेशिक आकांक्षाओं और प्रशासनिक कुशलता की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती है जब तक राजनीतिज्ञों द्वारा इसका अनुचित उपयोग नहीं किया जाने लगता अथवा यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं बन जाता। प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस घरेलू मोर्चे की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इस पहलू से विचार करने के बाद ही हमारे सामने सही चित्र होगा कि सीमापार हमारे शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष शान्ति कितनी है। तब ही हम एक उपयुक्त प्रतिरक्षा योजना बना सकते हैं।

प्रतिवेदन में इन मोर्चों का उल्लेख न होने से मुझे निराशा हुई। मुझे निराशा हुई कि इस प्रतिवेदन में दक्षिण-पूर्व एशिया में हो रही घटनाओं से उत्पन्न खतरे का उल्लेख नहीं है। प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में उनसे आशा की जाती थी वे प्रदेशों की स्वाभाविक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये अपना प्रभाव डालें ताकि कानून और व्यवस्था का प्रश्न बन जाने पर सेना को नागरिक प्रशासन की सहायता न करनी पड़े।

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

कल सरकार से यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि हम कुछ आधुनिक हथियारों का,

जैसे प्रक्षेपणास्त्र, निर्माण करने जा रहे हैं। लेकिन विश्व में 'फायर-पावर' में इतनी तेजी से प्रगति हो रही है कि हम अपने साधनों से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। भारतीय सामरिक अध्ययन संस्था के अनुसार विश्व का 85 प्रतिशत व्यय 133 देशों में से 8 देशों द्वारा किया जाता है, जिनमें चीन भी एक है। स्वाभाविक है कि हमें आधुनिक हथियारों के लिये विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। जिन हथियारों को हम आधुनिक कहते हैं, वे उनके लिए पुराने हो चुके होते हैं। हमें यह जानते हुये भी कि उनकी शर्तें हमारे लिए हानिकर हैं, उनकी शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिये हमें मिग विमानों के फालतू पुर्जों और मरम्मत के लिये रूस पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन यदि हमें एशिया में प्रतिरक्षा तैयारी में कुछ बराबरी करनी है, तो हमें उद्जन बम का निर्माण करना चाहिये। ऐसा करने पर ही हम अपने मित्रों का सम्मान प्राप्त कर सकेंगे और विदेशों से हथियार आदि के लिये अच्छी शर्तें मनवा सकेंगे।

कुछ देशों ने अपनी प्रतिरक्षा सेवाओं का एकीकरण किया है। यहां तक कि ब्रिटेन भी, जिसके ढांचा पर हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था आधारित है, इस दिशा में सोच रहा है। इसके तीन लाभ हैं। सेवाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जायेगी, सुनियोजित, प्रभावी और शीघ्र क्रियान्वित की जा सकने वाली प्रतिरक्षा योजनायें और कार्यवाही संभव होगी और तीसरे अपव्यय और दोहरापन समाप्त हो जायेगा। मेडिकल सेवाओं, प्रोवोस्ट मार्शल विभाग, सिगनल्स और इंजीनियरी सेवाओं आदि का विलय कर देना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह एकदम से नहीं किया जा सकता है, इसके लिये मेरे ये सुझाव हैं। पहले तो प्रतिरक्षा अध्यक्ष का पद बनाना चाहिये। दूसरे कमान की अधीनस्थ श्रेणियों में भी उसी प्रकार का एकीकरण करना चाहिए। तीसरे विभिन्न सेवाओं, जैसे मेडिकल कोर, कानून विभाग, सिग्नल्स आदि के विलय की योजना बनाई और क्रियान्वित की जानी चाहिए। चौथे, एक समान सशस्त्र सेना अधिनियम बनाया जाना चाहिए। पांचवें, यथासंभव रैंक के समान बिल्ले बनाये जाने चाहिए।

Shri Mohammad Ismail (Barracpore): Mr. Chairman, Sir, our defence budget, which was Rs. 78 crores only in 1920 has now risen to Rs. 1000 crores, which has its impact on our economic policy. Even after three Plans that we have to go round the world with a begging bowl. On one side poverty of the masses has increased and on the other hand our debts have also gone up. All my friends here have highlighted the hostility with China and Pakistan and the need to fight them. No body has emphasised the need for friendly relations with them so that defence expenditure could be curtailed.

The world is changing and changes are taking place in China and its policy. Our Prime Minister herself indicated a change in the Chinese Policy while talking to newsmen. But our press made just a passing reference to it. Defence Department functions on the basis of our foreign policy. As regards our foreign policy it should have been mentioned that we want to discuss and settle disputes with our neighbours through negotiations. If need be there, we should modify our foreign policy. After assuning power Gen. Yahya Khan has expressed a will for friendly relations with India. But our friends here are towing a diflerent line. We should

change our policy towards China in view of the changes taking place there. Otherwise we will have to spend crores of rupees on defence. A crisis is developing and we have to depend on foreign countries for financing our Fourth Plan. We should seriously consider this situation.

As regards the defence personnel, there is wide margin in the salary of a soldier and an officer. A soldier gets Rs 200 while his officer gets Rs. 1000. Then, there is no link between the armed forces and the people. The workers of Ordnance factories are not treated sympathetically. They are often threatened with suspension and charges of indiscipline.

What are the facts about the firing at Cossipore? The trial for attendance there is 7.30. The margin of 15 minutes allowed earlier was discontinued with effect from 19th September against which they used to hold protest meeting till 7.20 at the gate. On the day of firing they were not allowed entry into the factory after the meeting at 7.20 and the gate was closed at 7.30 and a worker who was going through the gate received head injury. The workers protested against it and when they did not move away from the scene, the security guard opened fire resulting in the death of 5 persons. Inspite of this serious provocation they remained peaceful. There would have been bloodshed and stonethrowing. But the workers did not indulge in any such things. I had personally visited the place. Did the workers attack any officer? The workers were not paid tribute and their patience was not recognised. Instead Government argues that it is necessary to send C. R. P. for the protection of the property of the Centre. After the 19th September strike 54 workers of Cossipore Factory were discharged, who have not been taken back inspite of the announcement of the Hon. Minister in the House. In Ichhapore Gun Factory the city allowance has been discontinued resulting in loss of Rs. 60 to Rs. 80 in emoluments of workers and out of 14 dismissed employees five have not been taken back in service. The Hon. Minister should pay serious attention to the condition of workers.

I feel that we should start a dialogue with China and Pakistan otherwise a serious crisis would develop and the ruling party will be extinguished.

Shri Randhir Singh (Rohtak): Sir, the foremost question is the honour and integrity of our country. It should be presreved at all costs. We had a bitter experience in 1962 when China invaded our country. We were humiliated. The defence of the country should be above party politics. It is a national issue. We should criticise Government for its failure, but our talk should be constructive.

Our army is one of the finest armies of the world. Our soldiers and officers have great reputation. We have complete confidence in them. The officer-soldier relations are very warm and cordial.

We know that our Generals have fought alongwith the Jawans on the battle fields. I have great respect for those who are guarding our frontiers in difficult conditions.

The pay and allowances of our soldiers are meagre. They have to work in very arduous conditions. I have gone to forward areas with an M.Ps. delegation. They are also sons and brothers of some one. I request that the pay and allowances of Jawans should be adequately increased. These jawans are a pride of the nation. Jawans belonging to all the three wings of the army should be adequately paid. For that even fresh taxes were to be imposed, we would not mind that. The Jawans have to stay on heights for most part of the year. I request to this

Government to provide more facilities to the families of Jawans. Their children should be provided free education and medical facilities. We know that the British Government used to give land. It was an incentive for the soldiers. Those who are guarding the country, their children should be adequately looked after by the country. The Border Security Force is doing an excellent job. The Hon. Minister should convey our appreciation to those people.

To fight in the battle field is not a child's play. The martial communities should be given priority in the matter of recruitment to Armed Forces. The Harijans are also good as fighters. There should be regiments of Harijans and Ahirs in our Army. We have expanded our Army. At the same time residential accoommodation should also be increased for them. Those Jawans who are posted at peace station should be allotted family quarters. The children of the army men should get proper relief.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

There are about six thousand Emergency Commissioned Officers of Army who have been released. Some of them have been absorbed in other Departments. It is a pity that E. C. Os. who can speak English language have been retained and those who are not well conversant with that language have been turned out. Fifty per cent posts of Commissioned officers should be filled from amongst the N. C. Os. and J. C. Os. These people have experience of actual fighting and they are very popular among the Javans. I am told by a friend that Lin Piao, the successor of Mao-Tse Tung was a soldier. So it is not essential that only officers can be good military leaders. I would request the Hon. Minister to consider this matter sympathetically.

Another point is in regard to I.N.A. men. They are being discriminated against in the matter of pension. These people have made great sacrifices for the cause of the country. It is due to valuour and sacrifices of these people that we are free today and are occupying ministerial chairs. I request that they should be paid pension on increased rates. They should get promotion as other officers of the army.

In U. S. A. and U. K. the Chief of Staff is promoted from Army, Navy and Air Force by rotation. I suggest that we should also follow the same practice. It is a healthy practice. This will bring integration of the three wings, and better cooperation among the three.

Our Army Intelligence Wing should be strengthened. We had to suffer due to this defficiency at the hands of the Chinese in 1962. Necessary action should be taken without delay.

We should take up atomic research. China is our enemy and she has manufactured atom bombs. We should also take similar step and be prepared for givng a befitting reply. We must make atom bombs. We should not depend upon Russia and U. S. A. for our security.

The report of Henderson Brooks should be published; Khera Committee report should be implemented.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : भारत की प्रतिरक्षा नीति का उद्देश्य देश की प्रभुसत्ता तथा क्षेत्रीय अखण्डता को बनाए रखना है। देश की सेनाओं को इसके लिए तैयार

करने के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। देश की सेना की शक्ति में वृद्धि की गई है। नौसेना में वृद्धि की गई है और अब उसका पनडुब्बी विभाग भी स्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार वायुसेना का भी नवीकरण किया जा रहा है।

हमारे देश को चीन और पाकिस्तान से खतरा बना हुआ है। इसका मुकाबला हम सेना को सुदृढ़ करके कर सकते हैं।

इससे देश के वित्तीय संसाधनों पर बहुत बोझ पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सीमा के निकटवर्ती इलाकों के निवासियों को हथियार दिये जायें, तो शत्रु का कारगर ढंग से मुकाबला किया जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों को इन क्षेत्रों में बसाया जाना चाहिए। इससे उन क्षेत्रों में खतरा कम हो जायेगा और गड़बड़ नहीं होगी और घुसपैठिए नहीं आ सकेंगे।

इसके अतिरिक्त देश के आन्तरिक भागों में सभी नागरिकों को दो वर्ष के लिये आवश्यक सैनिक सेवा करनी चाहिए। इससे हम आपात स्थिति का सामना करने में समर्थ हो जायेंगे। हमारे पास बड़ी संख्या में सैनिक तैयार हो जायेंगे। हमें चीन से सबक सीखना चाहिए और अनिवार्य सैनिक सेवा चालू करनी चाहिये।

सशस्त्र सेनाओं से सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों की आयु बहुत कम होती है। उन्हें सेवा निवृत्ति के बाद असैनिक पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे एक प्रशिक्षित व्यक्ति मिलते हैं और दूसरे उन लोगों को रोजगार मिल जाता है। इससे एक और लाभ भी होगा। जब यह निश्चित होगा कि सेना से सेवा निवृत्त होने के बाद असैनिक पदों पर नियुक्ति मिलेगी तो सेना में भर्ती होने के लिये बहुत लोग आकर्षित होंगे। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

पेंशनरों को बहुत कम पेंशन दी जा रही है। इससे वे अपने परिवारों का पालन नहीं कर सकते। एक वेतन आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए। जो इस समूचे प्रश्न पर विचार करे और पेंशन की दरें बढ़ायी जायें।

कुछ समय से सीमा क्षेत्रों में छावनियों का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है। परन्तु इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि क्या वह भूमि कृषि के लिये प्रयोग में लायी जा रही है अथवा नहीं। मेरा प्रतिरक्षा मंत्रालय से अनुरोध है कि एक समिति का गठन करे जो यह देखे कि कृषकों को कोई कठिनाई न हो और कृषि योग्य भूमि को अर्जित न किया जाय।

देश के लोगों का मनोबल बनाये रखने और शत्रु देशों को उचित जवाब देने के लिये हमें अणु बम बनाना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों का विशेष महत्व है। हमारा लगभग आधा बजट प्रतिरक्षा पर आश्रित होता है। अतः इस चर्चा के समय सदस्यों तथा मंत्रियों को यहां उपस्थित रहना चाहिए।

संसद् के आगामी सत्र से पहले हमारी वायु सेना और स्थल सेना के सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह और जनरल कुमार मंगलम सेवा निवृत हो जायेंगे। मैं इन दोनों के कार्य की सराहना करता हूं। उन्होंने कठिनाई के समय अपने कार्य को बड़ी कुशलता से निभाया है। उनका स्थान ग्रहण करने वाले अधिकारी भी अनुभवी तथा कार्य कुशल व्यक्ति हैं। इन पदों के वे अधिकारी थे।

प्रतिरक्षा पर होने वाले व्यय में मितव्ययता करने को मैं ठीक नहीं समझता। सरकार अन्य मंत्रालयों के व्यय में कमी करके प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक राशि उपलब्ध की जानी चाहिए। हमें अपनी सेना के तीनों विभागों में और एकात्मता लानी चाहिए। उनमें सहयोग की भावना को बढ़ाना चाहिए।

मैं गत बीस वर्षों से मांग कर रहा हूं कि असैनिक उड्डयन को प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत लाया जाये। फ्लाइंग क्लब प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत होने चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये। इससे अनुशासन की भावना बढ़ेगी। इस प्रकार यह प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति का कार्य करेंगे।

मैं समझता हूं कि देश में सभी को सैनिक प्रशिक्षण ठीक नहीं है। मैं चौधरी रणधीर सिंह की इस बात से सहमत हूं कि हमें सैनिक जवानों के लिए और उनके परिवारों के लिए और सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए।

मुझे सेना से सेवामुक्त किये आपात कमीशन प्राप्त अफसरों से पूरी सहानुभूति है। परन्तु हमें अन्य लोगों के अधिकार छीन कर उन्हें लाभ नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें रोजगार के समूचे प्रश्न पर विचार करना चाहिए। मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों के प्रति में आभार व्यक्त करता हूं। मैंने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना है। मुख्य रूप से देश की सुरक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने, रक्षा उत्पादन बढ़ाने और सशस्त्र सेनाओं की सेवा शर्तों में सुधार करने के सुझाव दिए गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं।

हमारे देश को जो खतरा है उसके प्रति हमें, अपने में पूर्ण विश्वास रखते हुए, जागरूक रहना है। हमें पूरी तैयारी करनी है। हमें पाकिस्तान और चीन दोनों ओर से खतरा है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आन्तरिक स्थिति और रूस-चीन के संघर्ष के कारण हममें किसी प्रकार की ढील नहीं आयी है। हमें अपने पड़ोसी देशों की गतिविधियों को ध्यान में रखना है। और उनके प्रति पूर्णरूप से जागरूक रहना है।

माननीय सदस्यों के विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। हमें सभी प्रकार के विचार को ध्यान में लेकर आगे चलना है। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर वैदेशिक कार्य मंत्री और मेरे बीच कोई मतभेद नहीं है। इस बारे में कुछ समाचार-पत्रों में भ्रामक बातें छपी हैं। पाकिस्तान को सैनिक सप्लाई मिलने से हमारे देश के लिये खतरा बढ़ जाता है। वास्तव में इस चाल के पीछे यह उद्देश्य जान पड़ता है कि मंत्रियों में भ्रम फैलाकर मतभेद खड़े किये जायें। यह ठीक नहीं है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है शब्दों का कुछ इस प्रकार अर्थ निकाला जा सकता हो, परन्तु वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रतिरक्षा व्यवस्था पर होने वाले व्यय की छानबीन की जाये। इसके लिए लेखा परीक्षा की समुचित व्यवस्था है। लोक लेखा समिति भी इस बारे में विचार करती है और उसकी सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करके व्यय पर आवश्यक नियंत्रण किया जाता है। प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों में बहुत बड़ी-बड़ी राशियां व्यय करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अनियमितता हो जाती है तो वह स्वाभाविक ही है। हम अपनी ओर ठीक प्रक्रिया अपनाने का पूरा प्रयास करते हैं। जिन मामलों में सुधार की गुंजाइश है वहां सुधार किये भी जा रहे हैं।

लोक लेखा समिति ने भी स्वीकार किया है कि मंत्रालय द्वारा उपाय करने पर 52 करोड़ रुपये की बचत हुई है। मैं इस माननीय सभा को आश्वासन देता हूं कि हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं कि यथासम्भव मितव्ययता की जाये। हम लेखा-परीक्षा रिपोर्टों और संसदीय समितियों की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का अधिकाधिक लाभ उठाते हैं।

मितव्ययता को ध्यान में रखते हुये हमने अनेक ऐसे उपाय किये हैं कि जिससे व्यर्थ में होने वाले व्यय को रोका जा सकेगा। हमने इस बारे में अध्ययन करने के कुछ एक अध्ययन दलों की नियुक्ति की है। यह अध्ययन दल मंत्रालय के एक उच्चशक्ति प्राप्त दल के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं।

मितव्ययता और दक्षता में सुधार करने की दृष्टि से हमने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में बने विमानों तथा विमानों के इंजनों के फालतू पुर्जों की व्यवस्था की जिम्मेदारी हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड पर डाल दी गई है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि यह प्रबन्ध संतोषजनक ढंग से काम करें इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट, अहमदाबाद के परामर्शदाताओं के दल की सहायता से हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, द्वारा विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है।

प्रतिरक्षा प्रबन्ध की समस्या एक बढ़ती हुई तकनीकी समस्या है। बड़े-बड़े उपकरणों को चालू करने से पूर्व उनकी प्रणाली तथा लागत के अनुरूप प्रभाव के बारे में उनका विस्तृत अध्ययन करना पड़ता है। अमरीका में तो यह प्रथा सफल रही है। परन्तु हमारे यहां इसको

ऐसे ही लागू नहीं किया जा सकता। हमारी प्रतिरक्षा की अनेक समस्याएं हैं। तकनीक का विकास करना होगा और विद्यमान संगठनों में ऐसा किया जा रहा है। प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में वैज्ञानिक मूल्यांकन के निदेशालय में कुछ तकनीकों का विकास किया गया है। और उन्होंने कुछ लाभप्रद अध्ययन भी किये हैं। इस सम्बन्ध में प्रयत्नों को बढ़ाने के लिये हमने प्रणाली विश्लेषण के प्रशिक्षण की योजनाएं आरम्भ की हैं। मुझे विश्वास है कि इन सब तरीकों से पर्याप्त मितव्ययता कर सकेंगे।

हमने ये जो उपाय किये हैं इन से सेना में वास्तविक रूप से लड़ने वाले तथा गैर-लड़ाकू जवानों के अनुपात में सुधार हुआ है। पहले यह अनुपात 48 और 52 का था परन्तु अब 58 और 42 का है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : गत वर्ष आपने कहा था कि यह अनुपात 62 और 38 का है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं जांच करके ठीक आंकड़े बता दूंगा। प्रश्न केवल यह था कि हमने जो विभिन्न उपाय किये हैं उनसे इस अनुपात में वृद्धि हुई है। हमें इस ओर और आगे प्रगति करनी है। इस अनुपात में सुधार कर हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। श्री फ्रैंक एन्थनी ने ठीक आंकड़े बताये थे।

मेरे लिये श्री फरनेन्डीज के आरोपों का उत्तर देना कठिन है क्योंकि उन्होंने जिस पुस्तक से उद्धारण दिये थे उसकी उन्होंने आलोचना भी की थी। उनका कहना था कि हमारे यहां यह रिवाज चल निकला है कि सक्रिय जीवन से रिटायर्ड होने के पश्चात लोग कुछ अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं और जिन मामलों से उनका सक्रिय जीवन में सम्बन्ध रहता है उनके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। उस प्रकार के तर्कों से निपटना मेरे लिये कठिन है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : These people formulate the policies even today.

श्री स्वर्ण सिंह : आपको इस बारे में पता नहीं है कि नीतियां किस प्रकार बनती हैं। नीतियों के बारे में यह सभा ही फैसला करती है और यही उनके निर्माण के लिए मार्गदर्शन करती है। कई बार स्वयं उनके तर्क नीति निर्धारित करने में हमारी सहायता करते हैं।

ये मामले सेवानिवृत्ति के पश्चात अनेक लेखकों द्वारा उठाये गये थे। हमारे समाज में अनेक प्रत्येक नागरिक को समाज के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। इससे हमें भी अपना दृष्टिकोण समाज के समक्ष रखने का अवसर मिलता है।

जब तक आर्थिक विकास योजनाओं की बात करते हैं तो हम राजस्व व्यय और वास्तविक योजना व्यय में स्पष्ट विभेद करते हैं। परन्तु प्रतिरक्षा योजना को आगामी पांच वर्षों में किये जाने वाले व्यय का मोटे तौर पर प्राक्कलन अथवा बजट समझा जाना चाहिए। इस विभेद को

अच्छी प्रकार समझा जाना चाहिए। 1969—74 की प्रतिरक्षा योजना बनाते समय हमने देश की सुरक्षा के खतरे में जो परिवर्तन हुआ है उसको ध्यान में रखा है। हमारे शत्रुओं ने अपने सेनाओं की जो तैयारी को है और सैनिक टेक्नालोजी में जो विकास किया है उसको भी ध्यान में रखा गया है। 1969-74 की हमारी प्रतिरक्षा योजना की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं, सेना की जन-शक्ति को वर्तमान स्तर पर बनाए रखा जायेगा परन्तु सेना को आधुनिक हथियारों की सप्लाई से तथा वास्तविक लड़ाकू जवानों गैर-लड़ाकू जवानों के अनुपात में सुधार कर सेना को युद्ध-क्षमता में वृद्धि की जायेगी। नौसेना को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है ताकि वह सागर के दोनों भागों में अपने कर्तव्य को निभाने के सक्षम हो सके। पूर्वी तट पर तथा कुछ द्वीपों में सेना नौसेना के लिये सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

वायुसेना में आधुनिकीकरण का कार्यक्रम जारी रहेगा। पुराने विमानों के स्थान पर नये विमान शामिल किये जायेंगे। ऊंची उड़ान करने वाले तथा नीचो उड़ाने करने वाले विमानों का पता लगाने के लिये राडार लगाये जायेंगे सैनिक उपकरणों के उत्पादन में वृद्धि की जायेगी और इसमें भी आधुनिकता लाई जायेगी। राडारों, विमानों तथा अन्य जटिल उपकरणों के इलैक्ट्रोनिक्स के पुर्जों के निर्माण हेतु नये एकक लगाये जायेंगे।

इस योजना को मुख्य लक्ष्य 1973-74 तक सप्लाई के स्वदेशो साधनों पर निर्भर करना है। उपकरणों के रखरखाव तथा मरम्मत भो अपनी अपने साधनों द्वारा ही की जा सकेगी। अतः इसमें पूर्णतया आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जायेगी। यह योजना कोई स्थिर योजना नहीं होगी। प्रत्येक वर्ष सेना के तीनों पक्षों की आवश्यकताओं का पुनर्विलोकन किया जाया करेगा। अगले दस वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही यह योजना बनाई गई है।

अब इस बात को पूरी तरह स्वीकार किया जा रहा है कि आयोजन की प्रक्रिया मूलरूप से एक तकनीकी समस्या है। यह आवश्यक नहीं है कि आयोजन की जो बातें एक वातावरण विशेष पर लागू होतो हों वही दूसरे पर भी लागू हों। अर्थपूर्ण आवश्यकताओं के विकास के लिये वातावरण के प्रभाव विशेष का अध्ययन किया जाता है और दक्षतापूर्ण और प्रभावी चालों के विकास द्वारा इन आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न ढंगों की खोजें भी की जाती हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में आयोजन संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है। सेवा मुख्यालयों में प्रणाली विश्लेषण ग्रुप स्थापित किया जायेगा और इसका प्रतिरक्षा मंत्रालय में आयोजन प्रणाली के साथ विलय किया जायेगा। अतः जैसे मैंने पहले कहा आर्थिक योजनाओं की अपेक्षा प्रतिरक्षा योजना की आवश्यकताओं में प्रतिवर्ष परिवर्तन हो सकता है। अतः इसी कारण हमने प्रत्येक वर्ष एक पंचवर्षीय योजना बनाने के इस तकनीक को अपनाया है और ऐसा करते समय दस वर्षों की सम्भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है।

श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा था कि ले कर्नल हेडे को विभूषित नहीं किया गया है। मेरा

निवेदन यह है कि उनको 1965 के संघर्ष के लिये आभूषित किया गया था और इसमें किसी विशेष युद्ध क्षेत्र का कोई सम्बन्ध नहीं है।

मेजर रणजीत सिंह ने आई० एन० एस मैसूर जहाज के बारे में कहा है कि उसकी तोप ने कुछ समय के लिये गोले नहीं छोड़े थे क्योंकि तोप खराब थी। यह बात बिल्कुल गलत हैं। वास्तव में बात यह है कि जब तोप गोले छोड़ने लगी तो उन्होंने देखा कि एक हेलीकाप्टर उधर आ रहा है। अतः कुछ समय के लिये गोले छोड़ना रोक दिया गया। यह कहना गलत है कि तोप में कुछ खराबी थी। ऐसे छोटे मामलों को यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिए। माननीय सदस्य निजीरूप से ऐसे तथ्यों की जानकारी मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। देश में बने टैंकों के बारे में उन्होंने जो आंकड़े बताये हैं वह भी गलत हैं। अवाडी कारखाने के उत्पादन लक्ष्यों को बढ़ा दिया गया था। अतः उत्पादन में कमी की बात गलत है। हम माननीय सदस्यों को अत्यधिक जितनी जानकारी दे सकते थे वह हमने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में दे दी है। यदि माननीय सदस्य यह समझते है कि पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली जानकारी ठीक है तो मुझे उनके साथ पूरी सहानुभूति है। वह जानकारी ठीक नहीं होती। हमें इसके महत्व को समझना है। ठीक जानकारी देने से हमारे शत्रुओं को ही लाभ होगा जो कि इसको प्राप्त करने के लिये बहुत उत्सुक रहते हैं। अतः यहां पर पूर्ण जानकारी देना देश के हित में नहीं है। फिर भी हम यथासम्भव जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं।

इस प्रकार की जानकारी न देने से मैं स्वयं भी अलाभप्रद स्थिति में पड़ जाता हूं क्योंकि कुछ माननीय सदस्य समाचार-पत्र पढ़कर यह कहने लगते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने नये टैंक हैं अथवा विमान हैं और अनेक सामान है और इससे देश में यह भावना बनती है कि जैसे हमारे पास उन हथियारों आदि का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त सामान नहीं है। परन्तु इस सबके बावजूद मैं जानकारी नहीं देता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा करना देश हित में नहीं है। हमें पाकिस्तान से अपना मुकाबला नहीं करना चाहिए। आज की प्रतिरक्षा. समस्या 1962 अथवा 1961 की समस्या से भिन्न है। पाकिस्तान के साथ अपनी तुलना करना हमारे लिए उचित नहीं है। हमारी समस्या पाकिस्तान से बड़ी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि अमरीका तथा रूस ने अपनी सैनिक शक्ति के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है। मैं इस बात को जानता हूं। इसका कारण यह है कि दोनों सुपर शक्तियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि वे इतनी शक्तिशाली हो गई है कि दुनिया को अथवा दूसरे दल को यह पता लगना चाहिए कि वह देश कितना शक्तिशाली हो गया है। वे दोनों देश इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं। अतः वे देश वही जानकारी देते हैं जिसको वे दूसरे दल तक पहुंचाना चाहते हैं।

हमारी स्थिति उनसे भिन्न है। हमें ऐसे पड़ोसियों का सामना करना है। इस दृष्टि से हमें बड़ी सावधानी से यह देखना होता है कि कौन सी जानकारी को गोपनीय रखना राष्ट्र-हित

में होगा। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी जानकारी किसी शत्रु देश को मालूम हो जाये जिससे उन्हें लाभ हो। और दूसरा पक्ष केवल अनुमान ही लगा सके।

श्री नाथपाई (राजापुर) : परन्तु आपने प्रतिवेदन में बताया है कि हमारे पास 45 स्क्वार्डन हो जायेंगे। क्या इस जानकारी से शत्रु को लाभ नहीं होगा। गोपनीयता का मुखौटा पहनना और गोपनीय रखने योग्य वस्तुओं को गोपनीय रखना दो अलग-अलग बाते हैं। गोपनीय बन जाने मात्र से गोपनीय वस्तुओं को गोपनीय नहीं रखा जा सकता। गोपनीय जानकारी को गोपनीय रखते हुए भी संसद् में ऐसे आंकडे तो बता दिये जायें जिनसे सदस्य वस्तुस्थिति का अनुमान लगा सकें। दुख इसी बात का है कि गोपनीय जानकारी का पता चीनियों, पाकिस्तानियों और अमरीका वालों को तो होता है परन्तु संसद् सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं दी जाती। मैं गोपनीय जानकारी को गोपनीय रखने का विरोध नहीं करता। मेरा विरोध गोपनीयता का आडम्बर भरने मात्र से है।

श्री स्वर्ण सिंह : श्री नाथपाई का तर्क मेरी समझ में नहीं आया। गोपनीय जानकारी को गोपनीय रखने की आदत के बिना उन्हें गोपनीय नहीं रखा जा सकता। श्री नाथपाई के इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि संसद् सदस्यों को ऐसी जानकारी दी है जिससे वे अनुमान वस्तुस्थिति के बारे में अनुमान लगा सकें। हमारे सामने यह कठिनाई है कि यदि कुछ जानकारी दी जाती है तो वे कहते हैं कि जानकारी कम दी गई या क्यों दी गई। यदि जानकारी नहीं दी जाती है तो वे आरोप लगाते हैं कि हम गोपनीयता का ढोंग रचते हैं। जितनी जानकारी मैं दे सकता था उतनी मैंने दे दी है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बता सकता।

श्री कुन्टे ने बम्बई में नौसेना शस्त्रागार की स्थापना से सम्बन्धित जो बातें कही थीं उसके बारे में मैंने जांच कराई है और यह पाया गया है कि सुरक्षा के लिये कोई खतरे वाली बात नहीं थी। जहां तक भूमि के अधिग्रहण करने की बात है उससे मामले में शीघ्रता की जायेगी। या तो भूमि के मालिकों को मुआवजा शीघ्र ही दे दिया जायेगा या भूमि के अधिग्रहण सम्बन्धी आदेश वापस ले लिये जायेंगे।

समयाभाव के कारण मैं सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी बातों का यहां उत्तर नहीं दे सकूंगा। परन्तु जैसा कि पहिले वर्ष किया था, इस बार भी मैं सदस्यों के पास उनके द्वारा उठाई गई बातों या प्रश्नों का उत्तर पत्र द्वारा भेज दूंगा।

मैं दो और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। श्री गु० सिं० ढिल्लों ने अमृतसर जिले की सीमान्त स्थिति के बारे में विशेष रूप से मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। हमने उस सीमान्त क्षेत्र में कुछ नहरें और पुल बनवाये हैं। इसके बावजूद यदि उस क्षेत्र के किसानों को कोई कठिनाई होगी तो हम उसे दूर करेंगे। दूसरी बात आजाद हिन्द फौज के बारे में है। आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को उन दिनों के लिए वेतन दिया जा रहा है, जितने दिन वे

अभिरक्षा में रहे। हमने आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों से इसके लिए आवेदन मांगे थे। उनमें से 80 प्रतिशत के आवेदन सरकार को प्राप्त हो गये हैं और उनमें से अधिकतर को भुगतान कर दिया गया है।

भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। हम भी इस बारे में चिन्तित हैं। विशेषतया एमरजैंसी (आपातकालीन) कमीशन-प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों के बारे में मैं यह नहीं कह सकता कि उन सभी को रोजगार मिल गया है परन्तु उनमें से अधिकतर को रोजगार दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विभिन्न उद्योगों तथा सरकारी उद्योगों से सम्बद्ध मंत्रालयों से सम्पर्क स्थापित किया गया है और इसके लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। दूर देहात में भूतपूर्व सैनिकों की सामान्य समस्या का समाधान जिला बोर्ड स्तर पर सुगमता से खोजा जा सकता है। राज्य सरकारों ने इस सुझाव को मान लिया है कि जिला बोर्ड के सचिव का पद और ऊंचा किया जाये और इस काम के लिये उसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किये जायें। यह व्यवस्था शीघ्र ही कार्यान्वित होगी।

कुछ सदस्यों ने एक ऐसा आयोग नियुक्त करने की मांग की है जो प्रतिरक्षा के पूरे ढांचे की जांच करे। मेरे विचार से ऐसे किसी आयोग की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सशस्त्र सेना का संगठन बिल्कुल ठीक है। प्रतिरक्षा उत्पादन के लिए एक उत्पादन बोर्ड विद्यमान है। मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि इस आयोग का रूप और कार्य क्या होंगे। इसी प्रकार की संसदीय समिति की नियुक्ति को भी में अनावश्यक और अनुचित मानता हूं। प्रतिरक्षा का काम सरकार द्वारा निरन्तर देखा जाता रहता है। वैसे मैं संसद् सदस्यों के सुझावों को मूल्यवान मानता हूं और उनसे किसी भी विषय पर विचार-विमर्श के लिये तैयार रहता हूं। परन्तु ऐसी संसदीय समिति की कोई उपयोगिता नहीं होगी।

तीनों प्रकार की सेनाओं में समन्वय बनाये रखने पर भी कुछ सदस्यों ने बहुत अधिक बल दिया है। इसके लिए सदैव प्रयास किया जाता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे यहां प्रति सप्ताह उच्च शक्ति प्राप्त अधिकारियों की दो बैठकें होती हैं। बैठक में तीनों मंत्री, तीनों सचिव और तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष सम्मिलित होते हैं। उसमें महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श और निर्णय किया जाता है।

मेरे विचार से तीनों सेनाध्यक्षों, तीनों सचिवों और तीनों मंत्रियों की संयुक्त बैठक से दिन प्रति दिन के कार्य में समन्वय स्थापित होता रहता है। किसी भी प्रकार की समन्वय समिति की नियुक्ति से ऐसा समन्वय सम्भव नहीं हो सकेगा। ऐसी संयुक्त बैठकों में नीति और व्यवहार सम्बन्धी दोनों प्रकार के मामलों पर विभिन्न दृष्टिकोण से विचार किया जाता है और तत्सम्बन्धी निर्णय किये जाते हैं।

श्री नाथपाई : आपने कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। जो बातें सदस्यों ने उठाई हैं उनके बारे में हम आपसे सीधा स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्यों ने अनेक बातों का उल्लेख किया है। मैंने उनके द्वारा उठाई गई बातों को प्रतिरक्षा उत्पादन, नौसेना, स्थल सेना वायु सेना, आदि शीर्षों में श्रेणीबद्ध करके उनका उत्तर दिया है। मैंने लगभग सभी महत्वपूर्ण बातो या प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है कि सेनाध्यक्ष को नियुक्त करते समय सरकार बाहरी दबाव से काम करती है। मैं इस आरोप का पूर्ण शक्ति से खंडन करता हूं। ये नियुक्तियां शुद्ध रूप से गुणों के आधार पर की जाती हैं। मैं सब सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकता। उनके साथ मतभेद से मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांग संख्या 1 से 5 और 103 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गईं और स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of the Ministry of Defence were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	रक्षा मंत्रालय	1,47,58,000
2.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय थल-सेना	6,45,45,54,000
3.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय नौसेना	39,09,79,000
4.	रक्षा सेवाएं, सक्रिय वायु सेना	1,64,76,33,000
5.	रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	27,33,33,000
103.	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	1,09,18,33,000

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों पर सभा में चर्चा और मतदान होगा। माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों की पर्ची 7 बजे म० प० तक सभा-पटल पर भेज दें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की वर्ष 1969-70 के लिए अनुदान की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
68.	श्रम-रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय	70,60,000
69.	खान सुरक्षा महानिदेशक	48,57,000
70.	श्रम और रोजगार	13,70,32,000
71.	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	15,53,38,000
72.	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व	7,20,000
125.	श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की पूंजी परिव्यय	4,53,39,000

अध्यक्ष महोदय : श्री जेवियर ।

श्री एस० जेवियर (तिरुनेलवेल्लि) : श्रीमान्, मैं सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या को लेना चाहता हूं । यह समस्या बड़ी विकट और गम्भीर है। परन्तु सरकार इसको साधारण समस्या समझती रही है, इसीलिए इसका कोई उपयुक्त समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है । चौथी योजना-काल में बेरोजगार लोगों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख होगी और उसके बाद में यह बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख हो जायेगी । इनमें से तीन-चौथाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों के हैं । प्रत्येक योजना के बाद बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है । दूसरी ओर स्वचालित मशीनों को लगाया जा रहा है जिनसे अधिक लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं । मेरे विचार से स्वचालित मशीनों और अत्याधुनिक तरीकों को अपनाने के बजाय हमारे देश में पहले सभी योग्य व्यक्तियों को यथायोग्य रोजगार मिलना चाहिए । देश में उपलब्ध जनशक्ति का सदुपयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए । मैं स्वचालित यंत्रों को लगाने का विरोध नहीं करता हूं । परन्तु बेरोजगार लोगों की दयनीय अवस्था को देखते हुए स्वचालित मशीनों का न लगाया जाना ठीक जान पड़ता है ।

[**श्री हेम बरुआ पीठासीन हुए**
Shri Hem Barua in the Chair]

जहां तक शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की बात है, वह और भी ध्यान देने योग्य है । गत वर्ष इंजीनियरों के स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने आई थी । उनकी समस्या का समाधान अभी तक कोई नहीं निकला । वे अभी तक बेरोजगार हैं । अनेक स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बी० एस० सी० पास छात्र है जिसे पिछले तीन वर्षों से कोई भी रोजगार नहीं मिला । उसे मैंने एक गैर-सरकारी फर्म में लगवाया जहां उसे केवल 40 रुपये प्रति मास मिलते हैं । यह है स्थिति हमारे देश के पढ़े-लिखे लोगों की जिन्हें रोजगार नहीं मिलता ।

श्री एस० जेवियर : एक बालिका जिसने एस० एस० एल० सी० की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है मेरे से कहती है कि उसे केवल 15/- रुपये मासिक की यदि झाड़ू लगाने की नौकरी दिलादी जाए तो वह उसे भी करने को तैयार है। उसका पिता 73 वर्ष का वृद्ध है, उसकी तीन छोटी बहन तथा तीन छोटे भाई हैं। और वह बालिका उनमें सबसे बड़ी है। मैंने प्रान्त के रोजगार अधिकारी को कई बार पत्र लिखे परन्तु वह भी उस बालिका को व्यवसाय नहीं दिला सका। बेरोजगारी की इस गम्भीर समस्या को हलकेपन से नहीं समझना चाहिए। बेरोजगारी की समस्या की गम्भीरता को वे व्यक्ति अनुभव करते हैं जिन्हें इसका सामना करना पड़ता है। एम० ए० तथा एम० एस० सी० पास युवक बेकार हैं जिन्हें तीन-तीन वर्ष से नौकरी नहीं मिली है। इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी का स्नातक एक हरिजन व्यक्ति तीन वर्ष से बेकार है।

कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनसे मेरी व्यक्तिगत जानकारी है और जिनसे इस समस्या की गम्भीरता का ज्ञान होता है। आवेदकों में से एक तिहाई शिक्षित बेरोजगारे हैं। ये रोजगार केन्द्र अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं। परन्तु इस समस्या के मूल कारण को ये भी नहीं जान सके हैं। इनसे कुछ ही व्यक्तियों को रोजगार मिल पाता है परन्तु इससे यह समस्या सुलझने वाली नहीं। अधिसूचित रिक्त स्थान तो पंजीकृत आवेदकों का पांचवा भाग होते हैं ; सबको रोजगार नहीं मिल पाता ? हमारी/सरकार भी इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं करती बल्कि वह तो विलासिता से पूर्ण योजनाओं पर ध्यान देती है। योजना आयोग, जो हमारी सारी विपत्तियों के निराकरण का मार्ग दर्शन करता है तथा उन्हें नियमबद्ध करता है। बेरोजगारी की इस समस्या के प्रति वह भी उदासीन है। चौथी पंचवर्षीय योजना में भी इस समस्या का कोई उल्लेख नहीं है। प्रत्येक योजना में बेकारों की संख्या में वृद्धि हुई परन्तु इस समस्या के निराकरण का कोई उपाय नहीं किया यहां तक कि इसकी गम्भीरता पर ध्यान ही नहीं दिया। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग 20,000 करोड़ खर्च हुए। 140 लाख बेकारों की संख्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 280 लाख हो जायेगी। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में 18-4-1969 को प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है कि भूमिहीन मजदूर, हरिजन तथा आदिम जातियों की समस्या को अभी तक योजना के अन्तर्गत लिया ही नहीं गया है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा निर्धन लोगों को आवश्यक सहायता देने के लिए इन योजनाओं में आधारभूत परिवर्तन होने चाहिए। परिवार नियोजन के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था है तो मजदूर-कल्याण के लिए केवल 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। लाभ रहित तथा अनुपादक योजनाओं में तो रुपया व्यय किया जाता है परन्तु ग्रामीणों तथा जनसामान्य की नितान्त उपेक्षा तथा तिरस्कार किया जाता है। ऊंचे पदाधिकारियों की सुविधाओं तथा स्थानों में वृद्धि कर दी है परन्तु छोटे कर्मचारियों की छंटनी कर दी जाती है। चारों ओर गड़बड़ी है। यदि बेकारी की समस्या को ठीक नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब बेकारों की संख्या इतनी बढ़ जायेगी कि वे अपनी सेना बनाकर सरकार का तख्ता उलट देंगे। ये अधभूखे तथा अधनंगे कबतक शान्त बैठे रहेंगे।

पुनर्वास की समस्या को लेते हुए मैं यह बताना चाहता हूं बर्मा तथा लंका के विस्थापित तिरूनेलवेली, रामनद तथा देश के अन्य भागों में पाये जाते हैं। उन्हें अभी तक स्थान नहीं दिया गया है। अतः उनके लिए कुछ अन्तरिम प्रबन्ध कर दिए जाएं जबतक वे स्थाई रूप से बस नहीं जाते। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारें उन्हें आर्थिक सहायता दें।

मेलापलयम के कुछ मुस्लिम बुनकरों को अपनी आय के तीन-चौथाई भाग से कपड़ा खरीदने को बाध्य होना पड़ता है जब वे खादी का धागा खरीदने के लिए दुकानों पर जाते हैं। उनके साथ इस प्रकार का अन्याय रोका जाए।

खेतिहर मजदूर उत्पादन करते हुए भी भूखे मरते हैं। अतः उद्योगों में काम करने वाले इन खेतिहर श्रमिको को भविष्य निधि, बोनस, पेनशन तथा ग्रेच्युटी देने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। खेतिहर श्रमिक को न्यूनतम वेतन का निर्धारण करके उन्हें मिलना चाहिए। ताकि उनकी नौकरी तो सुरक्षित रहे, क्योंकि यह काम तो अल्पकालिक होता है और बाकी सारे वर्ष भर वे बेकार रहते हैं। ये ग्राम उद्योग तथा कुटीर उद्योग जो इधर-उधर फैले हुए हैं, इनको गांवों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गहन रूप में फैला देना चाहिए। अतः सरकार श्रमिकों में बेकारी की समस्या तथा पुनर्वास की समस्या पर गम्भीरता से विचार करे।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	4	श्री के० एम० अब्राहम	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में ठेका श्रम प्रणाली समाप्त करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
68	5	श्री के० एम० अब्राहम	आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी त्रिदलीय निर्णय लागू करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
68	6	श्री के० एम० अब्राहम	मजदूर संघों को मान्यता देने के लिये बैलट का सिद्धान्त लागू करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	7	श्री के० एम० अब्राहम	अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ को पुनः मान्यता देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
68	8	श्री के० एम० अब्राहम	औद्योगिक विवादों के दौरान कर्मचारी संघों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध निवारक निरोध अधिनियम का उपयोग।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
68	9	श्री के० एम० अब्राहम	गोखलाई आयोग की रिपोर्ट आने तक विदेशी तेल कम्पनियों में छंटनी रोकने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
68	10	श्री के० एम० अब्राहम	गैर-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों में इंटक से सम्बद्ध संघों को संरक्षण देने में श्रम मंत्रालय का योगदान।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
68	11	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में अनिवार्य रूप में श्रमिकों को सम्मिलित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
68	13	श्री के० एम० अब्राहम	समाचार पत्र उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू करने में असफलता।	100 रुपये
68	14	श्री के० एम० अब्राहम	कालटैक्स कलकत्ता में स्वचालित मशीनें लगाये जाने से वहां के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	15	श्री के० एम० अब्राहम	कालटैक्स, कलकत्ता में छंटनी किये गये कर्मचारियों को अन्य रोजगार देने में असफलता ।	100 रुपये
68	16	श्री के० एम० अब्राहम	इंजीनीयरी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर निर्णय लेने में विलम्ब।	100 रुपये
68	17	श्री के० एम० अब्राहम	कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन संहिता का प्रयोग ।	100 रुपये
68	18	श्री के० एम० अब्राहम	19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने वाले उत्पीड़ित कर्मचारियों को बहाल करने में श्रम मंत्रालय की निष्क्रियता ।	100 रुपये
68	19	श्री के० एम० अब्राहम	आयुद्ध कारखाने पर बोनस अधिनियम लागू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
68	20	श्री के० एम० अब्राहम	विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तथा अस्पतालों के कर्मचारियों के कर्मचारी संघ अधिकार को सुरक्षित रखने में असफलता ।	100 रुपये
68	21	श्री के० एम० अब्राहम	श्रम मंत्रालय में लालफीताशाही तथा भाई-भतीजावाद के फलस्वरूप कर्मचारियों की शिकायतों की सुनवाई करने में भारी विलम्ब होता है ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	22	श्री के० एम० अब्राहम	समस्त औद्योगिक कर्मचारी वर्ग तथा कार्यालय कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्यूटी) योजना लागू करने के उद्देश्य से एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
68	23	श्री के० एम० अब्राहम	बीड़ी तथा सिगार उद्योगों सम्बन्धी विधान को अमल में न लाना ।	100 रुपये
68	24	श्री के० एम० अब्राहम	प्रसूती लाभ अधिनियम से खामियों को निकालने में असफलता ।	100 रुपये
68	25	श्री के० एम० अब्राहम	श्रम मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों द्वारा बड़ी-बड़ी व्यापारिक कम्पनियों के साथ गुप्त संबंध रखा जाना ।	100 रुपये
68	26	श्री के० एम० अब्राहम	असंगठित उद्योगों के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने में असफलता ।	100 रुपये
68	27	श्री के० एम० अब्राहम	अखिल भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी संघ की सभी मांगों को औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपने में असफलता ।	100 रुपये
68	28	श्री के० एम० अब्राहम	इंजीनीयरी उद्योग में जबरी-छुट्टी तथा छंटनी को रोकने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	29	श्री के० एम० अब्राहम	उन कपड़ा उद्योगों में लगे हुए मजदूरों के हितों की रक्षा करने में असफलता जो कुप्रबन्ध के कारण बन्द कर दिये गये हैं ।	100 रुपये
68	30	श्री के० एम० अब्राहम	श्रमिक शिक्षा योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा दुराचार को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
68	31	श्री के० एम० अब्राहम	एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण उत्पीड़ित श्रम मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को बहाल करने में असफलता ।	100 रुपये
68	32	श्री के० एम० अब्राहम	श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमिक-विरोधी तथा कर्मचारी समर्थक नोति का अपनाया जाना ।	100 रुपये
68	33	श्री के० एम० अब्राहम	राष्ट्रीय श्रम आयोग का नियोजकों के लाभ के लिए उपयोग किया जाना ।	100 रुपये
68	34	श्री के० एम० अब्राहम	श्रम मंत्रालय द्वारा एशिया श्रम मंत्री सम्मेलन में मजदूर-संघ विरोधी रुख अपनाया जाना ।	100 रुपये
68	35	श्री के० एम० अब्राहम	सरकारी उपक्रमों के विभिन्न औद्योगिक विवादों में श्रम मंत्री का हस्तक्षेप न करना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	36	श्री के० एम० अब्राहम	श्रम मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी नई दिल्ली क्लैरिजिस होटल के कर्मचारियों की हड़ताल में हस्तक्षेप न करना ।	100 रुपये
68	37	श्री के० एम० अब्राहम	बोनस अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार करने में असफलता ।	100 रुपये
68	39	श्री रामावतार शास्त्री	सारे देश में कृषि-मजदूरों की एक समान न्यूनतम मजूरी के बारे में कानून बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
68	40	श्री रामावतार शास्त्री	विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दरें बढ़ाने में असफलता ।	100 रुपये
68	41	श्री रामावतार शास्त्री	सारे देश में कृषि-मजदूरों की मासिक मजदूरी 100 रुपये निश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
68	42	श्री रामावतार शास्त्री	बेरोजगार शिक्षितों को रोजगार दिलाने में असफलता ।	100 रुपये
68	43	श्री रामावतार शास्त्री	इंजीनियरों में बेरोजगारी समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
70	48	श्री के० एम० अब्राहम	प्लाईवुड तथा अन्य लकड़ी के उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
70	49	श्री के० एम० अब्राहम	श्रम ब्यूरों द्वारा तैयार किये गये गलत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
70	50	श्री के० एम० अब्राहम	नियोजकों के प्रतिनिधि को श्रमिक शिक्षा योजना से पृथक रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
70	51	श्री के० एम० अब्राहम	छंटनी किये गये श्रमिकों को रिलीफ असिस्टेंट फण्ड के अधीन अदायगी में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
70	52	श्री के० एम० अब्राहम	शिशिक्षुता प्रशिक्षण योजना को पूरा कर लेने के बाद युवा कर्मचारियों के लिये नौकरियां सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
70	53	श्री के० एम० अब्राहम	ई० एस० आई० कारपोरेशन के कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	100 रुपये
70	54	श्री के० एम० अब्राहम	शिशिक्षुता अधिनियम के अधीन पुरस्कार प्रदान करने में पक्षपात ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
70	55	श्री के० एम० अब्राहम	बेरोजगारी बीमा योजना को लागू करने में असफलता।	100 रुपये
70	56	श्री के० एम० अब्राहम	आई० एन० टी० यू० सी० के प्रचार के लिये श्रम कल्याण केन्द्रों का उपयोग।	100 रुपये
70	57	श्री के० एम० अब्राहम	मुख्य श्रम आयुक्त संगठन में विशेषज्ञों पर अधिक व्यय।	100 रुपये
70	58	श्री के० एम० अब्राहम	गोरखपुर लेबर आरगानाइजेशन को समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
70	59	श्री के० एम० अब्राहम	लेबर ब्यूरो द्वारा आंकड़ों के प्रकाशन में विलम्ब।	100 रुपये
70	60	श्री मुहम्मद इस्माइल	नवम्बर, 1968 में चोरी-छिपे करघे बन्द करके पटसन उद्योग में 3000 बदली श्रमिकों की गैर-कानूनी छंटनी रोकने में असफलता।	100 रुपये
70	61	श्री मुहम्मद इस्माइल	मजूरी-दरों, महंगाई-भत्ते तथा अन्तरिम राहत और एक सप्ताह में 45 घंटे काम के बारे में पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति की सिफारिशें लागू किये जाने को सुनिश्चित न करना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
70	62	श्री मुहम्मद इस्माइल	कच्चे पटसन के मूल्य घटाने और अधिकतम लाभ कमाने के लिये पटसन-मिल मालिकों द्वारा सट्टेबाजी, पटसन की गैर-कानूनी जमाखोरी और गुट बनाकर की जाने वाली प्रतियोगिता जैसी भ्रष्ट प्रक्रियाओं को न रोकना ।	100 रुपये
70	63	श्री मुहम्मद इस्माइल	पटसन उद्योग में लाया जाने वाला बनावटी संकट न रोकना जिससे रोजगार की सुरक्षा को निरन्तर खतरा है ।	100 रुपये
70	64	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिमी बंगाल में पटसन मिल मालिकों द्वारा कम उत्पादन की नीति अपनाया जाना बन्द कराने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप बेकारी बड़े पैमाने पर फैल गई है ।	100 रुपये
70	65	श्री मुहम्मद इस्माइल	पटसन प्रबन्धकों द्वारा बंगाल चटल मजदूर संघ, कलकत्ता को मान्यता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
70	66	श्री मुहम्मद इस्माइल	सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी रोकने तथा उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देना सुनिश्चित करने के लिये कच्चे पटसन को सरकारी व्यापार में लाने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
70	67	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलों को एक साथ बन्द करने सम्बन्धी सरकारी निर्णय को लागू न करना।	100 रुपये
70	68	श्री मुहम्मद इस्माइल	कालीनों के पिछले भागों का उत्पादन बनाये रखने के लिये पटसन उद्योग में 10 प्रतिशत करघों का बन्द किया जाना न रोकना।	100 रुपये
70	69	श्री मुहम्मद इस्माइल	पटसन उद्योग में 10 प्रतिशत करघे बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप बेकार हुए 25,000 पटसन श्रमिकों को पुनः काम पर लगाने की आवश्यकता।	100 रुपये
71	72	श्री के० एम० अब्राहम	विस्थापित व्यक्तियों पर अत्यधिक प्रशासनिक व्यय।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाए।
71	73	श्री के० एम० अब्राहम	सभी विस्थापित व्यक्तियों का एक कारगर रूप में पुनर्वास करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाए।
71	74	श्री के० एम० अब्राहम	अन्डमान द्वीप समूहों में बसाये गये व्यक्तियों की दयनीय दशा।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
71	75	श्री के० एम० अब्राहम	दण्डकारण्य क्षेत्र में बसाये गये व्यक्तियों का, अफसरों द्वारा सताये जाने के कारण, उस क्षेत्र को छोड़ कर जाना ।	100 रुपये
71	76	श्री के० एम० अब्राहम	ऋणों की वसूली के मामले में अण्डमान द्वीप समूहों में बसे विस्थापित व्यक्तियों को रियायत देने की आवश्यकता ।	
71	77	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिम बंगाल में रह रहे नये आव्रजकों को पुनर्वास का लाभ देने में असफलता ।	100 रुपये
71	78	श्री मुहम्मद इस्माइल	अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले लोगों के लिए सरकार की सहायता से बसाई गयी बस्तियों के सम्बन्ध में विस्थापित व्यक्तियों को बिना अतिरिक्त भार या ब्याज के अधिकार-पत्र देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
72	79	श्री के० एम० अब्राहम	बोर्ड आफ आरबिट्रेशन द्वारा रोजगार समर्थक रुख अपनाया जाना ।	100 रुपये
72	80	श्री के० एम० अब्राहम	बार इनजरीज स्कीम से सम्बन्धित धनराशि का दुरुपयोग ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
72	81	श्री के० एम० अब्राहम	आपातकाल के दौरान असैनिक कर्मचारियों को पहुंची व्यक्तिगत चोटों के सम्बन्ध में राहत देते समय पक्षपात बरतना ।	100 रुपये
68	82	श्री मुहम्मद इस्माइल	सभी सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में स्वचालित मशीनों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने में असफलता ।	100 रुपये
68	83	श्री मुहम्मद इस्माइल	छंटनी किये गये कर्मचारियों की बहाली, कर्मचारियों को स्थायी करने, बोनस, उपदान, मंहगाई भत्ते की बकाया और मजूरी को निर्धारित करने की मांग पर विचार करने के लिये बंगाल चत्कल मजदूर संघ द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार जूट सम्बन्धी औद्योगिक समिति की स्थापना की आवश्यकता ।	100 रुपये
68	84	श्री मुहम्मद इस्माइल	छंटनी, जबरी छुट्टी, कार्य-भार में वृद्धि, कारखानों को बन्द करने और उनकी तालाबन्दी पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	85	श्री मुहम्मद इस्माइल	श्रम को बचाने के नये तरीकों को लागू करने से रोकने की आवश्यकता, जिनके कारण नियोजकों का लाभ बढ़ जाता है और श्रमिकों की छंटनी हो जाती है।	100 रुपये
72	86	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिम बंगाल में आंशिक रूप से बसाये गये परिवारों को, जो कि रेसिडुअरी असेसमेंट के अन्तर्गत नहीं आते, लाभ देने की आवश्यकता।	100 रुपये
72	87	श्री मुहम्मद इस्माइल	शरणार्थियों की परिभाषा के बारे में नियमों को शिथिल करने में असफलता।	100 रुपये
72	88	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिम बंगाल में ठहरे हुये नये आव्रजकों को, उनके द्वारा बार-बार दिये गये अभ्यावेदनों के बावजूद भी, सुविधायें दिये जाने में असफलता।	100 रुपये
72	89	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिम बंगाल में सरकार द्वारा मंजूरशुदा और अनधिकृत रूप से बसने वालों की बस्तियों में शरणार्थियों को, उनके ऋण को चुकाने और ब्याज की दर के भार को कम करके उनको अधिकार-पत्र देने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	90	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
68	91	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	कर्मचारियों पर "इन्टक" थोपने की भेदभावपूर्ण नीति ।	100 रुपये
68	92	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	प्रतिनिधि कर्मचारी संघों के निर्वाचन में बैलट प्रणाली लागू करने में, ताकि उन्हें कारखाना प्रबन्धकों से मान्यता मिल सके, असफलता ।	100 रुपये
68	93	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	अधिकांश विस्थापित परिवारों को जीविका के कोई भी साधन जुटाने में असफलता ।	100 रुपये
68	94	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	स्वर्ण नियंत्रण आदेश के फलस्वरूप जिन स्वर्णकारों के परिवारों को भूख तथा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी ओर ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
68	95	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	खानों में दुर्घटनायें रोकने की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता ।	100 रुपये
68	96	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	शिक्षित युवकों को बेरोजगारी से बचाने के लिये प्रभावी योजना बनाने में असफलता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	97	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	गोवा की लोहे की खानों में बार बार होने वाली हड़तालें और इस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का रवैया जिसका मुख्य मंत्री एक खान-मालिक हैं ।	100 रुपये
68	98	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	खानों से खनिज लोहा मरमागोवा ले जाने वाले गोवानी नाविकों द्वारा 'नियमानुसार' कार्य सम्बन्धी रवैया ।	100 रुपये
68	99	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	खानों से, जो वास्तव में खदानें हैं, अवैज्ञानिक ढंग से अयस्क निकालने के कारण दुर्घटनाओं का अधिक संख्या में होना जिनमें अनेक गोवानी खनिकों की मृत्यु हो जाती है ।	100 रुपये
68	100	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से गोवा के खान मालिकों द्वारा श्रमिकों को तंग करना ।	100 रुपये
68	101	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	गोवा में खानों में उचित प्रारम्भिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव ।	100 रुपये
68	102	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	गोवा में खनन उद्योग में बार बार होने वाली हड़तालों के कारण बेरोजगार श्रमिकों की संख्या में वृद्धि ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	103	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	गोवा के कुछ उन खान मालिकों द्वारा जिन्हें कि स्थानीय सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, दुरागृह-पूर्ण रुख अपनाये जाने के कारण श्रमिकों में व्याप्त अशांति का व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता।	100 रुपये
68	104	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय खान मालिकों द्वारा मजदूरी बोर्ड के पंचाट का उल्लंघन।	100 रुपये
68	105	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	छोटी-छोटी बातों पर श्रम-पंचाटों के विषयों को न्यायालय में ले जाकर उनको अमल में लाने में गोवा के खान मालिकों द्वारा विलम्ब करने की चाल अपनाना।	100 रुपये
68	106	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	गोवा के खान मालिकों पर इस बात के लिये जोर डालने की आवश्यकता कि वे अपने मजदूरों के लिए शीघ्र मकान बनाए।	100 रुपये
68	107	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिकरे	ठेके पर रखे जाने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में खान मालिकों के दुराचरणों को रोकने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
68	108	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के जंगलों में बलात श्रम को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
72	111	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	अन्डमान द्वीप समूह में बसाये गये शरणार्थियों की दशा ।	100 रुपये
72	112	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	अन्डमान द्वीप समूह में जंगलों में और प्लाईबुड फैक्टरियों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव ।	100 रुपये
72	113	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	अन्डमान द्वीप समूह में बसाये गये लोगों के लिये शिक्षा सम्बन्धी उचित सुविधाओं का अभाव ।	100 रुपये
72	114	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	अन्डमान द्वीप समूह में पुनर्वास कार्य में योजना का अभाव ।	100 रुपये
72	115	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप की सामरिक स्थिति होने के नाते उक्त द्वीप में पुनर्वास कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
72	116	श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	भारत के दूसरे भागों से बड़ी संख्या में मजदूरों के आ जाने से अन्दमान के आदिवासियों की सेवा की शर्तें।	100 रुपये

श्री पी० एम० मेहता (भंडारा) : श्रीमान जी, मैं श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री महोदय के द्वारा देश में औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के हेतु सतत् प्रयत्न के लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन्होंने बड़े सुचारु रूप से श्रम नीति को अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार विकसित किया है।

श्रम सम्बन्धी मामलों में रुचि रखने वाले सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि देश के सारे श्रम-कानून तथा नीति सम्बन्धी मामलों का भारतीय श्रम सम्मेलन, श्रम सम्बन्धी स्थाई समिति तथा अन्य त्रिपक्षीय संस्थाओं में विचार किया जाता है। यह जानकर प्रसन्नता होगी कि व्यापार संघों द्वारा इन तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत 9 प्रस्तावों में से सरकार ने 7 मान लिए हैं। सरकार के 8 प्रस्तावों में से त्रिपक्षीय समिति में विचार-विमर्श के पश्चात 7 को मान लिया गया है। एक प्रस्ताव, जिसे मालिकों की ओर से प्रस्तुत किया गया था, उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि श्रमिक प्रतिनिधि इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए थे।

केन्द्रीय कर्मचारियों की 19 सितम्बर 1968 की सांकेतिक हड़ताल के विषय में कुछ उन सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने श्रमजीवियों के हितों के विरुद्ध जाने वाली नीति को अपनाया है। इस विषय में मैं इतना कहूंगा कि ये लोग वह हैं जो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में असफल रहे हैं। तथा सरकारी कर्मचारियों के नेता सरकार से बातचीत करने को तैयार ही नहीं थे और वे हड़ताल करने पर उतारू थे। राष्ट्र इसे सहन करने को तैयार नहीं है। केरल राज्य सरकार ने 600 सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया था, नौकरियों से हटा दिया था। उन्होंने क्यों इनको नौकरियों से हटाया। ये कम्युनिष्ट सदा दोहरी नीति से काम लेते हैं। गोदी तथा पत्तन कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन, तथा महंगाई भत्ते का वेतन में विलय जैसी मांगों को लेकर 24 सितम्बर, 1968 को होने वाली हड़ताल को श्रम मंत्री श्री हाथी और तात्कालिक परिवहन तथा नौवहन मंत्री श्री वी० के० आर० वी० राव ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों से मिलकर जिस दक्षता से इस प्रस्तावित हड़ताल को समाप्त किया है सराहनीय है।

गोदी तथा पत्तन उद्योग बहुत विस्तृत तथा जटिल है। विभिन्न वर्गों के अनेक कर्मचारी इस उद्योग में काम करते हैं। पत्तन उद्योग में अनेक विभाग हैं जैसे रेलवे, समुद्री, इंजीनियरिंग, लेखा तथा प्रशासन विभाग आदि। गोदी तथा पत्तन के समस्त कर्मचारियों के वेतन विन्यास के प्रश्न को तय करने के लिए इस मामले को वेतन बोर्ड के पास भेजा है। वेतन बोर्ड ने कर्मचारियों को दो प्रकार की अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की है तथा कर्मचारियों के कुछ वर्गों के मामलों में वेतन बोर्ड ने अपने निर्णय भी दे दिए हैं। वेतन बोर्ड अब अपने पर्यालोचनों को अन्तिम रूप देकर अपनी सिफारिश शीघ्र ही सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल प्रारम्भ करेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 अप्रैल, 1969/3 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 23, 1969/Vaisakha 3, 1891 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 23-8-69—600.